लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

5th

LOK SABHA DEBATES

[चौथा सत्र
Fourth Session]

[खंड 15 में अंक 41 से 50 तक हैं
Vol. XV contains Nos. 41 to 50]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 50, मंगलवार, 23 मई, 1972/2 ज्येष्ठ, 1894 (शक)

No. 50, Tuesday, May 23, 1972/Jyaisiha 2, 1894 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
निधन-सम्बन्धी उल्लेख/OBITUARY REFERENCE		1—2
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS		1—26
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
941. पुरानी रेलवे टिकटें (दक्षिण रेलवे) बेचने के बारे में लोगों की गिरफ्तारी	Arrest of Persons for Selling old Railway Tickets (Southern Railway) ...	2—5
942. वास्तविक उपयोक्ता लाइसेंसों का दुरुपयोग	Misuse of Actual Users Licence ...	5—8
943. गैर-परम्परागत वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि	Increase in Export of Non-Traditional Items ...	8—15
945. नारियल जटा बोर्ड का अन्तर्राष्ट्रीय मेलों में भाग लेना	Participation of Coir Board in International Fairs ...	15—16
947. निर्यात-प्रधान इंजीनियरी वस्तुओं के लिए बेहतर किस्म नियंत्रण के उपाय	Steps to Enforce Better Quality Control for Export-Oriented Engineering Goods	16—18
949. रबड़ की खेती	Cultivation of Rubber	18—19
952. विदेशों के साथ भारत के व्यापार में कमी	Decline in India's Trade Abroad	20
954. सर्वोच्च न्यायालय और उच्च-न्यायालय के वकीलों द्वारा ली जाने वाली फीस की सीमा निर्धारित करना	Limit on Fees Charged by Advocates of Supreme Court and High Courts. ...	20—22

* किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

* The sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
956. ग्राम विद्युतीकरण परियोजना के बारे में उत्पन्न हुई शंकायें	Doubts raised about Rural Electrification Project ...	22—23
958. भारत आये अफ़गान प्रतिनिधि मंडल के साथ व्यापार सम्बन्धी बात-चीत	Trade talks with Afghan Delegation	24—25
959. रूस द्वारा औद्योगिक कच्चे माल की सप्लाई	Supply of Industrial Raw Material by U.S.S.R. ...	25—26
प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS		26—93
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
944. निर्धारित समय में माल के गन्तव्य स्थान पर पहुंचने की गारन्टी	Guarantee of Carrying Goods to destinations within Stipulated Period ...	26
946. चाय उद्योग की आवश्यकताएं	Requirements of Tea Industry ...	26—27
948. तुरन्त तैयार होने वाली चाय (इंस्टेन्ट टी) की किस्म में सुधार	Improvement in Quality of Instant Tea ...	27
950. राज्य व्यापार निगम का पुनर्गठन	Reorganisation of S.T.C.	27—28
951. सोना नदी के पानी का बहाव मध्य प्रदेश की ओर मोड़ना	Diversion of Sona River Waters to Madhya Pradesh ...	28—29
953. देश की नदियों के जल पर केन्द्रीय नियन्त्रण	Central Control of River Waters in the Country ...	29
955. इंडियन आक्सीजन लिमिटेड द्वारा किया गया निर्यात	Exports made by Indian Oxygen Ltd.	29
957. पतरातू तापीय विद्युत संयंत्र (बिहार) को हुई क्षति	Damage Caused to Patratu Thermal Plant (Bihar) ...	29—30
960. चीनी मिल की मशीनें और विद्युत स्टेशन के उपकरणों को दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों को निर्यात करने के बारे में जापान से प्रतिस्पर्धा की सम्भावनाएं	Prospects of Competing with Japan in Exports of Sugar Mill Machinery and Power Station Equipments to South East Asian Countries. ...	30

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
7034. मध्य प्रदेश के साथ रेलवे लाइन द्वारा सम्पर्क स्थापित करने के लिए बिहार सरकार का प्रस्ताव	Bihar Government Proposals for Railway Line connection with Madhya Pradesh...	31
7035. मई से नवम्बर, 1968 की अवधि में सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के विलय से लाभ	Merger of D. A. benefits to Employees who retired between May to November, 1968	31—32
7036. गोआ से लौह अयस्क के निर्यात में कमी	Decrease in Export of Iron-Ore from Goa.	32
7037. टेलीविजन आयात करने सम्बन्धी नियमों में संशोधन	Amendment of Rules importing T. V. Sets ...	32
7038. पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे में वाणिज्यिक लिपिकों को स्थायी करना	Confirmation of Commercial Clerks in Northeast Frontier Railway ...	33
7039. कानपुर सैन्ट्रल गुड्स शेड में माल उतारने-चढ़ाने का ठेका लेने के लिए टेंडर देने वाली फर्में	Parties who submitted Tenders for Goods handling contract at Kanpur Central Goods-Shed ...	33
7040. कानपुर सेंट्रल गुडस् शेड, जूही तथा फजलपुर में माल उतारने-चढ़ाने का ठेका देने के लिए टेंडरों को अन्तिम रूप देना	Finalisation of Tenders for Goods handling contract at Kanpur Central Goods Shed, Juhi including Fazalpur ...	33—34
7041. केरल में टाइल उद्योग के लिये वैगनों की कमी	Shortage of Wagons for the Industry in Kerala ...	34
7042. अपरिष्कृत काजू का वितरण	Distribution of Raw Cashew Nuts	34—35
7043. कुल निर्यात में पंजाब का योगदान	Punjab's Contribution in Total Exports ...	35
7044. ईराक में कुछ परियोजनाओं में धन लगाना	Financing of certain Projects in Iraq ...	35
7045. हथकरघों के लिए आरक्षित वस्त्रों का निर्माण	Implementation of reservations decided for Handlooms	35—36

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
7046. सहकारिता क्षेत्र के अन्तर्गत और सहकारिता क्षेत्र के बाहर हथकरघे	Handlooms in cooperative fold and outside cooperative fold ...	36
7047. मध्य प्रदेश के मन्दसौर, जाओरा और अलोटे निर्वाचन क्षेत्रों में मोहर लगे मत-पत्रों का पाया जाना	Stamped ballot papers found in Mandsaur, Jaora and Alote Constituencies in Madhya Pradesh ...	36—37
7048. माल उतारने-चढ़ाने वाले ठेकेदारों पर विलम्ब शुल्क लगाने के बारे में रेलवे बोर्ड द्वारा जारी किये गये निदेश	Directive issued by Railway Board in regard to levy of demurrage charges against handling contractors ...	37
7049. रेलवे द्वारा मुआवजे के दावों का भुगतान	Compensation claims paid by Railways ...	37
7050. पूर्वोत्तर तथा पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे में मजदूर यूनियनें	Labour Unions in North Eastern Railway and Northeast Frontier Railway ...	38
7051. पूर्वोत्तर रेलवे और पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे में नैमित्तिक श्रमिक	Casual Labourers in North Eastern Railway and Northeast Frontier Railway ...	38
7052. बंगला देश से अखबारी कागज का आयात	Import of Newsprint from Bangladesh ...	38—39
7053. विद्यार्थियों द्वारा प्रदर्शन किये जाने के कारण खुर्दा रोड डिवीजन में रेल सेवाओं में बाधा	Disruption of Train Services in Khurda Road Division due to Demonstration by Students ...	39
7054. उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने का प्रस्ताव	Proposal for raising Retirement Age of High Court Judges ...	39
7055. रिहन्द बांध से बिजली की सप्लाई	Power Supply from Rihand Dam ...	39—40
7056. कारों का आयात	Import of Cars ...	40
7057. विरमगाम में प्रभा मिल्स को अपने नियंत्रण में लेना	Take ovar of Prabha Mills at Viramgam ...	40—41

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
7058. उड़ीसा में पटसन मिलों की स्थापना के लिये उड़ीसा सरकार से आवेदन पत्र	Application from Orissa Government for Jute Mill in Orissa ...	41
7059. आयातित कच्चे माल के बारे में शिकायतें	Complaints received against Imported Raw Materials ...	41
7060. खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा लौह अयस्क का निर्यात	Export of Iron Ore by M. M. T. C.	41—42
7061. पूर्वी क्षेत्र में रेलवे का पुनर्गठन	Reorganisation of Railways in Eastern Sector ...	42
7062. प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन	Production of Natural Rubber	42
7064. कोटा, उदयपुर, अजमेर और जयपुर रेलवे स्टेशनों पर टूटे हुए माल डिब्बों की नीलामी के समय उपस्थित पार्टियां	Parties at auction of condemned Wagons at Kota, Udaipur, Ajmer and Jaipur Stations ...	42—43
7065. उदयपुर, कोटा और जयपुर के रेलवे अस्पतालों के दवाइयों का स्टाक	Stock of Medicines in Railway Hospitals, Udaipur, Kota and Jaipur ...	43
7066. दक्षिण पूर्व रेलवे के कार्यालय को विलासपुर से उड़ीसा ले जाना	Shifting of office of South Eastern Railway from Bilaspur to Orissa ...	43
7067. तेघड़ा स्टेशन (पूर्वोत्तर रेलवे) के समीप एक रेलगाड़ी के 15 माल डिब्बों का उलटना	Derailment of Bogies of a Train near Teghra Station (North Eastern Railway)	44
7068. रेलवे कर्मचारियों द्वारा रेल गाड़ियों का रोका जाना	Holding up of trains by Railway Staff	44
7069. ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत हरिजन बस्तियों को सम्मिलित न करना	Harijan localities left out in Rural Electrification Programme ...	44—45
7070. नैवेली में दूसरा ताप विद्युत संयंत्र	Second Thermal Unit at Neyveli ...	45

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
7071. नेपाल में करनाली पन-बिजली परियोजना के लिये भारत की सहायता	India's help for Karnali Hydroelectric project in Nepal ...	45—46
7072. बिहार में खोले गए रेलवे स्टेशन	Railway Stations opened in Bihar	46
7073. गढवारोड चोपान सैक्शन (बिहार) के स्टेशनों के लिए वैगनों की आवश्यकता	Requirement of wagons for stations on Garhwa Road-Chopan Section (Bihar)...	46—47
7074. उत्तर पूर्वी रेलवे में रेलवे के माल की चोरी	Railway Goods Stolen on North Eastern Railway ...	47
7075. दक्षिण रेलवे में बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्री	Ticketless Travellers on Southern Railway	47—48
7076. पूर्वी रेलवे में चोरी, हत्या, लूट-पाट और डकैती की घटनायें	Incidents of Thefts, Murders, Loot and Dacoities on Eastern Railway ...	48
7077. बिना टिकट यात्रा करने वाले लोगों से वसूल किया गया राजस्व	Revenue Earned from Ticketless Passengers	48
7078. बिहार में डेहरी और अमौर के बीच रेलवे लाइन	Railway Line between Dehari and Amaur in Bihar ...	48—49
7079. कर्मचारियों पर व्यय और यातायात में वृद्धि	Expenditure on Staff and Growth of Traffic ...	49—50
7080. निर्यातकर्ताओं द्वारा कच्चे माल का सीधा आयात	Direct Import of Raw Materials by Exporters ...	50
7081. दिल्ली में ड्राई पोर्ट	Dry Port at Delhi	50—51
7082. वकीलों की सहकारी समितियां बनाना	Formation of Co-operatives of Lawyers ...	51
7083. बड़काखना-डेहरी-आनसोन लूप सेक्शन (पूर्व रेलवे) पर कौड़ी स्टेशन के निकट गोमोह-डेहरी-आनसोन यात्री गाड़ी का लूटा जाना	Looting of Gomoh-Dehri-on-Sone Passenger Train near Kaori Station on Barkakhana-Dehri-on-Sone loop Section (Eastern Railway) ...	51—52

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
7084. पटना में रेलवे सेवा आयोग	Railway Service Commission at Patna ...	52
7085. वाणिज्यिक फसलों के लिए पृथक निगम	Separate Corporations for Commercial Crops ...	52—53
7086. मैसर्ज़ कुण्डू स्पैशल आफ कलकत्ता द्वारा पर्यटक ले जाने के लिए बेकार पर्यटक वाहन का प्रयोग	Use of Condemned Tourist Coach for Carrying Tourists by M/s Kundu Special of Calcutta ...	53
7087. बंगला देश के साथ गैर-सरकारी व्यापार के लिये लाइसेंस जारी किया जाना	Issue of Licence for Private Trade with Bangladesh ...	53
7088. मछली पकड़ने के लिये रेलवे भूमि पर तालाब	Tanks on Railway Land for Fishing Purposes ...	53—54
7089. भारत के निर्यात/आयात व्यापार को संरक्षण देने के लिए कानून	Legislation to Safeguard India's Export/Import Trade ...	54
7090. दिल्ली से ग्वालियर होकर बम्बई तक एक अतिरिक्त रेलगाड़ी चलाना	Introduction of an Additional Train from Delhi to Bombay via Gwalior ...	54
7091. डीज़ल लोको शैड, गंटाकल के कर्मचारियों की सेवा में व्यवधान की माफी	Condonation of Break in Service of Employees of Diesel Loco Shed, Guntakal...	54—55
7092. अप्रैल, 1972 के दौरान रेल दुर्घटनायें	Railway Accidents during April, 1972 ...	55
7093. जस्ते का आयात तथा वितरण	Import of Zinc and its Distribution ...	55—56
7094. टिकट चैकिंग स्टाफ एसोसिएशन का ज्ञापन	Memorandum by Ticket Checking Staff Association ...	56—57
7095. सोन जल विवाद हल करने के लिये कार्यवाही	Steps to Resolve Differences reg : use of Sone Water ...	57
7096. अभ्रक उद्योग में संकट के बारे में ज्ञापन	Crisis in Mica Industry ...	57—58

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
7097. मीरज से लोंढा तक बरास्ता गोकाक (दक्षिण मध्य रेलवे) बड़ी लाइन का विस्तार	Extension of Broad Gauge Line from Miraj to Londha via Gokak (South Central Railway) ...	58
7098. केले के निर्यात व्यापार में कमी	Decline in Export Trade of Bananas	58
7099. भारतीय कार्यक्रमों के बारे में श्री कारकोरान की सिफारिशें	Recommendations of Shri Corcoran Regarding Indian Programmes ...	58—60
7100. फार्मासिस्ट द्वारा क्लर्की का काम	Clerical job done by Pharmacist ...	60
7101. राज्य व्यापार निगम के माध्यम से साइकिलों का निर्यात	Export of Bicycles through S.T.C.	60
7102. उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के सेवा निवृत्त न्यायाधीशों की कार्य सौंपना	Assignments to Retired Judges of Supreme Court and High Courts ...	60—61
7103. दक्षिण पूर्व रेलवे के मुख्यालय और रेलवे सेवा आयोग के कार्यालय को उड़ीसा स्थानान्तरित करना	Shifting of Headquarters and Railway Service Commission to Orissa (South Eastern Railway) ...	61—62
7104. कोटा स्टेशन पर फ्रंटियर मेल तथा अन्य गाड़ियों का लेट होना	Detention of Frontier Mail and other Trains at Kota Station ...	62
7105. महेन्द्रुघाट (पूर्वोत्तर रेलवे) के गोमती नामक स्टीमर का असंतोषजनक कार्य	Unsatisfactory Working of Steamer Gomti of Mahendru Ghat (North Eastern Railway) ...	62
7106. नागालैण्ड, मनीपुर और त्रिपुरा में चाय का उत्पादन	Tea Growing in Nagaland, Manipur and Tripura ...	62—63
7107. पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में राप्ती, घाघरा, कुआनो नदियों में बाढ़ नियंत्रण के उपाय	Steps to Check Floods in Rapti, Ghaghra, Kuano Districts of Eastern U.P. ...	63
7108. भटनी मरुआडीह मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करना	Conversion of Metre Gauge Bhatni-Maruadih Line into Broad-Gauge ...	64

विषय अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	Subject	पृष्ठ/Pages
7109. राप्ती जलकुण्डी परियोजना के बारे में भारत-नेपाल वार्ता	Indo-Nepal Discussion on Rapti-Jalkundi Project ...	64
7110. पटना, गया, धनबाद,टाटानगर रेलवे स्टेशनों पर सीटों के आरक्षण में कथित भ्रष्टाचार	Alleged Corruption in making Reservations at Patna, Gaya, Dhanbad, Tatanagar Stations ...	64
7111. अभ्रक व्यापारियों द्वारा कम और अधिक राशि के बीजक बनाना	Under-Invoicing and Over-Invoicing by Mica-Traders ...	65
7112. कृष्णा जल विवाद	Krishna Water Dispute	65
7113. नेपाल के साथ नया व्यापार और पारागमन करार	New Trade and Transit Agreement with Nepal ...	65
7114. बिजली की खपत में असमानता	Disparity in Consumption of Electricity ...	66
7115 हीरे-जवाहरात का निर्यात	Export of Gems and Jewellery ...	66
7116. हीरों का आयात	Import of Diamonds	66—67
7117. बिजली का उत्पादन करने के लिए सरकारी उपक्रमों को लाइसेंस देना	Grant of Licences to Private Undertakings for Power Generation ...	67
7118. राष्ट्रीय कपड़ा निगम में विशेषज्ञ	Experts in National Textile Corporation...	67—68
7119. राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा संकटग्रस्त मिलों के कार्यकरण में सुधार	Improvement in Sick Mills by N.T.C. ...	68
7120. संगमरमर और पत्थर की मूर्तियों का निर्यात	Export of Marble and Stone Idols	68
7121. रेलवे अधिकारियों को दी जाने वाली यात्रा सुविधाओं पर व्यय	Expenditure on travel facilities to Railway Officials ...	68—69
7122. जूट एण्ड जूट गुड्स बफर स्टाक एसोसिएशन का परिसमापन	Liquidation of Jute and Jute Goods Buffer Stock Association ...	69
7123. जर्मन जनवादी गणतन्त्र को रबड़ का निर्यात	Export of Rubber to G.D.R. ...	69

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
7124. खिड़किया रेलवे स्टेशन (मध्य रेलवे) पर उपरि पैदल पुल का निर्माण	Construction of a pedestrial overbridge at Rhirkiya Railway Station (Central Railway) ...	69
7125. खंडवा रेलवे स्टेशन (मध्य प्रदेश) का विकास	Development of Khandwa Railway Station (Central Railway) ...	69—70
7126. बुरहानपुर लवे स्टेशन पर बम्बई के लिए टिकटों की बिक्री	Sale of tickets at Burhanpur Station for Bombay ...	70
7127. मध्य प्रदेश में रेलवे स्टेशनों का पुनर्निर्माण	Remodelling of Railway Stations in Madhya Pradesh ...	70
7128. राजधानी में खराब विद्युत लाइनें	Faulty Power Lines in Capital ...	70
7129. रेलवे की कोयले की मांग	Demand of Coal by Railways	71
7130. लौह अयस्क का निर्यात बढ़ाने का प्रस्ताव	Proposal to increase export of Iron Ore ...	71
7131. कच्चे पटसन का सांविधिक समर्थन मूल्य	Statutory Support Price of Raw Jute ...	71—72
7132. सिंचाई परियोजनाओं की बढ़ती हुई लागत के कारणों की जांच के लिए विशेषज्ञ समिति	Expert Committee to inquire into causes of rising cost of irrigation works ...	72
7133. बडोक रेलवे स्टेशन (उत्तर रेलवे) पर भोजनालय के ठेकेदार की ओर किराये तथा लाइसेंस शुल्क की बकाया राशि	Arrears of Rent and Licence Fee Outstanding against Contractor of Restaurant at Barog Railway Station (Northern Railway) ...	72
7134. कालका स्टेशन पर चलाए जा रहे रेस्टोरेन्ट को ठेकेदार द्वारा आगे ठेके पर दिया जाना	Subleting of contract of the restaurant being run at Kalka Station by the Contractor ...	72—73
7135. इंजीनियरिंग वस्तुओं का दक्षिण पूर्व एशिया के देशों को निर्यात	Export of Engineering goods to the South East Asian Countries ...	73
7136. निर्यात संबंधी आंकड़ों का संकलन	Compilation of export statistics	73

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
7137. पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे के लिए रेलवे सेवा आयोग	Railway Service Commission for Northeast Frontier Railway ...	74
7138. संकेत तथा दूर संचार विभाग के दिल्ली क्षेत्र के सब-इन्स-पैक्टर तथा अनुरक्षक (मेन्टेनर) को दिया गया अतिरिक्त कार्य	Sub-inspector and maintainer of Delhi area given additional duty, Signals and Telecommunications Department ...	74
7139. संकेत तथा दूर संचार विभाग के कर्मचारियों के लिये सेवा की बेहतर शर्तें	Better conditions of service for employees of Signal and Telecommunications Department ...	74—75
7140. उत्तर रेलवे में सहायक स्टेशन मास्टर और गार्डों की परीक्षा के परिणाम	Result of examination for Assistant Station Masters and Guards (Northern Railway)	75
7141. निरीक्षण डिब्बों की सुविधा पाने के हकदार रेलवे अधिकारी	Railway Officers entitled to Inspection Carriage Facility ...	75—76
7142. होतार और मगराहाट रेलवे स्टेशनों (पूर्वी रेलवे) के बीच दुर्घटना के बारे में प्रतिवेदन	Report on accident between Hotar and Magrahat Railway Stations (Eastern Railway) ...	76
7144. लल्लागुडा रेलवे ग्राउन्ड से भगवान बुद्ध की प्रतिमा का हटाया जाना	Removal of a statue of Buddha from Lallaguda Railway Grounds ...	76—77
7145. बहराइच (उत्तर रेलवे) के जिले में चारदा, धर्मपुर और भींगा का ग्रामीण विद्युतीकरण	Rural Electrification of Charda, Dharmapur and Bhinga in District of Bahraich (U.P.) ...	77
7146. उड़ीसा में भीमकुण्ड तथा रेन-गाली परियोजना के बारे में परियोजना प्रतिवेदन	Project Reports of Bhimkund and Rengali Projects in Orissa ...	77—78
7147. धागे के मूल्य में वृद्धि	Increase in price of Yarn	78
7148. तमिलनाडु में खोले गये नये रेलवे स्टेशन	New Railway Stations in Tamil Nadu	78—79
7149. दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय हथकरघा बुनकर सम्मेलन	All India Handloom Weavers' Convention held in Delhi ...	79

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
7150. पंजाब में उत्तर रेलवे द्वारा चलाए जा रहे प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों को स्थायी बनाना	Confirmation of Primary School teachers run by Northern Railway in Punjab ...	79—80
7151. तारों को देवनागरी लिपि में स्वीकार करने वाले रेलवे तार घर	Railway Telegraph Offices accepting Telegrams in Devanagari Script ...	80
7152. कर्मचारियों की कमी के कारण दावों की क्षतिपूर्ति देने सम्बन्धी एक-सदस्यीय विशेषज्ञ समिति की टिप्पणी	Observation of One-man expert Committee on compensation claims on shortage of staff ...	80—81
7153. लन्दन में स्थित चाय केन्द्र का बन्द होना	Closure of Tea centre in London	81
7154. रेलवे में खान-पान की सेवाओं में सुधार	Measures to improve catering services on Railways ...	81
7155. सुपारी का आयात बन्द करना	Stopping imports of Arecanuts	81—82
7156. खाद्य तथा कृषि संगठन द्वारा भारत में चाय के निर्यात के लिये नियत किया गया कोटा	Export quota for Tea allotted for India by F.A.O. ...	82
7157. विदेशों में स्थित चाय केन्द्रों में कार्य कर रहे अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें	Complaints of Officials working in Tea Centres abroad ...	82—83
7158. तिनसुखिया डिवीजन (पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे) के गार्डों तथा ब्रेकमैनों को रात की ड्यूटी के भत्ते की बकाया राशि का भुगतान	Payment of arrears of Night Duty Allowance to Guards and Brakesmen of Tinsukhia Division (Northeast Frontier Railway) ...	83—84
7159. अलीपुरद्वार और सिलीगुड़ी स्टेशनों (पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे) में रेलगाड़ियों की जांच	Examination of Trains in Alipurduar and Siliguri Stations (Northeast Frontier Railway) ...	84
7160. नैरोगेज रेलवे लाइनों पर चलने वाली माल गाड़ियों और यात्री गाड़ियों के लिए इंजन	Engines for Goods and Passenger Trains of Narrow Gauge Lines ...	84—85

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
7161. ग्वालियर-भिंड नैरोगेज रेलवे लाइन (मध्य प्रदेश)	Gwalior-Bhind Narrow Gauge Railway Line (C. Rly) ...	85
7162. मध्य प्रदेश में माताटीला बांध से सिंचित भूमि का क्षेत्र	Acreage of land irrigated by Matatila Dam in M. P. ...	85
7163. सिंध नदी (मध्य प्रदेश) पर बांध के निर्माण में प्रगति	Progress in Construction of Dam on Sindu River (M.P.) ...	86
7165 कोयले के मूल्य	Price of Coal	86
7166. दिल्ली में नये रेलवे क्वार्टरों का निर्माण	Construction of New Railway Quarters in Delhi ...	86—87
7168. पूर्वोत्तर रेलवे के बलिया और वाराणसी स्टेशनों के बीच डीजल-कार का चलना	Diesel Car running between Balia and Varanasi Stations (North Eastern Railway) ...	87
7170. गांव में सस्ती दरों पर बिजली की सप्लाई	Supply of Electricity to Villages at Cheap Rates ...	87—88
7171. सिलचर होकर मनीपुर तक रेलवे लाइनों का विस्तार	Extension of Railway Lines up to Manipur Via Silchar ...	88
7172. केरल में बिजली का उत्पादन करने के लिए नदियों का जल उपयोग करने हेतु सर्वेक्षण	Survey for Harnessing Rivers for Electricity by Generation in Kerala ...	88
7173. दक्षिण रेलवे में चोरी, हत्या, लूट-पाट और डकैतियों की घटनायें	Incidents of thefts, Murders, Loot and Dacoities on Southern Railway ...	89
7174. क्विलोन (केरल) में रेलवे कार्यालय का विस्तार	Expansion of Railway Office at Quilen (Kerala) ...	89
7175. राज्य व्यापार निगम द्वारा केरल से रबड़ का निबटारा	Disposal of Rubber by S.T.C. from Kerala	89—90
7176. केरल के लिए मध्यम श्रेणी की सिंचाई योजनाएं	Medium Irrigation Schemes for Kerala ...	90

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
7177. चेयरमैन के परिवार द्वारा चाय बोर्ड की मोटर गाड़ियों का प्रयोग	Use of Tea Board Vehicles by Chairman's Family ...	0—91
7178. स्टेशन मास्टर गाजियाबाद पर रेलवे कर्मचारियों का हमला	Assault by Railway Employees on Station Master, Ghaziabad ...	91—92
7179. रेलवे में स्टेशन मास्टरों की पदोन्नति	Promotion of Station Masters on Railways	92
7180. मजूरी बोर्ड के लिये यूनियनों द्वारा भेजी गई याचिकायें	Petitions filed by Unions for Wage Board	92—93
7181. रेलवे कर्मचारियों पर मासिक व्यय	Monthly Expenditure on Railway Employees ...	93
सदस्य द्वारा वैयक्तिक स्पष्टीकरण (श्री ज्योतिर्मय बसु)	Personal Explanation by Member (Shri Jyotirmoy Bosu) ...	93—95
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	9 —96
राज्य सभा से संदेश	Message from Rajya Sabha	96
याचिका समिति	Committee on Petitions	96
चौथा प्रतिवेदन	Fourth Report	96
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति	Committee on Absence of Members from the Sittings of the House ...	96
छठा प्रतिवेदन	Sixth Report	96
अस्पृश्यता (अपराध) संशोधन और प्रकीर्ण उपबन्ध विधेयक— चर्चा स्थगित हुई	Untouchability (Offences) Amendment and Miscellaneous Provisions Bill—Debate Adjourned ...	97
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	97—98
प्रो० एस० नुरुल हसन	Prof. S. Nurul Hasan ...	98—99
श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर	Shri Krishna Chandra Halder	99—100
श्री पी० वेंकटासुब्बया	Shri P. Venkatasubbaiah ...	100—101

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
श्री भान सिंह भौरा	Shri B. S. Bhaura	101—102
श्री मूल चन्द डागा	Shri M. C. Daga	102
श्री जे० एम० गौडर	Shri J. M. Gowdar	102—103
श्री शिवनाथ सिंह	Shri Shivnath Singh	103
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee	104
श्री आर० एस० पाण्डे	Shri R. S. Pandey	104
श्री के० एस० चावड़ा	Shri K. S. Chavda	104—105
श्री बी० आर० शुक्ल	Shri B. R. Shukla	105
श्री शिव शंकर प्रसाद यादव	Shri Shiv Shankar Prasad Yadav	106
श्री बी० एस० मूर्ति	Shri B. S. Murthy	106
श्री बी० वी० नायक	Shri B. V. Naik	107
श्री टी० सोहन लाल	Shri T. Sohan Lal	107
श्री आर० डी० भण्डारे	Shri R. D. Bhandare	107—108
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी	Shri M. Ram Gopal Reddy	108
श्री साधू राम	Shri Sadhu Ram ...	108—109
श्री शशि भूषण	Shri Shashi Bhushan	109
श्री सी० एम० स्टीफन	Shri C.M. Stephen ...	109—110
श्रीमती टी० लक्ष्मीकान्तम्मा	Shrimati T. Lakshmikanthamma	110
श्री अम्बेश	Shri Ambesh	110—111
श्री बसन्त साठे	Shri Vasant Sathe ...	111—114
पश्चिम बंगाल में सूखे की स्थिति के बारे में चर्चा	Discussion Re. Drought Conditions in West Bengal ...	115

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
श्री समर गुह	Shri Samar Guha	115—117
श्री प्रिय रंजन दास मुंशी	Shri Priya Ranjan Das Munsi	117—118
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu	118
श्री सुबोध हंसदा	Shri Subodh Hansda	118—119
श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Indrajit Gupta	119—120
श्री एस० एन० सिंह देव	Shri S. N. Singh Deo	121
श्री बी० के० दासचौधरी	Shri B. K. Daschowdhury	121—122
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	Shri Chintamani Panigrahi	122—123
श्री श्याम सुन्दर महापात्र	Shri Shyam Sunder Mahapatra	123—124
श्री आर० आर० शर्मा	Shri R. R. Sharma	124
श्री नवल किशोर शर्मा	Shri Nawal Kishore Sharma	124
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri	125
श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे	Shri Annasaheb P. Shinde	125—128

लोक-सभा
LOK SABHA

मंगलवार, 23 मई, 1972/2 ज्येष्ठ, 1894 (शक)
Tuesday, May 23, 1972/Jyaistha 2, 1894 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. SPEAKER *in the Chair*]

निधन सम्बन्धी उल्लेख
OBITUARY REFERENCE

अध्यक्ष महोदय : मुझे सदन को श्री बृज बिहारी महरोत्रा के दुःखद निधन की सूचना देनी है जिनका 77 वर्ष की आयु में 21 मई, 1972 को कानपुर में स्वर्गवास हो गया है। श्री बृज बिहारी महरोत्रा उत्तर प्रदेश के बिल्लौर चुनाव क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे और 1962-67 में तीसरी लोक सभा के सदस्य थे। इससे पूर्व 1952 से 1962 तक वह उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य रहे। वह अत्यन्त मिलनसार थे। इन्होंने स्काऊटिंग, हरिजन कल्याण और ग्रामोद्धार योजनाओं में सक्रिय रुचि ली।

हमें बहुत दुःख है कि हमारे यह मित्र अब हमारे बीच नहीं हैं। मैं सारे सदन की ओर से उनके शोक संतप्त परिवार को अपनी संवेदनाएं भेजता हूं।

प्रधान मंत्री तथा सदन की नेता (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : अध्यक्ष महोदय, हम सब को श्री बृज बिहारी महरोत्रा की मृत्यु से बहुत दुःख हुआ है। श्री महरोत्रा तीसरी लोकसभा के सदस्य थे। श्री महरोत्रा ने अल्पायु में ही सार्वजनिक जीवन में पदार्पण कर लिया था। दल के कार्यों में सक्रिय भाग लेने के साथ-साथ वह बहुत समय तक कानपुर जिला बोर्ड के सदस्य रहे और उप-प्रधान भी रहे। वर्ष 1962 में इस सदन में आने से पूर्व वह दस वर्ष तक उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य रहे थे। स्काऊट आन्दोलन में उनकी बहुत रुचि थी और कानपुर महानिषेध बोर्ड के क्रिया-कलापों में भी उन्होंने प्रमुख रूप से भाग लिया। वह हिन्दी के लेखक भी थे और उनकी अनेक पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं।

आप उनके शोक संतप्त परिवार के सदस्यों को हमारी संवेदनायें भेज दें ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : श्री महरोत्रा की मृत्यु का समाचार सुनकर हम सबको बहुत दुःख हुआ है । मैं अपने दल की ओर से और स्वयं, आपके द्वारा व्यक्त की गई संवेदनाओं में शरीक होता हूं और आप से अनुरोध करता हूं कि शोक संतप्त परिवार को हमारी संवेदनाएं भेज दें ।

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): Sir, I had very deep personal relations with Shri Mehrotra and I know, on various occasions before coming to this House, I had the opportunity of taking his help on various problems. He was very broad minded and always loved his own political rivals. His death has caused a great loss to the political life of Kanpur.

On behalf of my party and on behalf of myself, I express our sentiments and request you to convey our condolences to the bereaved family.

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से आपके द्वारा और सदन के नेता के द्वारा व्यक्त की गई संवेदनाओं में शरीक होता हूं। श्री महरोत्रा तीसरी लोक सभा के सदस्य थे और उन्होंने समाज के दलित और पिछड़े वर्गों का उत्थान करने में बहुत लगन से कार्य किया । वह एक बहुत सुविज्ञ संसदविज्ञ थे और उन्होंने यहां सबको अपना प्रिय बना लिया था । आपसे मेरा अनुरोध है कि आप शोक संतप्त परिवार को हमारी संवेदनाएं भेज दें ।

Shri R. R. Sharma (Banda) : With the death of Shri Mehrotra, the country has lost a great learned man. I, on behalf of my party and on behalf of myself, want to convey our condolences to the bereaved family through you.

श्री समर गुह (कन्टाई) : अध्यक्ष महोदय, अपने दल की ओर से और अपनी ओर से मैं, आपके द्वारा और अन्य माननीय सदस्यों द्वारा श्री बृज बिहारी महरोत्रा जी की मृत्यु पर व्यक्त की गई संवेदनाओं में शरीक होता हूं । आपसे अनुरोध है कि शाप शोक संतप्त परिवार को हमारी संवेदनाएं भेज दें ।

तत्पश्चात् सदस्यगण कुछ देर मौन खड़े रहे ।
The Members then stood in silence for a short while.

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Arrest of Persons for Selling old Railway tickets (Southern Railway)

+

***941. Shri Chandulal Chandrakar :**
Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the Vigilance Department of the Southern Railway has caught some

persons on the charge of selling used Railway tickets after changing the dates and number thereof ; and

(b) if so, the brief facts of the case and the precautionary steps proposed to be taken in the matter ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) दक्षिण रेलवे की सतर्कता शाखा ने अभी हाल में पुराने टिकटों को दुबारा इस्तेमाल करने के एक मामले का पता लगाया है। लेकिन इस्तेमाल किए गए तथा दुबारा तारीख डाले हुए ऐसे टिकटों को वास्तविक बिक्री करते हुए अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

दक्षिण रेलवे की सतर्कता शाखा को यह सूचना मिली कि मोटर चेसिस ड्राइवर जो मोटर चेसिस लेकर टाटानगर से मद्रास, कोचिन और बेंगलूरु जाते हैं वे टाटानगर के लिए गाड़ी द्वारा अपनी वापसी यात्रा में पुराने टिकटों का इस्तेमाल करते हैं। रेलवे की सतर्कता शाखा द्वारा इस पर निगरानी रखी गई जिसका अन्ततोगत्वा परिणाम यह निकला कि एक ऐसे ड्राइवर को 17-4-72 को मद्रास-टाटानगर एक्सप्रेस में ऐसे टिकट पर मद्रास से टाटानगर तक की यात्रा करते हुए पकड़ा गया जिसे किसी समय फरवरी, 1972 में कोचिन से टाटानगर के लिए जारी किया गया था। यद्यपि सम्बन्धित उपयोगकर्ता को मद्रास सेंट्रल स्टेशन के रेलवे पुलिस को मुकदमा चलाने के लिए सौंप दिया गया लेकिन अभी तक उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है जिसने टिकट बेचा था। जिस ड्राइवर को पुराने टिकट का इस्तेमाल करते हुए गिरफ्तार किया गया था उसके विरुद्ध मुकदमा चल रहा है।

2. जहां तक निवारक कार्रवाई का सम्बन्ध है, यह देखने के लिए कि वर्तमान अनुदेशों के अनुसार टिकट ठीक तरह से कुतरे जा रहे हैं या नहीं, सतर्कता शाखा द्वारा अवसर जांच की जाती है। टिकट जांच कर्मचारी टिकटों की चालू क्रम संख्या की भी जांच करते हैं और यदि उस क्रम से बाहर का कोई टिकट पाया जाता है तो उसकी विशेष रूप से छानबीन और जांच-पड़ताल की जाती है। टिकट जांच कर्मचारी टिकटों की तारीखों की भी जांच करते हैं और उन मामलों की छानबीन करते हैं जिनमें तारीखें साफ-साफ नहीं पढ़ी जातीं। विभिन्न स्तरों पर भी जांच का काम निर्धारित किया गया है और टिकटों से सम्बन्धित अनाचारों से निपटने के लिए सभी संभव निवारक उपाय किये जाते हैं।

Shri Chandulal Chandrakar : Nowadays, especially in the summer season, the number of railway travellers has considerably increased. Most of the tickets are issued to the travelling agents, which has caused shortage of tickets for common railway passengers, and these travelling agents sell these tickets at a premium of Rs. 10/- to Rs. 15/- per ticket. I want to know from the hon. Minister whether Government is contemplating to take some

measures, with a view to check this practice of issuing tickets to the travelling agents, so that passengers may get their tickets direct without paying more money ?

Mr. Speaker : Question relates to used tickets.

श्री के० हनुमन्तैया : पूछे गये प्रश्न से इस प्रश्न का कोई सम्बन्ध तो नहीं है किन्तु मैं यह बता देना चाहता हूं कि इस समस्या का मुझे पता है। आज प्रातः ही मैं अपने मंत्रालय के सम्बद्ध अधिकारियों से इस समस्या के बारे में चर्चा कर रहा था। इन टिकटों का उपयोग करने वाले व्यक्तियों को पकड़ने का कार्य अत्यन्त कठिन है। फिर भी हम इस समस्या से निपटने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : रेलवे टिकटों और प्लेटफार्म टिकटों का दुरुपयोग करने का प्रश्न भी उठा है। आजकल रेलवे टिकटों को काटा नहीं जाता। एक ही प्लेटफार्म टिकट का "गेटकीपरों" और अन्य रेलवे कर्मचारियों के माध्यम से अनेक बार प्रयोग किया जा सकता है। वही टिकट दुबारा बेचे जाते हैं। इससे सरकार को ही हानि होती है। सब जगह यही हालत है। क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि ऐसा हो रहा है और क्या सरकार को भी पता है कि रेलवे प्लेटफार्म टिकटों को दुबारा, तिबारा अथवा कई बार बेचा जाता है ?

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न का उत्तर तो उन्होंने पहले ही दे दिया है। अब कोई अन्य प्रश्न करें। (**व्यवधान**) मेरी समझ में नहीं आता कि उनके द्वारा पहले किए गए प्रश्न से यह प्रश्न कैसे भिन्न है।

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : मंत्री महोदय इस बात के लिए बहुत उत्सुक हैं कि मैं मुख्य प्रश्न से उठने वाले मामले पर प्रश्न करूं। मंत्री महोदय ने हमें बताया है कि एक व्यक्ति पकड़ा गया है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न में कहा गया है, "···कि टिकटों की संख्या और तारीखें बदलने के बाद।"

Shri Chandulal Chandrakar : We have been told that one person has been held. Is it not the inefficiency of the Railway Authorities that inspite of misuse of railway tickets on such a large scale in Maharashtra and other places, only one person has been arrested ? So many persons are involved in the misuse of railway tickets and only one person has been arrested.

Mr. Speaker : The hon. Member, instead of giving information, should put a question. The hon. Minister should reply, in so far as the question of inefficiency is concerned.

श्री के० हनुमन्तैया : यह तो विचारों का मामला है और मैं उनके विचारों का आदर करता हूं।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें यह पता है कि कुछ स्वार्थी व्यक्तियों द्वारा उन ग्रामीणों को, जो टिकट में दिखाई गई राशि को पढ़ नहीं पाते हैं,

प्रयोग किए गए रेलवे टिकट देकर आमतौर पर ठगा जाता है। छोटे स्टेशनों पर वे इस बात की जांच नहीं करा पाते हैं। क्या ऐसे प्रबन्ध किये गए हैं जिससे कि ये ग्रामीण इस बात की जांच करा सकें ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसा प्रबन्ध किया गया है जिससे ग्रामीण सरकारी स्रोतों के माध्यम से अपने टिकटों की जांच कराएं ताकि उन्हें ठगा नहीं जा सके ?

श्री के० हनुमन्तैया : मूल प्रश्न से इस प्रश्न का कोई सम्बन्ध नहीं है।

वास्तविक उपयोक्ता लाइसेंसों का दुरुपयोग

*942. **श्री अण्णासाहिब गोटखिंडे** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसी फर्मों के नाम तथा पते क्या हैं जिन्होंने 1971 में उन लाइसेंसों का गलत उपयोग किया था जो उन्होंने वास्तविक उपभोक्ताओं की श्रेणी के अन्तर्गत प्राप्त किए थे ;

(ख) ऐसे लाइसेंसों की संख्या तथा मूल्य क्या हैं ; और

(ग) इन फर्मों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

वर्ष 1971 के दौरान आयात (नियन्त्रण) आदेश, 1955 के अन्तर्गत जिन पार्टियों को वंचित करने का दण्ड दिया गया था उनकी संख्या 393 थी। यह जानकारी कि उनमें से कितने वास्तविक प्रयोक्ता लाइसेंसधारी थे एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

जिन फर्मों के विरुद्ध जांच-पड़ताल के पश्चात् आयात (नियंत्रण) आदेश और निर्यात (नियंत्रण) आदेश के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है उनके नाम औद्योगिक लाइसेंसों, आयात लाइसेंसों और निर्यात लाइसेंसों के साप्ताहिक बुलेटिन में प्रकाशित किये जाते हैं, जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में रखी जाती हैं।

श्री अण्णासाहिब गोटखिंडे : विवरण में जिन फर्मों की कुल संख्या दी गई है उन्हें एक विशेष आदेश के प्रावदानों के अन्तर्गत दण्डित किया गया है। मैंने उन फर्मों के नाम और पते मांगे हैं, जिन्होंने लाइसेंसों का गलत उपयोग किया है। मेरा आशय यह है कि जिन मामलों में इन फर्मों को दण्ड दिया गया था वे 1971 से पहले के मामले हो सकते हैं। विवरण में लाइसेंसों के मूल्य के बारे में भी कुछ नहीं बताया गया है।

श्री एल० एन० मिश्र : जिन फर्मों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है उनके नाम साप्ताहिक बुलेटिनों में प्रकाशित किए जाते हैं और इन की प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। वास्तविक उपयोक्ताओं को लगभग 1,25,000 लाइसेंस जारी किये गये हैं और लगभग 900 मामलों में अभियोग लगाया गया है; यह एक प्रतिशत से भी कम है।

श्री अण्णासाहिब गोटखिंडे : मैं नामों के बारे में आग्रह नहीं कर रहा हूं। मेरे प्रश्न के

भाग (ख) में उल्लेख किया गया है कि "दुरुपयोग किये गये लाइसेंसों की संख्या तथा मूल्य क्या है"।

श्री एल० एन० मिश्र : यदि माननीय सदस्य विवरण को ध्यानपूर्वक देखें तो उसमें आंकड़े दिये गये हैं। दुरुपयोग किये गये लाइसेंसों के मूल्य के बारे में मैं सूचना एकत्र करूंगा और सभा-पटल पर रख दूंगा।

श्री अण्णासाहिब गोटखिंडे : ये महत्त्वपूर्ण आर्थिक अपराध हैं। क्या ऐसे मामलों में कठोर और निवारक दण्ड देने का विचार है ?

श्री एल० एन० मिश्र : लोगों को दो वर्ष तक के कारावास और जुर्माने की सज़ा मिलती है और कुछ मामलों में तो कारावास की न्यूनतम अवधि छः महीने भी होती है।

Shri R. S. Pandey : Some of the commodities, like nylon yarn, are being imported and disposed of in black market. Keeping this fact in view, is it proposed to set up a machinery or agency so that all this premium may go to Government ?

Shri L. N. Mishra : The hon. member wants Government to do black marketing. But Government will not indulge in blackmarketing. How can we take premium ? We can raise the prices. Taking premium would mean indulging in illegal practices. Those indulging in such illegal practices are arrested. It is another thing that some of them are acquitted. **(interruptions)**

Mr. Speaker : The hon. Minister may not agree, but you have given your information.

श्री ज्योतिर्मय बसु : केन्द्रीय जांच ब्यूरो के वर्ष 1971 के प्रतिवेदन के अनुसार, वर्ष के आरम्भ में आयात और निर्यात से सम्बन्धित अनिर्णीत मामलों की संख्या 188 थी और 84 नये मामले पंजीकृत हुए जिससे कुल संख्या 274 हो गई। क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि न्यायालयों में ले जाये गये मामलों में से ऐसे कितने मामले हैं जिन में अपराधियों को वास्तव में दण्ड दिया गया है और कितना दण्ड दिया गया है ?

श्री एल० एन० मिश्र : अपराधियों को कितनी सजा दी गई, दण्डित व्यक्तियों की संख्या और निपटाये गये मामलों की संख्या आदि के आंकड़े मेरे पास नहीं हैं। 327 फर्मों को वंचित किया गया है। 300 को निलम्बित किया गया है। 600 व्यक्तियों को सजा दी गई है। यह सजा 6 महीने से 2 वर्ष तक की दी गई है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरे विशिष्ट प्रश्न का उन्हें विशिष्ट उत्तर देना चाहिए। मैंने वही आंकड़े दिए हैं जो केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा 1971 के प्रतिवेदन में दिए गए हैं।

श्री एल० एन० मिश्र : यह जनवरी, 1971 तक हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा है, लाइसेंसों की कुल संख्या 1,25,000 है। कितनी पार्टियों को वंचित किया गया है, यह मैंने बता दिया है। कितनी पार्टियों को निलंबित किया गया है, यह भी मैं बता सकता हूं। निलंबित किये गये मामलों

की संख्या 65 है। विशेष पुलिस संस्थान को जांच के लिए सौंपे गये मामलों की संख्या 200 होगी मुकद्दमा चलाये गये मामलों की संख्या लगभग 200 से कुछ अधिक होगी। 100 मामलों में दोष सिद्धि हुई है। न्यायालय में लगभग 100 से कुछ अधिक मामले न्यायाधीन हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : उन्होंने जनवरी, 1971 के बारे में बताया है। लेकिन मैंने केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दिये गये वर्ष 1971 के अर्थात् 1 जनवरी, 1971 से 31 दिसम्बर, 1971 तक के आंकड़े दिये हैं। इनमें पर्याप्त अन्तर है।

श्री एल० एन० मिश्र : मेरे पास वह आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्रीमान्, इसी कारण हम आवेश में आ जाते हैं। यही कारण है कि हम इस सदन में कार्य करने में कठिनाई अनुभव करते हैं। यही वजह है कि हम विरोध प्रकट करते हैं। इसी कारण इस सदन में हंगामा खड़ा होता है। मंत्रीगण तैयार हो कर नहीं आते हैं और उन्हें कुछ नहीं कहा जाता है। पीठासीन अधिकारी उनको उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं करते हैं। ये हमारी कठिनाइयां हैं।

श्री पीलू मोदी : प्रश्न का भाग (क) अत्यन्त विशिष्ट है। 'वर्ष 1971 के लिए' जानकारी मांगी गई है और मंत्री महोदय खड़े होकर कहते हैं कि उनके पास जानकारी नहीं है।

श्री एल० एन० मिश्र : वर्ष 1971 के आंकड़े मैंने दिये हैं। माननीय सदस्य 31 दिसम्बर, 1971 तक के आंकड़े मांगते हैं। वह जानकारी मुख्य उत्तर में दे दी गई है कि 393 लोगों को वंचित किया गया है। वह दोष-सिद्धि आदि के बारे में और विस्तृत ब्यौरे जानना चाहते हैं जो इस समय मेरे पास नहीं हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह बात रिकार्ड में रख ली जाये कि मंत्री महोदय तैयार होकर नहीं आये हैं यद्यपि उन्हें इसके लिए ठीक 21 दिन पूर्व नोटिस दिया गया था। पीठासीन अधिकारी विवश हैं। हम विवश हैं। हम कोई जानकारी प्राप्त नहीं कर सके हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं मंत्री महोदय को सुझाव दे सकता हूं कि 31 दिसम्बर, 1971 तक की जानकारी सभा-पटल पर रख दी जाये।

श्री एल० एन० मिश्र : यदि सम्भव हुआ तो मैं मार्च तक की जानकारी प्राप्त करूंगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इस सत्र के समाप्त होने से पूर्व ही।

श्री पीलू मोदी : उसके पश्चात् यह पटल खाली होगा !

अध्यक्ष महोदय : हम इसकी अनुमति नहीं देंगे।

श्री जगन्नाथ राव : वास्तविक प्रयोक्ता लाइसेंसों को खुले बाजार में बेच दिया गया है और काला धन बनाने का यह एक सुगम साधन है। इस कदाचार से लड़ने और काले धन के उत्पन्न होने पर रोक लगाने के लिये क्या सरकार ने स्वयं अथवा खनिज धातु तथा व्यापार निगम अथवा राज्य व्यापार निगम के जरिये कच्चे माल का आयात करने और इसे वास्तविक प्रयोक्ताओं में वितरण पर विचार किया है ?

श्री पीलू मोदी : अथवा खुले बाजार में लाइसेंस को बेचने पर।

श्री एल० एन० मिश्र : मेरे माननीय मित्र जानते हैं कि इनमें से अधिकांश वस्तुएं सरकारी क्षेत्र के संगठनों, जैसे खनिज धातु तथा व्यापार निगम अथवा राज्य व्यापार निगम द्वारा आयात की जाती हैं जो इन्हें वास्तविक प्रयोक्ताओं में वितरित करते हैं। लेकिन इस स्थिति में कुछ मामले हैं जहां वास्तविक प्रयोक्ताओं में से कुछ ने अपने लाइसेंसों अथवा अपनी वस्तुओं को बेच दिया है। लेकिन उनकी प्रतिशतता बहुत कम है। वास्तविक प्रयोक्ताओं की संख्या, जिन्हें आयात लाइसेंस दिये गये हैं, 1,25,000 है और दोषी पाये गये लगभग 825 व्यक्ति हैं जिन पर मुकदमा चलाया जा रहा है। मेरे पास यह अब तक की जानकारी है। अधिकांश अलौह तथा दुर्लभ पदार्थों को सरकारी संगठनों जैसे खनिज तथा धातु व्यापार निगम अथवा राज्य व्यापार निगम के माध्यम से आयात किया जाता है।

श्री पीलू मोदी : क्या सरकार को इस बात का पता है कि 1000 करोड़ रुपये के मूल्य के आयात लाइसेंस जो वे भारत सरकार के विभिन्न लाइसेंसधारियों को जारी करते हैं, का बाजार मूल्य लगभग 2,500 करोड़ रुपये बैठता है ? यह अतिरिक्त भार है जो सरकार द्वारा जारी किए लाइसेंस के लिये उपभोक्ता को देना पड़ता है। आयात करने के लिये अथवा लाइसेंस जारी करने के लिए सरकार एक योजना पर क्यों विचार नहीं करती है कि इसे वे लोगों को नीलामी करके दें ताकि जो लोग लाइसेंस का पूरा बाजार मूल्य देने को तैयार हों, उन्हें ये प्राप्त हो जायें ? इससे लाइसेंसों के मामले में चोर बाजारी नहीं होगी तथा इससे अनियमित प्रक्रियाएं जो होती हैं, वे भी नहीं होंगी। क्योंकि खुले बाजार में एक लाइसेंस को लेकर उसे बाजार में बेचना किसी के लिये लाभदायक नहीं होगा।

श्री एल० एन० मिश्र : देश की एक अत्यन्त महत्वपूर्ण राजनीतिक पार्टी द्वारा बारम्बार दिये गये सुझावों में से यह एक सुझाव है। यदि हम लाइसेंसों की नीलामी करते हैं तो छोटे लोगों को लाइसेंस नहीं मिल सकेगा। अत: इस सुझाव को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

गैर परम्परागत वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि

*943: **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में गैर-परम्परागत वस्तुओं के निर्यात में कितनी वृद्धि हुई है ;

(ख) क्या चौथी योजना में इन वस्तुओं के निर्यात का कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ; और

(घ) क्या वह लक्ष्य प्राप्त होना सम्भावित है ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) से (घ) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) प्रमुख अपरम्परागत वस्तुओं के भारत के निर्यात

(मूल्य लाख रु० में)

क्रमांक	मदें	1968-69	69-70	70-71	68-69 की तुलना में 70-71 में प्रतिशतता परिवर्तन	अप्रैल नवम्बर 70	अप्रैल नवम्बर 71	अप्रैल-नवम्बर 70 की तुलना में अप्रैल-नवम्बर 71 में प्रतिशतता परिवर्तन
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	इंजीनियरी वस्तुएं	6742	8952	11647	+ 72.7	6664	7618	+ 14.3
	(क) परिवहन उपकरण	1640	1677	3095	+ 88.7	1737	1872	+ 7.8
	(ख) गैर-विद्युतीय मशीनें	1395	2404	2808	+101.3	1683	1818	+ 8.0
	(ग) विद्युतीय मशीनें	1328	1455	1608	+ 21.1	905	1355	+ 49.7
	(घ) धातु से बनी वस्तुएं	2217	3210	3880	+ 75.0	2182	2358	+ 8.1
2.	लौह अयस्क	8840	9462	11728	+ 32.7	7458	6239	— 16.3
3.	लोहा तथा इस्पात	7445	7716	7923	+ .4	5435	3050	— 43.9
4.	हस्तशिल्प की वस्तुएं	6903	7329	6986	+ 1.2	4741	5322	+ 12.2
	(क) मोती, मूल्यवान तथा अर्द्ध-मूल्यवान रत्न, तराशे और बिना तराशे	4476	4388	4188	— 6.4	2832	3304	+ 16.7

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	(ख) हस्त-निर्मित कालीन	1145	1166	1057	— 7.7	650	806	+ 24.0
5.	चमड़ा तथा चमड़े की वस्तुएं (जिसमें चमड़ियाँ तथा कच्ची खालें शामिल नहीं हैं) जिसमें चमड़े तथा केनवास के जूते शामिल हैं।	8178	9055	8343	+ 2.0	5348	6346	+ 18.7
6.	रसायन तथा सह उत्पाद।	1751	2219	2936	+ 67.7	1726	1898	+ 10.0
7.	मछली तथा मछली से बने उत्पाद।	2217	3083	3128	+ 41.1	2151	2472	+ 14.9
8.	चीनी	1010	856	2757	+173.0	1489	2578	+ 73.1
9.	लकड़ी, काठ-कबाड़ और कार्क से बनी वस्तुएं।	495	784	762	+ 53.9	514	572	+ 11.3
10.	खनिज ईंधन, स्नेहक और सम्बद्ध सामग्री	1210	949	1258	+ 4.0	988	599	— 39.4
11.	रबड़ से बनी वस्तुयें।	471	493	705	+ 49.7	429	557	+ 29.8
12.	कागज तथा गत्ता।	514	488	541	+ 5.3	379	231	— 39.1
13.	प्लास्टिक तथा प्लास्टिक से बनी वस्तुएं।	287	515	498	+ 73.5	281	190	— 32.4
14.	लौह मैंगनीज़ तथा लौह धातुएं	448	959	1139	+154.2	791	229	— 71.0
15.	सूती परिधान	333	548	862	+158.8	521	777	+ 49.1

	2	3	4	5	6	7	8	9
16.	अन्य सूती वस्तुएं	1433	1299	1709	+ 19.3	1067	993	— 6.9
17.	नकली रेशम, संश्लेषित रेशों और काते हुए कांच के वस्त्र।	350	359	524	+ 49.7	318	529	+ 66.3
18.	हथकरघा के रेशमी वस्त्र	375	524	383	+ 2.1	270	248	— 8.1
	उपरोक्त का योग	49002	55590	63829	+ 30.2	40570	40448	— 0.3
	निर्यातों का महायोग	135787	141328	153516	+ 13.1	99793	105232	+ 5.4
	कुल निर्यातों में अपरम्परागत वस्तुओं की प्रतिशतता	36.1	39.3	41.6		40.6	38.4	

टिप्पणी—नवम्बर 70 से निर्यात आंकड़े इस अवधि के दौरान प्राप्त कम तथा रोके गये निर्यातों की विवरणी के अनुसार समायोजन के पश्चात् पोत लदान बिल की मूल प्रति पर आधारित है। इस लिए, अक्तूबर, 1970 से पूर्व की अवधि के निर्यात आंकड़ों से जो अन्तिम रूप से मंजूर किये गये पोत लदान बिलों पर आधारित थे इनकी तुलना नहीं की जा सकती।

(ख) तथा (ग) चौथी योजना में 1973-74 के लिए निम्नलिखित तीन प्रमुख अपरम्परागत मदों के सम्बन्ध में 1973-74 वर्ष के लिये निर्धारित निर्यात लक्ष्य इस प्रकार है :

समुद्री उत्पाद	—	48 करोड़ रु०
लौह अयस्क	—	155 करोड़ रु०
धातुओं सहित इंजीनियरी वस्तुयें	—	190 करोड़ रु०

(घ) इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है और की जाती रहेगी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : श्रीमान्, प्रश्न को पूछने से पूर्व मैं आपका ध्यान यहां पर दिये गये आंकड़ों में एक गम्भीर विसंगति की ओर दिलाना चाहूँगा, जिसके आधार पर हमें प्रश्नों को पूछना होता है। इस विवरण में वर्ष 1968-69, वर्ष 1969-70 और वर्ष 1970-71 की इंजीनियरी वस्तुओं

के निर्यात के आंकड़े दिये गये हैं । ये आंकड़े चार प्रश्नों के बाद वाले तारांकित प्रश्न संख्या 947 के उत्तर में दिये गये एक विवरण में इंजीनियरी वस्तुओं के निर्यात के दिये गये आंकड़ों से पूर्णत: भिन्न हैं । उदाहरण के लिए, उस विवरण में वर्ष 1968-69 के लिये आपने इंजीनियरी वस्तुओं का मूल्य 84.97 करोड़ रुपये दिखाया है जबकि इस विवरण में उनका मूल्य 67.42 करोड़ रुपये दिखाया गया है । वर्ष 1969-70 के लिए उस विवरण में आंकड़े 106.50 करोड़ रुपये के हैं, जबकि इस विवरण में आंकड़े 89.52 करोड़ रुपये के दिये गये हैं। मुझे नहीं मालूम कि किस प्रकार आगे बढ़ा जाये ।

श्री पीलू मोदी : वह भी नहीं जानते हैं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यहां पर दिये गये लौह अयस्क के आकड़ों के बारे में जो सभी के लिए विश्वसनीय नहीं हैं, यह आंकड़े दर्शाते हैं कि लौह अयस्क के निर्यात के मूल्य में वर्ष 1970-71 के बीच 16.3 प्रतिशत तक कमी हुई है । मैं उनसे जानना चाहता हूं कि इस कमी का कारण क्या है ? क्या यह इस कारण है कि जापानी, जो हमारे मुख्य ग्राहक हैं, अब अपनी मांग को कम कर रहे हैं अथवा यह किसी और कारण से है ? दूसरे, जब लौह अयस्क का निर्यात लक्ष्य वर्ष 1973-74 के लिए 155 करोड़ रुपये का रखा गया है तो यह किस आधार पर रखा गया है ? क्या यह जापानियों को कम मूल्य पर बेचने के आधार पर रखा गया है ताकि वे अधिक खरीद सकेंगे अथवा क्या मंत्री महोदय किसी वैकल्पिक स्रोत पर निर्भर हैं जिससे भविष्य में वे निर्यात कर सकेंगे ?

श्री एल० एन० मिश्र : आकड़ों में असंगति के बारे में जबकि श्री इन्द्रजीत गुप्त ने प्रश्न संख्या 943 में सम्पूर्ण इंजीनियरी उद्योग के बारे में जानकारी पूछी है, प्रश्न संख्या 947 में सिलाई की मशीनों, साइकिलों आदि का उल्लेख किया गया है । इसी कारण यह असंगति दिखाई पड़ती है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यदि आप प्रश्न संख्या 947 के विवरण को देखें तो आपको पता चलेगा कि वहां पर क्या लिखा हुआ है । उसमें कहा गया है, "इंजीनियरी वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि हो रही है जैसा नीचे दिए गये निर्यात आंकड़ों से पता चलेगा ।" सिलाई की मशीनों और साइकिलों के आंकड़े अलग से दिये गये हैं । प्रथम सेट के आंकड़े इंजीनियरी वस्तुओं के निर्यात से सम्बन्धित हैं ।

श्री एल० एन० मिश्र : ये आंकड़ साइकिलों और सिलाई की मशीनों के हैं ।

लौह अयस्क के निर्यात के बारे में पिछले वर्ष से जापानी बाजार में व्यापारिक मन्दी चल रही है और यह कमी जारी है । जापान को भेजे जा रहे लौह अयस्क के हमारे निर्यात में पर्याप्त कमी हुई है । हम नई मंडियों की खोज में हैं । इस सदन को सूचना देते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि पश्चिम यूरोप में कुछ ग्राहकों को ढूंढ लिया गया है । पश्चिम यूरोप में अब तक हमारा लौह अयस्क नहीं बेचा जाता था । हाल ही में हमने जर्मनी, इटली और फ्रांस में भी कुछ ग्राहकों को ढूंढ लिया है । इन देशों के साथ हम समझौता करने का प्रयास कर रहे हैं । मुझे आशा है कि हम चौथी योजना में दिये गये लक्ष्य को प्राप्त करने में समर्थ हो सकेंगे । जापानी बाजार में व्यापारिक मन्दी होने के कारण जहां तक लौह अयस्क के निर्यात का सम्बन्ध है, पिछला वर्ष वास्तव में एक अच्छा वर्ष नहीं सिद्ध हुआ है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मेरे विचार से मंत्री महोदय द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण से आप संतुष्ट नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न आपके संतुष्टीकरण का है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आपके संतुष्टीकरण का है, मेरे नहीं। यदि आप संतुष्ट हैं तो यह पर्याप्त है। उन्हें इस सदन को गलत आंकड़े नहीं देने चाहिएं। यदि कोई गलती है तो वह इसे ठीक कर सकते हैं। गलती को मान लेना कोई बुरी बात नहीं है।

मेरा दूसरा प्रश्न यह है। अपरम्परागत वस्तुओं की इस सूची में मुझे सिनेमा फिल्मों का कोई उल्लेख नहीं दिखाई दिया है, जो मेरे विचार से अपरम्परागत वस्तुयें ही हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि भारतीय चलचित्र निर्यात परिषद ने विदेशों में विभिन्न देशों को बड़ी संख्या में भारतीय फिल्मों को बेचने में अच्छा कार्य किया है और उनके लिए बहुत अच्छे मूल्य प्राप्त किये हैं ? यदि ऐसा है तो मैं जानना चाहता हूं कि अपने मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा के समय उत्तर में उन्होंने यह क्यों कहा है कि भारतीय चलचित्र निर्यात परिषद का कार्य संतोषजनक नहीं है। इन दो बातों का वह किस तरह समाधान करते हैं ?

श्री एल० एन० मिश्र : जहां तक भारतीय चलचित्र निर्यात परिषद का सम्बन्ध है, मैंने कहा है कि यह शत-प्रतिशत सरकारी संगठन नहीं है। इसमें गैर-सरकारी अंशधारी भी हैं। मैंने यह कहा था कि हम कुछ कठिनाइयां अनुभव करते हैं और इसके कार्य में सुधार करना होगा। उच्च न्यायालय का एक निर्णय हुआ था जिसने हमें निर्यात को अपने हाथ में लेने से रोक रखा है। मैंने केवल यही कहा है कि इसके सुधार के लिए गुंजायश है। मुझे प्रसन्नता है कि श्री इन्द्रजीत गुप्त ने उनकी प्रशंसा की है। भारतीय चलचित्र निर्यात परिषद के साथ मुझे कोई शिकायत नहीं है। पूरे संगठन के पुनर्गठन की जरूरत है तथा इसके आत्म-निर्भर होने और इसे अधिक पूंजी देने तथा इसमें गैर-सरकारी अंशधारियों को निकालने की आवश्यकता है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उनके निर्यात में अब वृद्धि हुई है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उनके निर्यात के मूल्य में वृद्धि हुई है ?

श्री एल० एन० मिश्र : उन्होंने अच्छा कार्य किया है। कुछ देशों में, जैसे पश्चिम यूरोप में, सोवियत संघ में, पूर्व यूरोपीय देशों में भारतीय फिल्मों की मांग बहुत है। परिसीमाओं के कारण भारतीय चलचित्र निर्यात परिषद मांग को पूरा करने में असमर्थ है। यही वजह है कि मैंने कहा है कि इसका पुनर्गठन करने की जरूरत है। भारतीय चलचित्र निर्यात परिषद के साथ मुझे कोई शिकायत नहीं है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : वास्तव में, गलत आंकड़े देने के लिए हम मंत्री महोदय का धन्यवाद करते हैं।

क्या मंत्री महोदय हमें यह बताने की कृपा करेंगे कि निर्यात को बढ़ाने के उनके दावे की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

"गैट (अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार, 1967) द्वारा किये गये सर्वेक्षण के अनुसार, विकासशील देशों में इंजीनियरी उत्पादन 1955 और 1966 के बीच के वर्षों में 10 प्रतिशत से अधिक बढ़ा है लेकिन यह अभी तक सम्पूर्ण मात्रा में थोड़ा रहता है और इसका हिस्सा विश्व के कुल भाग में 2 प्रतिशत से अधिक नहीं बढ़ा है।"

श्री एल० एन० मिश्र : जब मेरे मंत्रालय की मांगों पर चर्चा हो रही थी तब उन्होंने इसी प्रकार के प्रश्न को उठाया था। मैंने उन्हें बताया था और फिर बता रहा हूं कि हमें बताने की अपेक्षा उन्हें इसे विकसित देशों को बताना चाहिए। क्या हम इसके लिए उत्तरदायी हैं ? हमने 'अंकटाड' की कार्यवाही को देखा है कि विकसित देशों ने किस प्रकार का व्यवहार किया है। उन्होंने प्रशुल्क बढ़ा दिया है; उन्होंने बहुत सी अड़चनें डाली हैं और सभी कुछ किया है। यही मुख्य कारण है। बड़े देशों द्वारा अड़चनें डाली गई हैं। मुख्य कठिनाई यही है। आपको इसे समझने का प्रयास करना चाहिए। विकसित देश हमारे रास्ते में आ रहे हैं।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : सोवियत संघ के साथ करार होने के पश्चात् क्या यह हमारे लिए संभव होगा कि सोवियत संघ को अपरम्परागत वस्तुओं का अधिक निर्यात किया जाये ?

श्री एल० एन० मिश्र : आयात हेतु अपरम्परागत वस्तुओं और कुछ नई वस्तुओं के लिए नये उपबंधों में काफी गुंजायश है।

श्री पी० वेंकटासुब्बया : विवरण से पता चलता है कि हथकरघा के रेशमी वस्त्रों के निर्यात में काफी गिरावट हुई है। श्रीमान्, देश में हथकरघा उद्योग हमारे मुख्य उद्योगों में से एक है। मैं जानना चाहता हूं कि मंत्री महोदय का विचार अन्य मंडियों का पता लगाने का है जहां हथकरघा की इन वस्तुओं को लाभ के साथ बेचा जा सके जिससे हथकरघों पर निर्भर रहने वाले लाखों लोगों की सहायता की जा सके ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न अपरम्परागत वस्तुओं के बारे में है।

श्री एल० एन० मिश्र : सौभाग्य से इस वर्ष रेशम के निर्यात में वृद्धि हुई है। रेशम के निर्यात के लिए पिछला वर्ष एक अच्छा वर्ष नहीं था जब अमरीका जैसे देश ने अपने आयात को कम कर दिया। सौभाग्य से यह वर्ष रेशम के निर्यात के लिए एक अच्छा वर्ष है।

श्री समर गुह : अनुबंध से मुझे पता चलता है कि चीनी के निर्यात में वर्ष 1968 से 1971 तक दुगुने से अधिक वृद्धि हुई है। वस्तुतः, चीनी के निर्यात में ढाई गुना वृद्धि हुई है। देश में चीनी की सप्लाई में काफी कमी है जिसके परिणामस्वरूप चीनी के मूल्यों में वृद्धि हुई है तो क्या सरकार की नीति विदेशी मुद्रा अर्जित करने के उद्देश्य से विदेशों को अधिक चीनी का निर्यात करने और यहां पर देश को मांग की उपेक्षा करने तथा चीनी के मूल्यों को बढ़ने देने की है ?

श्री एल० एन० मिश्र : इसके लिए निर्यात और आयात नीति का ध्यान रखना पड़ता है। यदि प्रो० गुहा ने पिछली जुलाई को सभा-पटल पर रखे गये निर्यात नीति संकल्प को ध्यानपूर्वक देखा है तो एक समय ऐसा आता है जब देशीय खपत को नियंत्रित करके निर्यात करना पड़ता है। अधिकांश विकसित देशों की यही आर्थिक नीति है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : श्रीमान्, आपने इस बारे में कुछ नहीं कहा है। यदि आप इन दो चार्टों को देखें, तो वे चार्ट स्पष्टतया परस्पर विरोधी हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे देखूंगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वे बिलकुल परस्पर विरोधी हैं। आप कृपया उनको इसे देखने के लिए और इसे यथाशीघ्र ठीक करने के लिए कहें।

अध्यक्ष महोदय : वास्तव में मैं स्वयं इनको देखूंगा और बाद में मैं उन्हें देखने के लिए कहूंगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अब हम प्रश्न पूछ रहे हैं। हम इन दो विवरणों में से किसको लेकर आगे चलें ? 943 अथवा 947 ?

अध्यक्ष महोदय : मैं स्वयं इसे देखने जा रहा हूं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : जो भी हो, मैं एक विशेषाधिकार प्रस्ताव रखूंगा।

नारियल जटा बोर्ड का अन्तर्राष्ट्रीय मेलों में भाग लेना

*945. **श्री वयालार रवि** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970 के पश्चात् नारियल जटा बोर्ड ने कितने अन्तर्राष्ट्रीय मेलों में भाग लिया तथा नारियल जटा से बनी वस्तुओं का प्रदर्शन किया ; और

(ख) उन पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई तथा इन मेलों में नारियल जटा से बनी वस्तुओं के कितने मूल्य के आर्डर प्राप्त हुए ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) 1970-71 तथा 1971-72 के दौरान कयर बोर्ड ने विदेशों में 41 मेलों में भाग लिया।

(ख) उस पर 61,749 रु० की धनराशि खर्च हुई। कयर बोर्ड के इन मेलों में भाग लेने के फलस्वरूप मिले निर्यात क्रयादेशों का ठीक-ठीक आकलन नहीं किया जा सकता क्योंकि बोर्ड के प्रतिनिधियों को इन मेलों में नहीं भेजा जाता।

श्री वयालार रवि : अपने उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया कि नारियल जटा बोर्ड को कितने क्रयादेश प्राप्त हुए। इसका ठीक ठीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता और उन्होंने कहा कि यह प्रचार का मामला है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि नारियल जटा के निर्यात को बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है और वह कौन से प्रचार साधनों को अपना रहे हैं ? मैं उनसे यह भी जानना चाहता हूं कि क्या ऐसी कोई शिकायत मिली है कि इन मेलों में प्रदर्शन के लिए प्राप्त हुए नारियल जटा की वस्तुओं को एक कोने में रखा गया था ? नारियल जटा की वस्तुओं के लिए प्रभावी प्रचार के लिए सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री ए० सी० जार्ज : सीमित धन के कारण हम मेले में भली प्रकार सम्मिलित नहीं हो सके। नारियल जटा बोर्ड के पास ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मेलों में सम्मिलित होने के लिए पर्याप्त धन नहीं होता जहां बहुत अधिक खर्च होना होता है; तो भी हमने वहां अच्छा काम किया है। हम उत्पादों का

निर्यात करते हैं और पुस्तिकाओं एवं आकर्षक प्रचार सामग्री का प्रयोग भी करते हैं। भारत के निर्यात के बारे में भारतीय मंडी में बेशक नकली वस्त्रों से हमारा मुकाबिला है, तो भी हमारे निर्यात आंकड़े निराशाजनक नहीं हैं। वास्तव में निर्यात में वृद्धि हुई है। इस वर्ष का निर्यात अब तक का रिकार्ड, अर्थात् 14.85 करोड़ रुपये का रहा है। यदि नारियल जटा बोर्ड को प्रदर्शन कार्यों के लिए अधिक धन उपलब्ध नहीं किया जाता, तो बोर्ड सीधे बड़े पैमाने पर निर्यात कार्य नहीं कर सकता।

श्री वयालार रवि : मंत्री महोदय ने गलत जानकारी दी है। मेरे पास नारियल जटा बोर्ड की पत्रिका है। इसमें अप्रैल, 1971 के आंकड़े दिए गए हैं, जो कि एक करोड़ रुपये के हैं और अप्रैल 1972 की राशि 89 लाख रुपये दी गई है। उन्होंने कहा कि निर्यात अधिकतम रहा है, परन्तु बात उलटी ही है। क्या नारियल जटा बोर्ड पश्चिमी देशों से अधिक क्रयादेश प्राप्त करने के लिए अधिक प्रचार कार्य करेगा ? हम विदेशों में क्या प्रचार कार्य कर रहे हैं ?

श्री ए० सी० जार्ज : मैं कह नहीं सकता कि उन्होंने कहां से उद्धरण दिए हैं। मैं मात्रानुसार आंकड़े देता हूँ। उनकी मात्रा 52,22,176 थी और उपलब्धि 13.873 करोड़ रुपये थी। वर्ष 1971-72 में 5,24,091 थी और विदेशी मुद्रा की उपलब्धि 14.851 करोड़ रुपये थी। निर्यात के यह नवीनतम आंकड़े हैं।

श्री वयालार रवि : मात्रा कम है।

श्री ए० सी० जार्ज : 1971-72 में मात्रा 5,4,000 थी और 1970-71 में 5,20,00, अर्थात् 2000 अधिक है। उन्होंने पश्चिमी देशों को निर्यात के बारे में पूछा है। पिछले वर्ष के आंकड़े 98 लाख रुपये के हैं जिसमें से 12 लाख रुपये के, रुपयों में अदायगी के क्रयादेश थे। मुक्त विदेशी मुद्रा के आंकड़े 87 लाख रुपए हैं। यह सराहनीय बात है कि अधिकतर निर्यात मुक्त विदेशी मुद्रा-क्षेत्रों को किया गया है।

निर्यात-प्रधान इंजीनियरी वस्तुओं के लिए बेहतर किस्म नियन्त्रण के उपाय

+

*947. **श्री नवल किशोर सिंह :**

श्री हरी सिंह :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियरी की वस्तुओं, विशेष कर सिलाई की मशीनों और साईकलों का निर्यात इनके घटिया किस्म होने के कारण कम हो गया है ;

(ख) क्या इन वस्तुओं की भारतीय निर्यात मंडियों पर ताइवान, हांगकांग, मलयेशिया, सिंगापुर और दक्षिण-पूर्व एशिया के अन्य देश शनैः शनैः अधिकार करते जा रहे हैं ; और

(ग) यदि हाँ, तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन वस्तुओं के निर्यात में कमी न हो, बेहतर किस्म नियंत्रण लागू करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) से (ग) निर्यातों में कमी क्वालिटी

में कोई खराबी होने के कारण नहीं हुई है । मांग में जो परिवर्तन आते हैं, कभी-कभी उनका कारण डिजाइन सम्बन्धी बातें होती हैं ।

गत तीन वर्षों के दौरान फरवरी, 1972 तक हुए निर्यातों के मूल्य दर्शाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) जी नहीं ।

गत तीन वर्षों के दौरान इन्जीनियरी माल के निर्यात बढ़ते रहे हैं जैसा कि नीचे दिये गये निर्यात आंकड़ों से प्रकट है :—

1968-69	84.97 करोड़ रु०
1969-70	106.50 करोड़ रु०
1970-71	116.59 करोड़ रु०
1971-72	109.60 करोड़ रु०

(अप्रैल-फरवरी, 72)

इसी प्रकार, साईकिलों और साईकिल संघटकों के निर्यात में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है । गत चार वर्षों के निर्यात आंकड़े इस प्रकार हैं :—

1968-69	3.82 करोड़ रु०
1969-70	4.67 करोड़ रु०
1970-71	6.91 करोड़ रु०
1971-72	6.93 करोड़ रु०

(अप्रैल-जनवरी)

सिलाई मशीनों के निर्यात आंकड़े इस प्रकार हैं :—

1968-69	53.69 लाख रु०
1969-70	85.64 लाख रु०
1970-71	16.71 लाख रु०
1971-72	40.80 लाख रु०

(अप्रैल-फरवरी)

वर्ष 1970-71 में जो अत्यधिक गिरावट आई उसका कारण उत्पादों की क्वालिटी घटिया होना नहीं था अपितु उसका कारण श्रमिकों की ओर से गड़बड़ें थीं जिनके फलस्वरूप एक प्रमुख निर्यातक फर्म के कारखाने में काफी समय तक उत्पादन बन्द रहा ।

(ख) इन्जीनियरी माल के निर्यात के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धा का सामना किया जा रहा है।

(ग) वेहतर क्वालिटी नियन्त्रण लागू करने के प्रयोजनार्थ अब तक सिलाई मशीनों, साईकिलों और साईकिल पुर्जों सहित 58 महत्वपूर्ण इन्जीनियरी मदों को अनिवार्य क्वालिटी नियन्त्रण तथा लदानपूर्व निरीक्षण योजना के अन्तर्गत लाया गया है। ऐसे माल के निर्यात केवल भारत सरकार द्वारा मान्य विशिष्टियों के आधार पर ही करने दिये जाते हैं जिनमें इस प्रयोजन के लिए निर्धारित न्यूनतम मानक के अधीन रहते हुए, खरीददारों की विशिष्टियां भी शामिल होती हैं।

श्री नवल किशोर सिंह : मुझे उम्मीद है कि मंत्री महोदय श्री इन्द्रजीत गुप्त द्वारा कथित असंगति को दूर करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : आप इस पर विचार करने के पश्चात् विवरण सभा-पटल पर रख सकते हैं। इस संदेह को दूर करना चाहिये। असंगति के कुछ कारण हो सकते हैं, परन्तु क्योंकि श्री इन्द्रजीत गुप्त और श्री नवल किशोर सिंह उत्सुक हैं, अतः सभा-पटल पर विवरण रखा जाना चाहिए।

श्री एल० एन० मिश्र : मैं ऐसा करूंगा।

श्री नवल किशोर सिंह : किसी ने कहा है कि प्रथम भारतीय उत्पाद बाजार बनाता है, दूसरा बाहर भेजा जाता है और तीसरा इसको समाप्त कर देता है।

क्या इस बात को देखते हुए, मंत्री महोदय इस माल के लिये किस्म-नियन्त्रण तथा माल भेजे जाने से पहले निरीक्षण की व्यवस्था करेंगे ?

श्री एल० एन० मिश्र : हमारा एक संगठन है जो साईकिलों, सिलाई की मशीनों समेत 53 वस्तुओं की किस्म की बाहर भेजे जाने से पहले जांच करता है।

श्री नवल किशोर सिंह : मंत्री महोदय ने दावा किया है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के होते हुए भी इन्जीनियरिंग माल का निर्यात हो रहा है। उन्होंने आंकड़े बताते हुए यह सिद्ध करने की चेष्टा की है कि निर्यात में कमी नहीं आई। परन्तु इस बात पर ध्यान देते हुए कि अन्तर्राष्ट्रीय मंडियों में पिछले तीन वर्षों में मांगों के बढ़ने से, यदि उन्हें पता है तो बताएंगे कि वर्ष 1968-69 और 1971-72 में मेरे मूल प्रश्न में उल्लेख किये सामान का कितना निर्यात हुआ था ?

मैं जानना चाहता हूं कि इन वस्तुओं का निर्माण करने वाले, विशेषतः पिछड़े क्षेत्रों के उद्योगों को, निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कुछ वित्तीय सहायता देंगे ?

श्री एल० एन० मिश्र : जहां तक वित्तीय सहायता का प्रश्न है, निर्यात करने वाली पार्टियों ने, प्रोत्साहन अथवा प्रतिपूर्ति के रूप में कोई मांग नहीं की है। साईकिलों और सिलाई की मशीनों की स्थिति अच्छी है और हम उनका निर्यात मध्य-पूर्वी देशों को करते हैं और हमारी साईकिलें अमरीका जाती हैं। सिलाई मशीनें तथा साईकिलें सुदूर-पूर्व के देशों को भी जाती हैं। आज तक हमें मूल्य के बारे में कोई कठिनाई नहीं हुई। हमारे मूल्य प्रतिस्पर्धात्मक हैं और यदि हम अनुभव करते हैं कि कोई प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, तो हम इसमें संकोच नहीं करेंगे।

रबड़ की खेती

*949. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में रबड़ की खेती के परम्परागत क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में इसकी खेती करने की केन्द्र की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में कटछल द्वीप में वाणिज्यिक आधार पर रबड़ बागान की एक योजना पुनर्वास विभाग द्वारा प्रारम्भ की गई है। दक्षिणी अंडमान में 500 एकड़ भूमि पर एक रबड़ गवेषणा-सह-विकास केन्द्र भी स्थापित किया गया है।

श्री एस० ए० मुरुगनन्तम : मैं जानना चाहता हूं कि क्या अंडमान के अतिरिक्त देश के अन्य भागों में भी इसकी खेती की सम्भावनाओं की खोज की गई है ?

श्री ए० सी० जार्ज : क्योंकि प्रश्न सर्वथा रबड़ उत्पादक क्षेत्रों तक सीमित था मैंने केवल अंडमान का उल्लेख किया। चौथी योजना के दौरान 39000 हैक्टेयर में बड़े पैमाने पर रबड़ की खेती करने का कार्यक्रम है। क्षेत्रवार आंकड़े इस प्रकार हैं :

केरल	—	49420	एकड़
मैसूर	—	29650	,,
अंडमान	—	11125	,,
तमिलनाडु	—	4940	,,
आसाम, त्रिपुरा और गोवा	—	1235	,,

पहले के आंकड़े 96,365 एकड़ के हैं।

Shri Bibhuti Mishra : Have the Government done experiment to see whether rubber can be produced in plateau of Chhota Nagpur and North Bihar ; if it can be produced there, then whether the government propose to produce rubber there ?

श्री ए० सी० जार्ज : मैं नहीं समझता कि उक्त क्षेत्र जलवायु के अनुसार उपयुक्त होगा, फिर भी इन सुझावों पर आगे विचार किया जा सकता है।

श्री वयालार रवि : जहाँ तक रबड़ बोर्ड के क्रियाकलापों का प्रश्न है, वह पीछे रह गये हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या कुछ विकसित देशों के साथ रबड़ के सम्बन्ध में अनुसंधान के लिए कोई करार किया गया है ?

श्री ए० सी० जार्ज : रबड़ बोर्ड में एक सुप्रतिष्ठित अनुसंधान संस्थान हैं। उसके कार्य का परीक्षण परिणाम प्रति हैक्टेयर उत्पादन से देखा जा सकता है जो कि वर्ष 1965-66 में 440 किलोग्राम था और वर्ष 1970-71 में 653 किलोग्राम हो गया है।

Decline in India's Trade Abroad

+

*952. **Shri S. C. Samanta :**
Shri Ishwar Chaudhry :

Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether India's trade with foreign countries has declined ;

(b) If so, the reasons therefor ; and

(c) the percentage by which the foreign trade in 1971-72 declined as compared to 1970-71 ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) जी नहीं ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

श्री एस० सी० सामंत : मंत्री महोदय ने कहा है कि कोई कमी नहीं हुई । 1970-71 और 1971-72 में आयात और निर्यात में कितनी वृद्धि हुई है ?

श्री एल० एन० मिश्र : पहले की अपेक्षा 1400 करोड़ रुपयों में बढ़कर लगभग 1600 करोड़ रुपयों का आयात-निर्यात हुआ है ।

श्री एस० सी० सामंत : क्या व्यापार असंतुलन कम हुआ है और यदि हाँ तो कहाँ तक ?

श्री एल० एन० मिश्र : गत वर्ष व्यापार के लिए अच्छा रहा तथा आयात-निर्यात में 473 करोड़ रुपये का अन्तर घटकर केवल 90 करोड़ रुपये रह गया है । किन्तु सम्भवत: इस वर्ष ऐसा नहीं होगा ।

Limit on Fees Charged by Advocates of Supreme Court and High Courts

*954. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **Law and Justice** be pleased to state :

(a) whether the fees charged by the Advocates of Supreme Court and various High Courts range between rupees one thousand and rupees five thousand per day ;

(b) whether Government are aware that poor people are unable to pay the fees for securing the services of the advocates for pleading their cases in the courts ; and

(c) if so, whether Government propose to put a limit on the fees charged by the Advocates ?

The Minister of State in the Ministry of Law and Justice (Shri Nitiraj Singh Chaudhary) : (a) Yes Sir. It is true that fees charged by some advocates of the Supreme Court and various High Courts do exceed Rs. 1,000/- per day. In few cases it may range upto Rs. 5,000/- per day.

(b) Yes, Sir.

(c) No, Sir.

Shri Bibhuti Mishra : Nowadays much emphasis is being laid on ceilling on urban property and land. Courts and lawyers are the creations of the government. May I know the reasons for which ceilling is not imposed on the fees charged by lawyers ?

Shri Nitiraj Singh Chaudhary : This suggestion will be considered.

Shri Bibhuti Mishra : Our constitution envisages social justice and the hon. Minister says that it would be considered. May I know whether government would consider if after the poor people became the victims of this exploitation ?

Mr. Speaker : The hon. Minister has said that they would consider over it.

Shri Bibhuti Mishra : Will they consider it when poor people will not remain in this world ? Have they laid down any time limit for this purpose ?

Mr. Speaker : Lawyers and Doctors are beyond control.

Shri Atal Bihari Vajpayee : May I know whether there is any proposal under consideration of the Government to provide legal assistance to the poor people in High Courts and Supreme Court, so that their cases could be pleaded properly ?

Shri Nitiraj Singh Chaudhary : This matter is under consideration of the Joint committee in connection with the Advocates (Amendment) Bill. They have received proposals which are being considered by them.

श्री एस० एम० बनर्जी : अध्यक्ष महोदय, कलकत्ता में जब डाक्टरों ने बहुत अधिक फीस लेनी आरम्भ कर दी तो नक्सलवादियों ने उन्हें कुछ पत्र लिखे तथा डाक्टरो ने तुरन्त अपनी फीस कम कर दी थी । मैं यह नहीं चाहता कि इस मामले में वही तरीका अपनाया जाए, किन्तु मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या वह इस बारे में विचार करेंगे कि...

अध्यक्ष महोदय : आपने सुझाव तो दे ही दिया है ।

श्री एस० एम० बनर्जी : महोदय ! यह सुझाव नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : यदि इस सदन में कोई व्यक्ति मारा जाए तो उसके लिये आप उत्तरदायी होंगे ।

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या मंत्री महोदय इस सुझाव पर विचार करेंगे कि बार एसोसियेशन के साथ कोई बैठक की जाए ? कुछ वकील बहुत उदार हृदय हैं । वे बिना फीस लिए भी मामलों की पैरवी करते हैं यद्यपि उनकी फीस सामान्यत: 1800 रुपये के लगभग होती है । अत: क्या यह सम्भव है कि उनके साथ कोई बैठक की जाए तथा फीस की उचित राशि निश्चित करने का प्रयत्न किया जाए ?

Shri Nitiraj Singh Chaudhary : High Courts and Supreme Court have not fixed the amount of fees. It is a contract between two parties. By entering into a contract, a person agrees to pay a fixed amount. Therefore, the government cannot come into the picture.

श्री एस० एम० बनर्जी : उसे फीस देने में भारी कठिनाई होती है । हमारे देश में न्याय पाना असम्भव है ।

श्री पी० वेंकटा सुब्बया : क्या सरकार को पता है कि अधिक फीस लेने वाले वकीलों ने आयकर का भारी अपवंचन किया है तथा क्या सरकार का ध्यान ऐसे किसी मामले की ओर दिलाया गया है और यदि हाँ, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : यह प्रश्न वित्त मंत्रालय से किया जा सकता है ।

श्री एस० एम० बनर्जी : कोई वकील चैक नहीं लेता । वे नकद रुपया मांगते हैं ।

श्री आर० पी० उलगनम्बी : 1957 में विधि मंत्रियों के सम्मेलन में गरीब लोगों को कानूनी सहायता दिये जाने का निर्णय किया गया था । 1970 में भारत सरकार ने एडवोकेट अधिनियम में यह व्यवस्था की कि···

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न का संदर्भ बदल गया है ।

श्री आर० पी० उलगनम्बी : 1957 में विधि मंत्रियों से सम्मेलन में...

अध्यक्ष महोदय : कृपया मूल प्रश्न पर आइए ।

श्री आर० पी उलगनम्बी : मैं वहीं आ रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय : आपने स्वयं ही जानकारी प्रस्तुत कर दी है ।

श्री आर० पी० उलगनम्बी : मैं यह जानकारी अपना प्रश्न पूछने के लिये दे रहा था ।

अध्यक्ष महोदय : यह गलत है । नियमानुसार आप कोई सुझाव या जानकारी नहीं दे सकते । आप सीधे अपना प्रश्न रखिये ।

श्री आर० पी० उलगनम्बी : भारत सरकार ने अपने उस निर्णय को अभी तक लागू नहीं किया है जो 15 वर्ष पूर्व किया गया था । गरीब लोगों को कानूनी सहायता देने का वचन सरकार ने अभी तक पूरा नहीं किया । अब उसमें कितनी देर की जाएगी तथा सरकार उस निर्णय को कब तक लागू करेगी ?

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : न्याय प्रशासन का विषय राज्य सरकारों का है । गरीब लोगों को कानूनी सहायता दिलाने का कार्य केन्द्र सरकार का न होकर राज्य सरकारों का है ।

श्री आर० पी० उलगनम्बी : केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को कुछ निदेश दे सकती है ।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न अन्य प्रकार से पूछा जा सकता है । अगला प्रश्न ।

ग्राम विद्युतीकरण परियोजना के बारे में उत्पन्न हुई शंकाएं

*956. **श्री समर गुह** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 24 अप्रैल, 1972 के "हिन्दुस्तान स्टैन्डर्ड" (कलकत्ता) में 'डाऊट्स रेजड एबाऊट रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट (ग्राम विद्युतीकरण परियोजना के बारे में शंकाएं) शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस संबंध में सही स्थिति क्या है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) पश्चिम बंगाल सरकार ने बताया है कि उनके अनुसार प्रकाशित समाचार से आशंकाओं के उत्पन्न होने का कोई कारण नहीं है। पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत् बोर्ड निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी गतिविधियों में तेजी ला रहा है।

श्री समर गुह : कलकत्ता से प्रकाशित रिपोर्ट में 1973 के अन्त तक 10,000 गांवों में बिजली लगाने के लिये निर्धारित लक्ष्य के बारे में कुछ आशंकाएं व्यक्त की गई हैं। इस सम्बन्ध में क्या यह सच है कि उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पश्चिम बंगाल बिजली बोर्ड को 1973 तक 10,000 मीट्रिक टन इस्पात तथा तार ट्रांस्फारमर और अन्य उपकरणों की आवश्यकता है, यदि हां, तो क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल बिजली बोर्ड को यह आश्वासन दिया है कि उसे सभी आवश्यक सामान सप्लाई किया जाएगा ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० के० एल० राव) : मैंने पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री से बातचीत की है तथा उन्हें बताया है कि ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं को तेजी से चलाने के लिये हर प्रकार की सहायता दी जाएगी। समाचारपत्रों में प्रकाशित समाचार भी सच है क्योंकि पहले तीन वर्षों में केवल 845 ग्रामों में बिजली लगाई जा सकी जबकि 10,000 ग्रामों में बिजली लगाने का लक्ष्य है। इस वर्ष अप्रैल से विद्युतीकरण कार्यक्रम में तेजी लाई गई तथा 250 गांव में बिजली लगाई गई है। यदि इसी गति से कार्य चलता रहा तो प्रत्येक वर्ष 3000 गांवों में बिजली लगाई जा सकेगी। यदि 19 3 तक नहीं तो 1974 के अन्त तक निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हो जानी चाहिये।

श्री समर गुह : उनका कहना है कि 1973 तक लक्ष्य की प्राप्ति सम्भव नहीं है। क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने ग्रामीण विद्युतीकरण के कार्य को पूरा करने के लिये लगभग 100 करोड़ रुपये की मांग की थी ? क्या ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में नलकूपों तथा उथले कुओं को बिजली देना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे और मध्यम स्तर के उद्योगों को बिजली देना भी सम्मिलित किया जा रहा है। (व्यवधान)

डा० के० एल० राव : पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से कुछ सुझाव प्राप्त हुए थे तथा नलकूपों और उथले कुओं को बिजली दी जानी चाहिये।

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल में गत महीने में जिन ग्रामों में बिजली लगा दी जानी चाहिये थी उनमें केवल बिजली की लाइनें लगाई गई हैं तथा उन गांवों में किसी भी व्यक्ति को बिजली नहीं दी गई ?

डा० के० एल० राव : मुझे इस बात का पता नहीं है। हमारे अनुसार, ग्रामीण विद्युतीकरण की परिभाषा यह है कि बिजली का उपयोग प्रकाश के लिये अथवा पम्प सैटों या लघु उद्योगों को चलाने के लिये होना चाहिये। यदि किसी गांव में बिजली का उपयोग इन कार्यों के लिये नहीं किया जाता तो हम उस गांव को विद्युतीकृत गांव नहीं कह सकते। पश्चिम बंगाल सरकार ने हमें यह जानकारी दी है कि हमने अप्रैल महीने में लगभग 230 गांवों में बिजली लगाई है। मुझे आशा है उन्होंने इन कार्यों के लिये अवश्य बिजली दी होगी।

Trade talks with Afghan Delegation

*958. **Dr. Laxminarain Pandey** : Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether talks were held between him and the trade delegation of Afghanistan in the last week of April ; and

(b) if so, the outcome thereof ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) और (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

अफगानिस्तान को निर्यात तथा उससे आयात के सम्बन्ध में 20 मार्च, 1972 को जारी की गयी सार्वजनिक सूचना के उपबंधों का स्पष्टीकरण करने के उद्देश्य से भारत और अफगानिस्तान के अधिकारियों के बीच वार्ताएं हुई हैं । विचार विमर्शों के दौरान कतिपय कठिनाइयां भी भारतीय पक्ष के अधिकारियों के ध्यान में लाई गयीं । यह सहमति हो गयी है कि जब नयी सार्वजनिक सूचना जारी की जाएगी तब इन कठिनाइयों को ध्यान में रखा जाएगा ।

Dr. Laxminarain Pandey : May I know whether as a result of the difficulties expressed during the discussion, certain impediments have arisen in our exports, and if so, what steps are being taken to remove these impediments ?

Shri L. N. Mishra : Talks are going on. A delegation has again come from Afghanistan. There were certain difficulties. We demanded emphatically the import of all the items from that country through State Trading Corporation. As you know, sir, the prices of the items like almonds, Pistachio and other dry fruits imported from there vary 10 to 12 times in Afghanistan and India. To minimise this difference in prices we have decided to impess these items through S. T. C. so that these things can be made available to the people at reasonable prices. But it is not accepted by the Afghanistan government.

We are discussing the matter with the government of Afghanistan and I hope we will come to an agreement in a few days. However, we have not discontinued our exports and imports. Trade is going on as before.

Dr. Laxminarain Pandey : May I know whether our export has declined due to this, and if so, what is the percentage of decline ? I would also like to know the time by which discussions would be completed.

Shri L. N. Mishra : We have already discussed. They are due to meet our foreign Minister today. Perhaps they might have met him. Today, the matter will be finalised.

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि अफगानिस्तान के साथ हमारे व्यापारिक और सांस्कृतिक सम्बन्ध बहुत अच्छे हैं, क्या अफगानिस्तान में वहाँ की सरकार के साथ मिलकर कोई संयुक्त उपक्रम आरम्भ करने की योजना है ?

श्री एल० एन० मिश्र : औद्योगिक क्षेत्र में संयुक्त उपक्रम लगाने के सम्भवतः कुछ प्रस्ताव हैं। किन्तु इस समय उससे सम्बन्धित जानकारी मेरे पास नहीं है।

रूस द्वारा औद्योगिक कच्चे माल की सप्लाई

*959. **श्री के० बालदन्डायुतम** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी सहायता बन्द हो जाने के कारण रूस की सरकार भारत को आवश्यक औद्योगिक कच्चे माल की कमी को पूरा करने के लिये सहमत हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो रूस सरकार किस-किस कच्चे माल की सप्लाई करेगी और उसकी कीमत कितनी होगी ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) तथा (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) अमरीकी सहायता बन्द हो जाने के कारण औद्योगिक कच्चे माल की जो कतिपय अविलंब कमी उत्पन्न हो गई थी उसे सोवियत संघ से सप्लाई द्वारा आंशिक रूप में पूरा किया गया है।

(ख) वर्ष 1972 के दौरान सोवियत संघ अन्य वस्तुओं के साथ-साथ तकनीकी हीरे, मिट्टी का तेल, एस्बस्टोस, गंधक, लौह मिश्र धातु, वेल्लित इस्पात के उत्पाद, जस्ता, निकल, तांबा तथा वेल्लित तांबे के उत्पाद, पलैटिनम, पैलेडियन, रासायनिक पदार्थ जिनमें री एजेन्टों सहित, तथा प्रयोगशाला के रासायनिक पदार्थ शामिल हैं और कीटनाशक औषधियां जैसे कि डी० डी० टी०, रंगों के मध्यवर्ती, उष्मसह पदार्थ, अखबारी कागज तथा औषधियों में प्रयोग होने वाला कच्चा माल तथा मध्यवर्ती माल भारत को सप्लाई करेगा। इनके मूल्यों को प्रकट करना सार्वजनिक हित में नहीं है।

श्री के० बालदन्डायुतम : उन्होंने यह स्वीकार किया है कि उत्पन्न हुई कमी को रूस ने आंशिक रूप से पूरा किया है। क्या इस कमी को पूरी तरह दूर करने के लिये कोई प्रयत्न किया गया है ?

श्री एल० एन० मिश्र : अमरीका के सामरिक महत्व तथा अन्य बहुत-सी विशिष्ट वस्तुएं विशेषकर अलौह धातु प्राप्त होती थीं जिनकी सप्लाई अब उसने बन्द कर दी है। रूस ने इस सम्बन्ध में हमारी सहायता की है तथा उसने हमारी आवश्यकताएं पूरी की हैं।

श्री के० बालदन्डायुतम : विवरण में कहा गया है कि रूस ने इस कमी को आंशिक रूप से दूर किया है। क्या सरकार ने ऐसा कोई प्रयत्न किया है जिससे रूस अथवा किसी अन्य समाजवादी देश की सहायता से इस कमी को पूरी तरह दूर किया जायेगा ?

श्री एल० एन० मिश्र : अन्य सूत्र भी हैं। स्वयं अपने देश से भी हमने वस्तुएं जुटाई हैं। इसके अतिरिक्त जो भी कमी थी उसे रूस ने दूर कर दिया है। इस समय हमें कुछ नहीं चाहिये। हमें यह आश्वासन मिला है कि हमें जितनी वस्तुओं की अतिरिक्त आवश्यकता होगी, विशेषकर विशिष्ट सामग्री की, रूस उन्हें सप्लाई करेगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Guarantee of Carrying Goods to destinations within Stipulated Period

*944. **Shri Lalji Bhai :**
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether after the coming into force of the scheme regarding the pre-payment of freight on certain commodities, the Railways propose to guarantee the period within which the goods would reach their destinations ; and

(b) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) . (a) No, Sir. But there is a separate scheme of Quick Transit Service between specific pairs of points where transit time is guaranteed.

(b) A statement is placed on the Table of the Sabha.

Statement

The condition of 'compulsory pre-payment of freight at the time of booking' is attached to a commodity either because of its explosive or perishable nature or because of its low intrinsic value. It is intended to guard against the possible loss of the railway revenue in the event of the consignee not taking delivery or causing detention of the consignment at the destination station. The transit time is not guaranteed except in the case of traffic carried between specific pairs of stations under the scheme of 'quick transit service' for which an additional charge of 5% of the freight is levied. In respect of commodities for which pre-payment of freight is compulsory, neither any additional charge is levied nor is their movement restricted to any specific pairs of stations.

चाय उद्योग की आवश्यकताएं

*946. **डा० रानेन सेन** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 'अमृत-बाजार पत्रिका' (कलकत्ता), दिनांक 27 अप्रैल,

1972 में 'टी इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट्स हाईलाइटेड' (चाय उद्योग की आवश्यकताएं) शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी, हां ।

(ख) चाय के निर्यातों पर उत्पादन शुल्क की छूट देने की प्रणाली सरल करने तथा इस छूट का शीघ्र भुगतान करने के प्रश्न का बराबर पुनरीक्षण किया जा रहा है ।

अधिक कीमत वाली चाय की किस्मों पर अपेक्षाकृत अधिक उत्पादन शुल्क लगाया जाता है ताकि कर का भार कर वहन करने की क्षमता के अनुसार चाय उगाने वाले विभिन्न क्षेत्रों में समान रूप से विभाजित किया जा सके । तथापि इस उच्च उत्पादन शुल्क की क्षतिपूर्ति निर्यात की जाने वाली चाय के मामले में कीमत के अनुसार और अधिक छूट देकर की जाती है । इससे यह उद्देश्य भी पूरा होता है कि बढ़िया किस्म की चाय का उपयोग देश में न होकर उसका निर्यात कर दिया जाता है । ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि बढ़िया किस्म की चाय पर अधिक उत्पादन शुल्क लगाने के कारण चाय के उत्पादक घटिया चाय का उत्पादन करने की ओर प्रेरित हुए हों ।

तुरन्त तैयार होने वाली चाय (इंस्टेन्ट टी) की किस्म में सुधार

*948. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में निर्मित तुरन्त तैयार होने वाली चाय उचित स्तर की नहीं पाई गई है और क्या बर्फ की चाय बनाने में यह ठंडे पानी में तुरन्त नहीं घुलती है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी किस्म में सुधार करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) विश्व बाजार में तुरन्त तैयार होने वाली भारतीय चाय का अच्छा स्वागत हुआ है और उसकी मांग बढ़ रही है । ठंडे पानी में घुलनशील तुरन्त बनने वाली चाय का भी उत्पादन भारत में किया जाता है और उसका निर्यात किया जाता है । तुरन्त बनने वाली चाय पर गवेषणा कार्य चाय बोर्ड के तत्वावधान में सतत आधार पर किया जाता है ।

राज्य व्यापार निगम का पुनर्गठन

*950. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव** :

श्री के० मालन्ना :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का राज्य व्यापार निगम को इस प्रकार पुनर्गठित करने का विचार है कि यह एक अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार निगम के रूप में काम करे जो कि एक नियंत्रक कंपनी हो और जिसके अन्तर्गत कई सहायक कंपनियां हों ;

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ; और

(ग) इस मामले में कब तक निर्णय किये जाने की संभावना है ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) से (ग) राज्य व्यापार निगम की व्यापार तकनीकों तथा तरीकों तथा इसके संस्थागत ढांचे का पुनर्विलोकन करने के लिए 1968 में राज्य व्यापार निगम पुनरीक्षण समिति नामक एक समिति की स्थापना की गई थी, ताकि इसकी कार्यचालन दक्षता को और भी सुदृढ़ करने तथा सुधारने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा सकें। समिति ने यह विचार प्रकट किया है कि औद्योगिक प्रबन्ध के विश्वव्यापी पैटर्न को देखते हुए एक नियंत्रक कम्पनी और समनुषंगियों की संरचना-शैली होनी चाहिए जिससे कि बिक्री, वित्त तथा कार्मिकों और कतिपय सेवाओं के संबंध में सर्वोच्च नीतियां नियंत्रक कंपनी के हाथ में रहें और सम्मत नीति को क्रियान्वित करने का कार्य, नित्यप्रति हस्तक्षेप के बिना, समनुषंगियों पर छोड़ दिया जाये परन्तु साथ ही उन्हें परिणामों के लिए पूर्णतः उत्तरदायी बनाया जाए। समिति ने यह भी सिफारिश की कि राज्य व्यापार निगम को चार छोटी कंपनियों में परिवर्तित किया जा सकता है और ये सब कंपनियां भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार निगम नामक नई नियंत्रक कंपनी की समनुषंगी कंपनियां होनी चाहिएं। सरकार ने सिद्धान्त रूप में सिफारिश को स्वीकार कर लिया परन्तु यह विचार व्यक्त किया कि यदि निगम किसी सुस्पष्ट क्षेत्र या विशेष प्रभाग को अभिज्ञात कर सके, जिसमें उसके कार्य के स्वरूप, परिमाण तथा विस्तार से एक सहायक कंपनी के संगठन का औचित्य सिद्ध हो सके तो इस विषय में विशिष्ट प्रस्थापनाएं मंत्रालय को आगे विचार करने के लिए भेजी जा सकती हैं।

तब से परियोजना तथा उपस्कर निगम नामक एक सहायक कंपनी की स्थापना हो चुकी है। अभी तक राज्य व्यापार निगम द्वारा कोई अन्य प्रस्थापनाएं प्रस्तुत नहीं की गई हैं।

सोना नदी के पानी का बहाव मध्य प्रदेश की ओर मोड़ना

*951. **श्री कपल मिश्र मधुकर** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोना नदी के पानी के बहाव को मध्य प्रदेश की ओर मोड़ने के प्रस्ताव के बारे में सरकार को बिहार के संसद सदस्यों से कोई अभ्यावेदन मिला है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश की विकासात्मक योजनाओं में शामिल करने के लिए योजना आयोग द्वारा स्वीकृति के लिए सोना नदी पर बनसागर परियोजना का प्रस्ताव रखा है।

उत्तर प्रदेश सरकार इस बात के लिए अनुरोध करती आई है कि मिर्जापुर जिले के अकाल पीड़ित पठारी क्षेत्रों की सिंचाई के लिए बनसागर परियोजना ही एकमात्र साधन है और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित बनसागर परियोजना का इस क्षेत्र में भी सिंचाई की व्यवस्था करने के लिए संशोधन किया जाना चाहिए।

बिहार सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित बनसागर परियोजना के प्रति विरोध प्रकट किया है जिसके अन्तर्गत सोना नदी के जल का अन्य बेसिन में टोंस नदी में व्यपवर्तन करना

सम्मिलित है और यह विरोध इस आधार पर किया गया है कि इसका सोन के नीचे की ओर बिहार में, जहां कि सप्लाई स्थिति पहले से ही तंग बताई जाती है, वृहद सिंचाई प्रणाली पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। बिहार के संसद सदस्यों से भी इसी प्रकार के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

परियोजना पर तीनों राज्यों के साथ विचार-विमर्श हुआ है और उन सभी को मान्य प्रस्ताव निकालने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं।

देश की नदियों के जल पर केन्द्रीय नियंत्रण

*953. **श्री एम० एस० शिवस्वामी :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश की नदियों के जल पर केन्द्रीय नियंत्रण के संबंध में किसी कार्यवाही पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और सरकार ने इस दिशा में क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव) : (क) और (ख) कृषि और आर्थिक विकास में जल के बढ़ते हुए महत्व के साथ जल संसाधनों के आयोजन और विकास की अधिकाधिक आवश्यकता महसूस हो रही है जिसमें बेसिन राज्यों द्वारा प्रयोग की वर्तमान सीमित संधारणा की जगह क्षेत्रीय और राष्ट्रीय हित देखा जाता है। इस नई विचारधारा के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जा रहा है जिसमें कानूनी पहलू भी शामिल हैं।

इंडियन आक्सीजन लिमिटेड द्वारा किया गया निर्यात

*955. **श्री सी० जनार्दनन :** क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन आक्सीजन लिमिटेड ने गत तीन वर्षों में कितना निर्यात किया ; और

(ख) उक्त कंपनी द्वारा इस अवधि में कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) तथा (ख) व्यापारिक जानकारी तथा अंकसंकलन के महानिदेशक, जो आंकड़ों के मुख्य स्रोत हैं, निर्यात के आंकड़े फर्मवार नहीं रखते।

पतरातू तापीय विद्युत संयंत्र (बिहार) को हुई क्षति

*957. **श्री एम० एम० जोजफ :**

श्री विक्रम महाजन :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पतरातू तापीय विद्युत् संयंत्र (बिहार) को गत मास कोई क्षति पहुंची थी ;

(ख) क्या सरकार को आशंका है कि संयंत्र को क्षति तोड़-फोड़ की कार्यवाही के कारण हुई थी ; और

(ग) यदि हां, तो संक्षेप में इस घटना का ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव) : (क) से (ग) 11 अप्रैल, 1972 को 50 मेगावाट की चार विद्युत्-जनन यूनिटों में से एक के बायलर में एक विस्फोट हुआ । एक और विस्फोट 17 अप्रैल, 1972 को 100 मेगावाट की एक विद्युत-जनन यूनिट के दो बायलरों में से एक में हुआ । बिहार राज्य बिजली बोर्ड विस्फोटों का कारण किसी भी तोड़-फोड़ की कार्यवाही नहीं समझती है । बहरहाल, बिहार राज्य बिजली बोर्ड ने विस्फोटों का कारण जानने और उस सम्बन्ध में एक रिपोर्ट देने के लिए एक सदस्यीय जांच समिति स्थापित की थी । रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है ।

चीनी मिल की मशीनें और विद्युत् स्टेशन के उपकरणों को दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को निर्यात करने के बारे में जापान से प्रतिस्पर्धा की सम्भावनाएं

*960. **श्री निहार लास्कर** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मलयेशिया, थाइलैंड और इंडोनेशिया में चीनी मिल की मशीनें और विद्युत् स्टेशन के उपकरण निर्यात करने के मामले में भारत अब जापान से प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में है ; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की जा रही है और सरकार उसमें कहां तक सफल हुई है ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) तथा (ख) भारत चीनी मिल की मशीनें और विद्युत् स्टेशन के उपकरणों के निर्यात क्षेत्र में पहली बार प्रवेश कर रहा है अतः यह स्वाभाविक है कि उसे जापान जैसे सुस्थापित निर्यातकों से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा । तथापि, इस तथ्य को देखते हुए कि भारत, विशेषतः मलयेशिया से विद्युत स्टेशन के उपकरण के क्रयादेश, विश्वव्यापी टेंडर में भाग लेने के परिणामस्वरूप प्राप्त कर सका है, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि भारत कुछ अंश तक इस प्रतिस्पर्धा का सामना कर सकने में समर्थ है ।

इस संबंध में किये गये उपाय ये हैं :

(1) भारतीय निर्यातकों द्वारा विश्वव्यापी टेंडरों में अधिक से अधिक भाग लेना ।

(2) संयुक्त उद्यमों के लिए भारत की ओर से पेशकश ।

(3) परिस्थितियों के अनुरूप ऋण की शर्तों में आशोधन ।

(4) भारतीय उत्पादों तथा औद्योगिक क्षमता का विदेशों में प्रचार ।

(5) इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद का सिंगापुर स्थित कार्यालय उस क्षेत्र में प्रस्तावित नई परियोजनाओं के ब्यौरे एकत्र करता है और भारतीय निर्यातकों में उनका प्रचार करता है ।

(6) इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा प्रायोजित एक प्रतिनिधिमंडल ने इस क्षेत्र में भारत के निर्यातों को बढ़ाने की संभाव्यताओं का पता लगाने के लिए हाल में मलयेशिया, थाइलैंड और इंडोनेशिया का दौरा किया है ।

मध्य प्रदेश के साथ रेलवे लाइन द्वारा सम्पर्क स्थापित करने के लिए बिहार सरकार का प्रस्ताव

7034. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना में मध्य प्रदेश में रेलवे लाइन बिछाये जाने के सम्बन्ध में बिहार सरकार से प्राप्त प्रस्तावों की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ख) उन पर क्या कार्यवाही की गई है।

रेल मंत्री (श्री० के हनुमन्तैया) : (क) और (ख) बखाडीह (बिहार में) और सरनाडीह (मध्य प्रदेश में) के बीच एक सम्पर्क लाइन के निर्माण का काम 1947 में प्रारम्भ किया गया था, लेकिन बाद में, अर्थोपाय की कठिन स्थिति के कारण तथा यह पता चलने पर कि इस खण्ड पर जितने यातायात की प्रत्याशा की गयी है उतना यातायात नहीं आयेगा, इस काम को बन्द कर दिया गया। इस क्षेत्र में कोयला-क्षेत्रों के विकास के बारे में निश्चित योजनाएं उपलब्ध हो जाने पर इस लाइन के निर्माण के सम्बन्ध में फिर विचार किया जायेगा।

मई से नवम्बर, 1968 की अवधि में सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के विलय से लाभ

7035. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या रेल मंत्री रेलवे कर्मचारियों द्वारा पेंशन सम्बन्धी विकल्प के बारे में 13 जुलाई, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4572 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उन कर्मचारियों के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है; जो 1 मई, 1968 और 30 नवम्बर 1968 के बीच सेवानिवृत्त हुए थे और जिन्हें मूल वेतन में महंगाई भत्ते के विलय का लाभ नहीं दिया गया था ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : कतिपय प्रयोजनों के लिए महंगाई भत्ते के एक भाग को वेतन के रूप में मानने की योजना 1-12-1968 से लागू की गयी थी। इसे और पहले से लागू करने का प्रस्ताव नहीं है।

1-12-68 से पहले सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी जिन्हें पेंशन की थोड़ी रकम के साथ-साथ उसमें तदर्थ वृद्धि की गयी थी उन्हें 1-9-1969 से प्रति मास 10 रुपये की अतिरिक्त तदर्थ वृद्धि दी गयी जैसा कि नीचे दिखाया गया है :—

i	ii	iii
पेंशन की रकम	1-9-69 से पहले पेंशन में तदर्थ वृद्धि की दर	1-9-69 से पेंशन में तदर्थ वृद्धि की दर
30 रुपये प्रति माह तक की पेंशन	प्रति माह 5 रुपये	प्रति माह 15 रुपये
30 रुपये से अधिक की पेंशन लेकिन 75 रु० से अधिक नहीं	प्रतिमाह 7.50 रुपये	प्रतिमाह 17.50 रुपये

i	ii	iii
प्रतिमाह 75 रु० से अधिक की पेंशन लेकिन 200 रु० से अधिक की नहीं	प्रतिमाह 10 रुपये	प्रति माह 20 रुपये
प्रति माह 200 रु० से अधिक की पेंशन	वैसी तदर्थ वृद्धि जिससे कुल पेंशन प्रतिमाह 210 रुपये हो जाये	वैसी तदर्थ वृद्धि जिससे कुल पेंशन प्रतिमाह 220 रु० हो जाये।

गोआ से लौह अयस्क के निर्यात में कमी

7036. **श्री वयालार रवि** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 26 अप्रैल, 1972 के "दि हिन्दू" में "जापान में कट गोवा और इम्पोर्ट" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) वायु दूषित होने का भय तथा इस्पात उद्योग में मंदी से, जिनका उक्त समाचार में उल्लेख किया गया है, जापान को गोआ से किये जाने वाले लौह अयस्क के निर्यातों पर सन्निकट भविष्य में प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है।

टेलीविजन आयात करने सम्बन्धी नियमों में संशोधन

7037. **श्री मार्तण्ड सिंह** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने टेलीविजन सैट आयात करने सम्बन्धी नियमों में संशोधन किया है; और

(ख) यदि हां, तो संशोधित नियमों की मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) गत काल में विदेशों में रहने वाले सम्बन्धियों से उपहार के रूप में टेलीविजन सैट आयात करने की अनुमति दी जाती थी किन्तु 1-8-70 से यह रियायत समाप्त कर दी गई है। सामान के अन्तर्गत भी टेलीविजन सैट आयात करने की अनुमति थी किन्तु देश में ही टेलीविजन सैटों का विनिर्माण आरम्भ हो जाने पर आयातों में कटौती कर दी गई और अब केवल वही यात्री अपने सामान के अन्तर्गत टेलीविजन सैट ला सकते हैं जो बाहर किसी देश में तीन मास से अधिक समय तक ठहरें। सामान के अन्तर्गत टेलीविजन सैट लाने की क्रियाविधि सार्वजनिक सूचना संख्या 20-आई० टी० सी० (पी० एन०) 172, दिनांक 3-2-1972 में विहित की गई है।

पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे में वाणिज्यिक लिपिकों का स्थायी करना

7038. **श्री पन्नालाल बारुपाल :**

श्री चन्द्रिका प्रसाद :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे में प्रत्येक ग्रेड और प्रत्येक डिवीजन में, अलग-अलग वाणिज्यिक लिपिकों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) प्रत्येक डिवीजन में कुल कितने वाणिज्यिक लिपिक अपने पदों पर स्थायी हैं और कितने अब तक अस्थायी हैं; और

(ग) क्या पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे के सभी डिवीजनों ने वाणिज्यिक लिपिकों की वरिष्ठता सूचियां और स्थायी सूचियां प्रकाशित कर दी हैं; और यदि हां, तो वे किस-किस तारीख को प्रकाशित की गई थीं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

कानपुर सेंट्रल गुड्स शैड में माल उतारने-चढ़ाने का ठेका लेने के लिये टेंडर देने वाली फर्में

7039. **श्री ईश्वर चौधरी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कानपुर सेंट्रल गुड्स शैड में माल उतारने-चढ़ाने के लिये 28 जुलाई, 1971 को कितनी फर्मों ने टेंडर भेजे थे ;

(ख) क्या सार्वजनिक रूप से टेंडर खोले जाने के बाद दरों को कम करने के लिये कोई बातचीत की गई थी; और यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) क्या बातचीत के समय मैसर्स बी० आर० मंगल एण्ड कम्पनी, कानपुर के मालिक ने टेंडर कमेटी को लिख कर दिया था कि वह जनता लेबर कोआपरेटिव सोसायटी लिमिटेड के सचिव भी हैं ।

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) 26 जुलाई, 1971 को (न कि 28 जुलाई, 1971 को) कानपुर सेंट्रल माल गोदाम में माल चढ़ाने-उतारने के लिए दो पार्टियों ने टेंडर दिये ।

(ख) जी हां । परन्तु पार्टियां दरों में कमी करने के लिए सहमत नहीं हुईं ।

(ग) जी हां ।

कानपुर सेंट्रल गुड्स शैड, जूही तथा फजलपुर में माल उतारने-चढ़ाने का ठेका देने के लिये टेंडरों को अन्तिम रूप देना

7040. **श्री ईश्वर चौधरी** . क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर सेंट्रल गुड्स शैड, जूही तथा फजलपुर में माल उतारने-चढ़ाने का ठेका देने

के लिये डिवीजनल सुपरिन्टेन्डेन्ट, इलाहाबाद के कार्यालय में खोले गये टेंडरों को इस बीच अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) टेंडरों को किस तारीख तक अन्तिम रूप दे दिया जायेगा ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) कानपुर सेंट्रल गुड्स शैड, फज़लगंज (न कि फज़लपुर) सहित जूर्ह यानान्तरण स्थल पर माल सम्हलाई के ठेके के लिए पार्टियों ने टेण्डर में जो दरें उद्धृत की थीं, वे बहुत अधिक समझी गयीं। इसलिए नये टेण्डर मांगे जा रहे हैं और आशा है, उसके बाद शीघ्र ही उन्हें अन्तिम रूप दे दिया जायेगा।

केरल में टाइल उद्योग के लिए वैगनों की कमी

7041. **श्री वयालार रवि** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि वैगनों की कमी के कारण टाइल उद्योग और कृषि औजार बनाने वाले कारखानों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इन उद्योगों की वर्तमान कठिनाइयां दूर करने के लिये इनको अधिक वैगन देने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) और (ख) पूरे मालडिब्बों में भेजने के लिए कृषि उपस्कर प्रस्तुत नहीं किये गए। टाइल यातायात की संचालन प्राथमिकता की निम्नतम श्रेणी 'ड' के अन्तर्गत आता है। इसके अतिरिक्त, इसका संचलन ऐसे स्थानों को होता है जिनके मार्ग कठिन हैं। फिर भी, केरल राज्य में भिन्न-भिन्न स्टेशनों से टाइलों के लदान के लिए अधिकतम उपलब्ध कोटा दिया गया है और जनवरी से अप्रैल, 1972 के दौरान बड़ी लाइन के 2334 और मीटर लाइन के 93 माल डिब्बे लादे गये थे।

अपरिष्कृत काजू का वितरण

7042. **श्री वयालार रवि** : क्या विदेश व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री ने केरल सरकार को सुझाव दिया है कि वह केवल उन कारखानों को अपरिष्कृत काजू दें जो अपने श्रमिकों को न्यूनतम मजूरी देते हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं, और इस बारे में केरल सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या केरल सरकार ने न्यूनतम मजूरी देने वाले नियोजकों की कोई सूची प्रस्तुत की है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) आयातित कच्चे काजू का वितरण भारतीय काजू निगम द्वारा किया जाता है। इस निगम ने केरल सरकार को लिखा है कि जो साधितकर्ता एकक अपने काजू कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी नहीं दे रहे हैं उनके कोटे प्रतिबन्धित करने में वह अपना सहयोग देगा बशर्ते कि राज्य सरकार निगम को दोषी

एककों के नामों के बारे में सूचित करे । यह पता चला है कि केरल सरकार ने केन्द्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों को उन एककों के सम्बन्ध में जानकारी देने के लिए लिखा है जो न्यूनतम मजदूरी नहीं दे रहे हैं । हम अन्तिम उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं ।

कुल निर्यात में पंजाब का योगदान

7043. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971-72 में देश के कुल निर्यात में पंजाब का क्या योगदान रहा है ; और

(ख) उपर्युक्त अवधि में पंजाब से निर्यात की जाने वाली मुख्य वस्तुओं के नाम क्या हैं ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) राज्यवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

ईराक में कुछ परियोजनाओं में धन लगाना

7044. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-ईराक व्यापार करार के अन्तर्गत, जिस पर गत सितम्बर में हस्ताक्षर किए गए थे और जिसका हाल ही में अनुसमर्थन किया गया है, भारत का विचार ईराक में कुछ परियोजनाओं में धन लगाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) भारत-ईराक व्यापार करार के अन्तर्गत ईराक में किसी परियोजना पर भारत से धन लगाने की कोई व्यवस्था नहीं है । फिर भी, दोनों सरकारें पारस्परिक रूप से लाभदायक कुछ ऐसी परियोजनाओं के बारे में विचार-विमर्श कर रही हैं जो भविष्य में भारत तथा ईराक में संयुक्त उद्यम बन सकती हैं ।

हथकरघों के लिए आरक्षित वस्त्रों का निर्माण

7045. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या विदेश व्यापार मंत्री हथकरघों की धोतियों, साड़ियों तथा तौलियों के निर्माण के बारे में 2 मई, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4635 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हथकरघों के लिए पूर्णतया आरक्षित वस्त्रों की किस्में कौन-कौन-सी हैं ;

(ख) इन वस्तुओं को हथकरघों के लिए आरक्षित करने का निर्णय किस तारीख को किया गया था ;

(ग) क्या इस को सभी राज्यों द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) हथकरघों द्वारा उत्पादन के लिए पूर्णतया आरक्षित वस्तुयें (केवल आन्तरिक उपभोग हेतु) तथा जिन तारीखों से प्रत्येक वस्तु के बारे में आरक्षण लागू हुआ, वे तारीखें निम्न प्रकार हैं :

(1) रंगी हुई धोतियां 9 नवम्बर, 1966

(2) लुंगियां, सारोंग तथा गमचे 15 अप्रैल, 1950

(3) रंगीन साड़ियां—रंगे धागे से बनी या बाद में रंगी हुई। 9 नवम्बर, 1966

(ग) तथा (घ) जी हां। तथापि, रंगीन साड़ियों के सम्बन्ध में उल्लंघनों की सूचना मिली है। महाराष्ट्र में कुछ शक्तिचालित करघों के मालिकों ने रंगीन साड़ियों के बारे में हथकरघों के पक्ष में आरक्षण लागू करने के विरुद्ध न्यायालयों से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिए हैं।

सहकारिता क्षेत्र के अन्तर्गत और सहकारिता क्षेत्र के बाहर हथकरघे

7046. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सहकारिता क्षेत्र के अन्तर्गत और सहकारिता क्षेत्र के बाहर, अलग-अलग एवं राज्य वार, हथकरघों की संख्या कितनी है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : सहकारिता क्षेत्र के बाहर हथकरघों की संख्या के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। जहां तक सहकारिता क्षेत्र में हथकरघों का सम्बन्ध है, जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

Stamped ballot papers found in Mandsaur Jaora and Alote Constituencies in Madhya Pradesh

7047. **Dr. Laxminarain Pandey** : Will the Minister of **Law and Justice** be pleased to state :

(a) whether already stamped ballot papers were found at Mandsaur Constituency in Mandsaur District, Jaora and Alote Constituencies in Ratlam District of Madhya Pradesh ;

(b) whether at some places, ballot papers exceeding their actual numbers were found ; and

(c) if so, the action taken in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Law and Justice (Shri Nitiraj Singh Chaudhary) : (a) No Sir. However in Mandsaur constituency of Mandsaur District, in one polling station namely 64, Kamla Nehru Balamandir, 250 ballot papers were stained with fountain-pen ink on the day of the poll. These ballot-papers were cancelled and replaced.

(b) and (c) In one polling station, namely Piplia Mitthashah of 291 Garoth assembly constituency to which 800 ballot papers were supplied, it was found while counting

that there were actually 428 ballot papers in the ballot box as against 302 ballot papers stated to have been issued by the Presiding Officer according to Form 16 (Ballot paper Account). This mistake appears to be due to the incorrect entries made in the ballot papers' account by the Presiding Officer. As it was a minor mistake, no action was considered necessary.

माल उतारने-चढ़ाने वाले ठेकेदारों पर विलम्ब शुल्क लगाने के बारे में रेलवे बोर्ड द्वारा जारी किये गये निदेश

7048. **श्री ईश्वर चौधरी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माल उतारने-चढ़ाने वाले ठेकेदारों पर विलम्ब शुल्क लगाये जाने सम्बन्धी वाणिज्यिक समिति की स्वीकृत सिफारिशों के आधार पर रेलवे बोर्ड ने अपने 29 जुलाई, 1961 के पत्र संख्या 59-टी०जी० II/6/4 में भविष्य में किये जाने वाले ठेकों में और नवीकरण किये जाने वाले ठेकों में उपयुक्त संशोधन करने के लिए सभी जोनल रेलों को निदेश जारी किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन जोनल रेलों के नाम क्या हैं जिन्होंने बोर्ड के निदेशों के अनुसार सभी करारों में उपयुक्त संशोधन किये हैं ताकि खुले टेंडरों में या अन्यथा कम प्रतियोगी दरों का लाभ उठाया जा सके ;

(ग) क्या इन सब वर्षों में उत्तर रेलवे प्रशासन इन निदेशों का उल्लंघन करता रहा है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है कि उत्तर रेलवे प्रशासन उक्त निदेशों का पालन करे ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) उत्तर रेलवे को छोड़कर सभी रेलों द्वारा माल और पार्सल सप्लाई के लिए मानक करार फार्म में समुचित संशोधन किये गये हैं। उत्तर रेलवे द्वारा नवीकरण के लिए आने वाले ठेकों सहित सभी भावी ठेकों में आवश्यक संशोधन की व्यवस्था करने के लिए कार्रवाई कर ली गई है।

रेलवे द्वारा मुआवजे के दावों का भुगतान

7049. **श्रीमती कृष्णा कुमारी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे द्वारा भुगताए गए मुआवजों के दावों में से 60 प्रतिशत दावे खुले माल-डिब्बों में सामान ढोने से सामान को हुई क्षति के कारण होते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस कारण होने वाली हानि से बचने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Labour Unions in North Eastern Railway and North East Frontier Railway

7050. **Shri G. P. Yadav** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state the number of Labour Unions functioning on the North Eastern Railway and North East Frontier Railway and the names of the recognised Unions alongwith other details ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : Recognition has been accorded by the respective General Managers of North Eastern Railway and North East Frontier Railway to the following Trade Unions functioning on these Railways :—

Railway	Name and other details of the Unions
North Eastern	(i) N. E. Railway Employee Union (PRKS)—affiliated to National Federation of Indian Railwaymen.
	(ii) N. E. Railway Mazdoor Union—affiliated to All India Railwaymen's Federation.
North East Frontier	(i) N. F. Railway Employee Union—affiliated to National Federation of Indian Railwaymen.
	(ii) N. F. Railway Mazdoor Union—affiliated to All India Railwaymen's Federation.

As regards the unrecognised Unions functioning on these Railways, the Government have no precise information.

Casual Labourers in North Eastern Railway and North East Frontier Railway

7051. **Shri G. P. Yadav** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of casual labourers working in the North Eastern Railway and North East Frontier Railway ; and

(b) whether Government propose to provide regular employment to these Labourers, and if so, by what time ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) Position as on 31.3.1971.

North Eastern Railway	North East Frontier Railway
13,377	3,278

(b) All casual labourers who have completed six months' service, are eligible for absorption against regular class IV posts after screening.

बंगला देश से अखबारी कागज का आयात

7052. **डा० रानेन सेन** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश से अखबारी कागज का अब आयात किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो कितना ; और

(ग) इस व्यापार की शर्तें क्या हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) बंगला देश से अखबारी कागज तथा कम ग्राम वाले लिखने के कागज के आयात के लिए सीमित भुगतान प्रबन्ध में 3 करोड़ रुपये का उपबन्ध किया गया है । इस प्रबन्ध के अन्तर्गत भारतीय राज्य व्यापार निगम को अखबारी कागज आयात करने के लिए एजेंसी के रूप में नामित किया गया है ।

विद्यार्थियों द्वारा प्रदर्शन किए जाने के कारण खुर्दा रोड डिवीजन में रेल सेवाओं में बाधा

7053. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में खुर्दा रोड डिवीजन (दक्षिण पूर्व रेलवे) में विद्यार्थियों द्वारा, जो दक्षिण पूर्व रेलवे के मुख्यालय को भुवनेश्वर स्थानान्तरित करने की माँग कर रहे थे, प्रदर्शन किये जाने के कारण नियमित रेल सेवाओं में बाधा पड़ी थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस डिवीजन में नियमित रेल सेवा का संचालन सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हां, केवल 1-4-1972 को ।

(ख) पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को घेर लिया और कटक के एम० एस० कालेज के अध्यक्ष सहित विद्यार्थियों को गिरफ्तार कर लिया तथा गाड़ियों के संचलन के लिए रेल पथ को साफ कर दिया । विद्यार्थियों द्वारा प्रदर्शन करने के कारण जब कभी गाड़ी सेवाएं अस्त-व्यस्त होती हैं तो सामान्य स्थिति पुनः कायम करने के लिए पुलिस और रेलवे सुरक्षा दल द्वारा हमेशा उपयुक्त सुरक्षा प्रबन्ध किये जाते हैं ।

उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने का प्रस्ताव

7054. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय किया जायेगा ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

रिहन्द बांध से बिजली की सप्लाई

7055. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिहन्द बांध से पालामऊ जिले में होकर बिजली की सप्लाई के मामले को राष्ट्रीय स्तर पर सुलझाया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख) बिजली (सप्लाई) अधिनियम, 1948 के अनुबंधों के अधीन बिहार सरकार द्वारा स्थापित बिहार राज्य बिजली बोर्ड का यह कर्तव्य है कि वे राज्य के भीतर विद्युत् जनन सप्लाई और वितरण का समेकित विकास करें। तदनुसार, पालामऊ जिले में विद्युत् की सप्लाई करने के लिए बिहार राज्य बिजली बोर्ड मुख्यत: जिम्मेदार है। पालामऊ जिले में विद्युत् सप्लाई की व्यवस्था करने अथवा रिहन्द से विद्युत् सप्लाई का प्रबन्ध करने के लिए केन्द्रीय सरकार की कोई भी स्कीम अथवा प्रस्ताव नहीं है।

कारों का आयात

7056. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :**

श्री वी० मायावन :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यालयों में उपयोग के लिए विदेशों से कारों का आयात करने के क्या कारण हैं तथा इसका स्वदेशी कार उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ता है ;

(ख) गत दो वर्षों में इन कारों के आयात पर कुल कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई ; और

(ग) क्या सरकार ने विदेशी कारों की बजाय भारतीय कारों का उपयोग किये जाने के प्रश्न पर विचार किया है, और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) लम्बी यात्राओं के काम आने वाली उच्च-शक्ति वाली कारों के आयात के लिए, जिनमें विदेशी मुद्रा अन्तर्ग्रस्त है, पर्यटकों को बढ़ावा देने के विशिष्ट प्रयोजन हेतु, जो विदेशी मुद्रा आय का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत है, सीमित रूप में अनुमति दी गई है। विशिष्ट सहायता के अन्तर्गत उपहार के रूप में दी गई विशेष प्रकार की कुछ जीपों तथा अन्य मोटर-गाड़ियों के आयात की अनुमति, जिनमें विदेशी मुद्रा अन्तर्ग्रस्त नहीं है, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों/परियोजनाओं को दी गई हैं। देशी कार उद्योग पर इन आयातों का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि एक तो इनके आयात सीमित रूप में हैं तथा दूसरे वे कारें इस प्रकार की होती हैं, जिनका विनिर्माण देश में नहीं होता।

(ख) जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, पर्यटक संवर्धन हेतु कारों के आयात पर गत दो वर्षों के दौरान लगभग 12,79,747 रु० की विदेशी मुद्रा खर्च की गई है।

(ग) सब मिलाकर भारतीय कारें सरकारी विभागों/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों/परियोजनाओं में बराबर प्रयोग की जाती हैं।

विरमगाम में प्रभा मिल्स को अपने नियंत्रण में लेना

7057. **श्री प्रसन्न भाई मेहता** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात के विरमगाम में प्रभा मिल्स को अपने नियंत्रण में लेने सम्बन्धी प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त मिल को अपने नियंत्रण में लेने में विलम्ब के क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में कब तक अन्तिम निर्णय लिया जायेगा ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी, नहीं ।

(ख) मामला विचाराधीन है और यह बताना सम्भव नहीं है कि अन्तिम विनिश्चय कब तक किये जाने की सम्भावना है ।

उड़ीसा में पटसन मिलों की स्थापना के लिए उड़ीसा सरकार से आवेदनपत्र

7058. **श्री डी० के० पंडा** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को उड़ीसा सरकार के माध्यम से उड़ीसा में पटसन कारखानों की स्थापना के लिए लाइसेंस दिए जाने के बारे में कोई आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) बोरे तथा ट्वाइन के निर्माण के लिये उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत चरवतिया (जिला कटक) में एक नई पटसन मिल स्थापित करने का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए श्री विश्वनाथ खेतान से उड़ीसा सरकार की मार्फत एक आवेदनपत्र प्राप्त हुआ है ।

(ग) इस आवेदनपत्र पर अभी

आयातित कच्चे माल के बारे में शिकायतें

7059. **श्री नरेन्द्र सिंह** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयातित औद्योगिक कच्चे माल, अर्ध-परिष्कृत वस्तुओं और मशीनों की घटिया किस्म और अत्यधिक मूल्यों के बारे में गत वर्ष प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) विदेशों के साथ भविष्य में व्यापारिक करार करते समय इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) लगभग 70 प्रतिशत कच्चा माल, अर्ध-परिष्कृत वस्तुएं तथा मशीनें राज्य व्यापार अभिकरणों के माध्यम से आयात की जाती हैं और शेष 30 प्रतिशत माल वास्तविक प्रयोक्ताओं द्वारा स्वयं आयात किया जाता है । राज्य व्यापार अभिकरणों के माध्यम से आयातित कच्चे माल की किस्म तथा अत्यधिक मूल्यों के बारे में शिकायतों से बचने के लिए इन अभिकरणों ने वास्तविक प्रयोक्ताओं की सलाहकार समितियां स्थापित की हैं और उनके कच्चे माल की किस्म विशिष्टियां, कीमतें तथा सुपुर्दगी कार्यक्रम उनके परामर्श से निर्धारित किए जाते हैं ।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा लौह अयस्क का निर्यात

7060. **श्री नवल किशोर सिंह** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने जापान तथा अन्य देशों को 62 तथा इससे अधिक प्रतिशत लोहे की मात्रा वाले लौह अयस्क की सप्लाई करने का ठेका लिया हुआ है ;

(ख) क्या बिहार की खानों के लौह अयस्क में लोहे की मात्रा 58 प्रतिशत से 64 प्रतिशत तक है; और

(ग) क्या लोहे की अधिक मात्रा वाले अयस्क में लोहे की थोड़ी-सी कम मात्रा वाले अयस्क को मिलाए जाने के लिए कोई कार्यवाही करने का विचार है जिससे निर्यात के लिए औसतन 62 प्रतिशत लोहे की मात्रा वाला अयस्क बन सके ; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी रूपरेखा क्या है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) जी हां, लेकिन बिहार की खानों के लौह अयस्क में लोहे की मात्रा सामान्यत: 60 प्रतिशत तथा इससे अधिक होती है।

(ग) खान मालिक/पूर्तिकर्त्ता अयस्कों को मिलाने का काम पहले से करते आ रहे हैं ताकि लौह अयस्क क्रय संविदाओं में बताई गई विशिष्टियों के अनुरूप हो जाए।

Reorganisation of Railways in Eastern Sector

7061. Shri Jagannathrao Joshi : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether any scheme in regard to reorganisation of Railway traffic in the eastern part of the country is under consideration in pursuance of the treaty of friendship and co-operation signed between India and Bangladesh recently ; and

(b) if so, the salient features thereof ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) No.

(b) Does not arise.

प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन

7062. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्राकृतिक रबड़ का इतना उत्पादन होगा कि निकट भविष्य में इसकी कुल मांग पूरी हो जाएगी ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार कृत्रिम रबड़ का उत्पादन बढ़ाकर तथा रबड़ के नये बाग लगाकर रबड़ की कुल मांग को पूरा करने का है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) आगामी दो वर्षों में प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन से रबड़ का विनिर्माण करने वाले उद्योग की मांग पूरी हो जायेगी। तथापि जब लाइसेंस प्राप्त अतिरिक्त एकक उत्पादन शुरू कर देंगे तो इस माँग के बढ़ने की संभावना है। प्रस्थापित सरकारी क्षेत्र के एकक में संश्लिष्ट रबड़ के उत्पादन से रबड़ की चतुर्थ योजना की मांग समुचित रूप से पूरी की जाएगी।

Parties at Auction of condemned Wagons at Kotah, Udaipur, Ajmer and Jaipur Stations

7064. Shri Lalji Bhai :

Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the names of the parties who purchased the condemned wagons in the auctions

held al Kota, Udaipur, Ajmer and Jaipur Railway stations during the last year ; and

(b) the sale proceeds of the wagons auctioned ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) As per list attached. **[Placed in Library. See No. L.T. 3028/72]**

(b)	Kota.....	Rs. 10,98,431
	Udaipur.....	Nil.
	Ajmer.....	Rs. 18,18,220
	Jaipur.....	Nil.
		Rs. 29,16,651

Stock of Medicines in Railway Hospitals, Udaipur, Kota and Jaipur

7065. Shri Lalji Bhai : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether proper stock of medicines is not available in Railway hospitals at Udaipur, Kota and Jaipur in Rajasthan as a result of which class III and IV employees have to face great difficulties ; and

(b) if so, the steps proposed to be taken by Government to remove their difficulties ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) There is no shortage of medicines in the Railway hospitals at Udaipur, Kota and Jaipur. In case any specific item runs short due to late supply, the doctors make local purchases of needed items under their own powers.

(b) Does not arise.

Shifting of Office of South Eastern Railway from Bilaspur to Orissa

7066. Shri Chandulal Chandrakar : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether his Ministry wants to shift the Office of the Deputy General Manager, South-Eastern Railway from Bilaspur in Madhya Pradesh to Bhubneshwar or to some other place in Orissa ; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) There is no deputy General Manager's office located at Bilaspur.

(b) Does not arise.

Derailment of Bogies of a Train near Teghra Station (North Eastern Railway)

7067. **Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether 15 bogies of a train were derailed near Teghra Railway Station as reported in the 'Navbharat Times' dated the 28th March, 1972 ; and

(b) if so, the causes thereof and the extent of loss suffered by the railway as a result thereof ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) The accident occurred on 25.3.1972 at Teghra Station.

(b) The accident was due to the failure of railway staff. The cost of damage to railway property has been estimated at approximately Rs. 42,500/-.

रेलवे कर्मचारियों द्वारा रेल गाड़ियों का रोका जाना

7068. **श्री बी० के० दास चौधरी :**

श्री बी० मायावन :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेल कर्मचारियों द्वारा रेल गाड़ियों को रोके जाने की घटनाओं की जांच की है ;

(ख) यदि हां, तो उनका क्या निष्कर्ष निकला ; और

(ग) सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत हरिजन बस्तियों को सम्मिलित न करना

7069. **श्री एस० ए० मुरूगनन्तम** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि कुछ क्षेत्रों के गांवों में हरिजन बस्तियों को, ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कितनी शिकायतें मिली हैं ;

(ग) क्या इन शिकायतों की कोई जांच की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला है तथा सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (घ) चूंकि ऐसा देखा गया कि पहले ही विद्युतीकरण ग्रामों के पास की कुछ हरिजन बस्तियों को उन क्षेत्रों

में अलाभकर भारों और राज्य विद्युत् बोर्डों के वित्तीय संसाधनों की तंगी के कारण विद्युतीकृत नहीं किया गया, इसलिए भारत सरकार ने दिसम्बर, 1971 से ऐसी हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण के लिए एक विशेष स्कीम चालू की है। इस स्कीम के अनुसार, ऐसी हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण के लिए राज्य विद्युत् बोर्डों को ग्राम विद्युतीकरण निगम के माध्यम से रियायती शर्तों पर ऋण सहायता दी जा रही है। इस पर ऋण पर ब्याज $4\frac{3}{4}$ प्रतिशत प्रतिवर्ष के हिसाब से होगा और उसकी वापसी 15 वर्षों की अवधि में की जाएगी। निगम ने अब तक आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश की ऐसी दस स्कीमों को स्वीकृति दी है, जिससे 55.841 लाख रुपये की ऋण सहायता से पहले से विद्युतीकृत ग्रामों के आस-पास की 1142 हरिजन बस्तियों में सड़क पर 9167 रोशनियों की व्यवस्था करने का लक्ष्य परिकल्पित है।

चौथी योजना के अन्त तक देश में लगभग ऐसी 20,000 हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण के लिए 5 करोड़ रुपये का प्रावधान करने का प्रस्ताव है। भविष्य में ग्रामों के विद्युतीकरण के लिए हाथ में ली जाने वाली परियोजनाओं के लिए, सभी राज्य विद्युत् बोर्डों को यह सलाह दी गई है कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि जिस समय ग्रामों का विद्युतीकरण किया जाए उसी समय आस-पास की हरिजन बस्तियों को भी विद्युतीकृत कर दिया जाए।

नैवेली में दूसरा ताप विद्युत् संयन्त्र

7070. **श्री एस० ए० मुरूगनन्तम** : क्या सिंचाई और विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने नैवेली में दूसरा ताप विद्युत् संयन्त्र लगाने की माँग की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख) तमिलनाडु सरकार ने दूसरी खान काट से उपलब्ध होने वाले लिग्नाइट का उपयोग करने के लिए नैवेली में ताप विद्युत् जनन के और विस्तार के लिए कहा है। सरकार इस प्रस्ताव के आर्थिक पहलुओं की जांच कर रही है।

नेपाल में करनाली पन-बिजली परियोजना के लिए भारत की सहायता

7071. **श्री एस० ए० मुरूगनन्तम :**
श्री शिव कुमार शास्त्री :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल सरकार ने उस देश की करनाली पन-बिजली परियोजना के बारे में भारत से सहायता मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो उसने क्या तथा कितनी सहायता मांगी है ; और

(ग) उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (ग) नेपाल सरकार ने अब तक भारत से केवल इस आश्वासन के लिए प्रस्ताव किया है कि भारत करनाली जल-विद्युत् परियोजना से एक बड़ी मात्रा में थोक विद्युत् की खरीद के लिए इच्छुक होगा। भारत सिद्धांततः इसके लिए सहमत हो गया है।

बिहार में खोले गए रेलवे स्टेशन

7072. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में बिहार में जिलेवार कितने रेलवे स्टेशन खोले गए और उनके नाम क्या हैं ;

(ख) क्या उक्त अवधि में नये रेलवे स्टेशन खोलने के लिए बिहार सरकार ने कोई प्रस्ताव भेजे थे ; और

(ग) यदि हां, तो उनके बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : विगत दो वर्षों के दौरान बिहार में ज़िलावार निम्न-लिखित पांच रेलवे स्टेशन/गाड़ी हाल्ट खोले गये :—

1. दिल्ली दिवानगंज गाड़ी हाल्ट
   (पूर्णिमा ज़िला)
2. आवापुर गाड़ी हाल्ट
   (मुज़फ्फरपुर ज़िला)
3. उगना गाड़ी हाल्ट
   (दरभंगा ज़िला)
4. सरायगढ़ स्टेशन
   (सहरसा ज़िला)
5. गड़हरा गाड़ी हाल्ट
   (मुंगेर ज़िला)

(ख) उक्त अवधि में नये रेलवे स्टेशन खोलने के सम्बन्ध में बिहार सरकार से कोई प्रस्ताव नहीं मिला था।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

गढ़वा रोड-चोपान सैक्शन (बिहार) के स्टेशनों के लिए वैगनों की आवश्यकता

7073. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष पूर्व रेलवे के गढ़वा रोड-चोपान सैक्शन के स्टेशनों और गोमोह-बडकाखाना-डेहरी-आन-सोन सैक्शन के गढ़वा रोड और रांची रोड के रेलवे स्टेशनों को कितने-कितने वैगनों की आवश्यकता थी ;

(ख) बड़े व्यापारियों को कितने वैगन अलाट किए गए ; और

(ग) सबसे अधिक वैगन किस व्यापारी को अलाट किए गए और कितने ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) पिछले वित्तीय वर्ष में पूर्व रेलवे के गढ़वा रोड-चोपन खण्ड और गढ़वा रोड और रांची रोड खण्ड पर व्यापारियों द्वारा क्रमश: 16,273 और 65,506 मालडिब्बों की मांग की गई। इनमें से क्रमश: 11,412 और 37,245 मालडिब्बों का लदान हुआ।

(ख) इन दो खण्डों पर बड़े व्यापारियों को क्रमश: 8,344 और 26,081 मालडिब्बों का नियतन किया गया।

(ग) गढ़वा रोड-चोपन खण्ड पर, दल्ला स्थित उत्तर प्रदेश सरकार की सीमेंट फैक्टरी को सबसे अधिक अर्थात् 3,922 मालडिब्बे दिए गए। गढ़वा रोड और रांची रोड खण्ड में, मैसर्स हिन्दुस्तान एल्युमीनियम कम्पनी को सर्वाधिक अर्थात् 12,539 मालडिब्बे मिले।

Railway Goods stolen on North Eastern Railway

7074. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the value of Railway goods stolen on the North Eastern Railway during the last two years ;

(b) the number of cases registered in this connection and the value of goods recovered ; and

(c) the number of cases pending in the courts in this regard at present ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) :

(a)

Year	Value of goods stolen on N. E. Railway
1970	Rs. 3,61,057
1971	Rs. 3,79,358

(b)

Year	No. of cases registered	Value of goods recovered.
1970	525	Rs. 2,00,174
1971	512	Rs. 1,69,110

(c) In this regard 384 cases are pending in Court at present.

Ticketless Travellers on Southern Railway

7075. **Shri Hukam Chand Kachwai :**

Shrimati Bhargavi Thankappan :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of Ticketless Travellers apprehended on Southern Railway since the 1st January, 1971 ;

(b) the revenue earned by Government as penalty from them ; and

(c) the number of persons imprisoned in this connection ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) 2,63,812 during the period from 1-1-71 up to 31-3-72.

(b) Rs. 25,35,380/-,

(c) 22,002.

Incidents of Thefts, Murders, Loot and Dacoities on Eastern Railway

7076. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the number of incidents of thefts, murders, looting and dacoities on the Eastern Railway during the last year ;

(b) the estimated loss of property suffered by passengers in these incidents ; and

(c) The steps proposed to be taken by Government to stop such incidents in future ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) :

(a)

Year	thefts	murders	looting	dacoities
1971	771	6	25	19

(b) Rs. 1,25,86,397/-

(c) (i) Most of the passenger trains are being escorted by the Government Railway Police.

(ii) Flying squads of the Government Railway Police are also functioning at some of the affected places.

(iii) State Government machinery has been alerted to prevent and detect such crimes in the Railway.

(iv) Government Railway Police constables in plain-clothes are also deputed at platforms and passenger halls for keeping a watch on criminals.

Revenue Earned from Ticketless Passengers

7077. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of Railways be pleased to state the revenue earned by Railways in the form of penalty imposed on ticketless passengers during the financial year 1971-72 ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : Rs. 1,43,39,721/-.

Railway Line Between Dehari and Amaur in Bihar

7078. **Shri Ishwar Chaudhry :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether there is any proposal to lay railway line between Dehari and Amaur in Bihar ;

(b) the broad outlines of other proposals for laying railway lines in Bihar ; and

(c) the expenditure to be incurred on the implementation thereof ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) No.

(b) and (c) A statement is attached. **[Placed in Library. See No. L. T. 3029/72]**

कर्मचारियों पर व्यय और यातायात में वृद्धि

7079. **श्री एम० एस० शिवस्वामी :**

श्री बी० वी० नायक :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में कर्मचारियों पर बढ़ा हुआ व्यय यातायात में वृद्धि के अनुकूल नहीं रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में यातायात में वृद्धि के मुकाबले कर्मचारियों पर व्यय के आंकड़े क्या हैं और सरकार ने संचालन-व्यय कम करने और परिचालन में दक्षता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) और (ख) 1968-69 से 1970-71 तक की अवधि में कुल यातायात यूनिट (शुद्ध मीटरिक टन किलोमीटर घन यात्री किलोमीटर) में 5.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई लेकिन कर्मचारियों की संख्या में केवल 1.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई । फिर भी कर्मचारी व्यय 17.1 प्रतिशत बढ़ गया । सम्बन्धित आंकड़े इस प्रकार हैं :—

वर्ष	निर्माण कर्मचारियों सहित कर्मचारियों की संख्या (हजार में)	सूचक	लागत (करोड़ रुपयों में)	सूचक	यातायात इकाइयां* (दस लाख में)	सूचक
*शुद्ध मीटरिक टन किलोमीटर घन यात्री किलोमीटर						
1968-69	1353	100.0	393.3	100.0	232,080	100.0
1969-70	1358	100.4	420.5	106.9	241,630	104.1
1970-71	1373	101.4	460.4	117.1	245,478	105.8

कर्मचारी व्यय में इस वृद्धि को समय-समय पर प्रभावी महंगाई-भत्ते में संशोधन, रनिंग भत्ते, मकान किराया और प्रतिकर भत्ते में वृद्धि, अन्तरिम सहायता की मंजूरी और परिणामस्वरूप समयो-

परि भत्ते की दरों में वृद्धि, वार्षिक वेतन वृद्धि आदि बातों के परिप्रेक्ष्य में ही देखना होगा जिनमें से अधिकांश रेलों के नियंत्रण से बाहर थीं।

खर्च में मितव्ययिता लाने और कार्य-कुशलता में सुधार करने के लिए किए गए कुछ अधिक महत्त्वपूर्ण उपाय इस प्रकार हैं :—

(i) कई वर्षों से नए पदों के सृजन और यहां तक कि खाली जगहों को भरने के सम्बन्ध में एक बड़ी कड़ी नीति अपनायी जा रही है। उद्देश्य यह है कि कर्मचारियों की संख्या को न्यूनतम आवश्यकता तक सीमित रखा जाए ;

(ii) युक्तियुक्तकरण और प्रोत्साहन योजनाओं द्वारा कार्य-कुशलता और कर्मचारियों की उत्पादकता में सुधार ;

(iii) काम की नई तकनीक और सुधरे हुए तरीके लागू करना ;

(iv) ईंधन की खपत में किफायत, जिसमें अपव्यय और चोरी रोकना शामिल है ;

(v) जहां कहीं आवश्यक हो, गाड़ियों को डीज़ल और बिजली रेल इंजनों से चलाना ;

(vi) भण्डार सूची पर कड़ा नियंत्रण रखना जिससे कि भण्डार की मात्रा को न्यूनतम रखा जा सके।

निर्यातकर्ताओं द्वारा कच्चे माल का सीधा आयात

7080. **श्री एम० एस० शिवस्वामी** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्चे माल की खराब स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव है कि निर्यातकर्ताओं को अन्तकालीन अवधि के लिए कच्चे माल का सीधे आयात करने की अनुमति दी जाए; और।

(ख) यदि हां, तो उसकी रूप-रेखा क्या है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Dry Port at Delhi

7081. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether Delhi has been declared to be a dry-port ;

(b) if so, the value of goods exported from Delhi to foreign countries by aeroplanes ;

(c) whether the businessmen of Delhi have to engage people for the safety packing etc., of their goods at Bombay port from were the goods sent from Delhi are exported ; and

(d) if so, whether Government propose to make any arrangements in Delhi itself for packing etc., of the goods to be exported by the businessmen of Delhi ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George) : (a) No. Sir.

(b) to (d) Do not arise in relation to the part (a) of the question.

वकीलों की सहकारी समितियाँ बनाना

7082. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 24 अप्रैल, 1972 के 'टाइम्स आफ इण्डिया' में "कोआपरेटिव आफ लायर्स सजेस्टेड" शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) जी हां।

(ख) वकीलों की सहकारी समितियाँ बनाने के लिए पहल वकीलों की ओर से ही की जानी चाहिये, जैसा कि न्यायमूर्ति हेगडे ने सुझाव दिया है। इस सम्बन्ध में सरकार की ओर से फिलहाल किसी तरह से कोई कार्रवाई किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। जहाँ तक विधिक-सहायता का सम्बन्ध है, मामले पर विचार किया जा रहा है और उस पर अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 1970 पर संयुक्त समिति के साथ किए गए विचार-विमर्श को दृष्टि में रखते हुए सरकार द्वारा और विचार किया जाएगा।

बड़काखाना-डेहरी-आनसोन लूप सैक्शन (पूर्व रेलवे) पर कौड़ी स्टेशन के निकट गोमोह-डेहरी-आनसोन यात्री गाड़ी का लूटा जाना

7083. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या पूर्व रेलवे के बड़काना-डेहरी-आनसोन लूप सैक्शन पर कौड़ी स्टेशन के निकट गोमोह डेहरी-आनसोन; यात्री गाड़ी के प्रथम श्रेणी के डिब्बे के यात्रियों को सशस्त्र डाकुओं के एक गिरोह ने लूट लिया था;

(ख) क्या इस डाके के समय रेलवे सुरक्षा दल के दो वर्दी पहने कर्मचारी वहाँ उपस्थित थे परन्तु उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की; और

(ग) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हां। यह घटना 14. 4. 72 को कजरी और रजहरा स्टेशनों के बीच हुई।

(ख) रेलवे सुरक्षा दल के दो पदाधिकारी, जो उसी डिब्बे के पहले दर्जे के अन्य कक्ष में उसी गाड़ी से यात्रा कर रहे थे, रजहरा स्टेशन पर गाड़ी के पहुँचने के बाद उनका शोर सुनकर पीड़ितों की ओर दौड़े। उन्होंने और गाड़ी के साथ चल रहे सरकारी रेलवे पुलिस के सिपाहियों ने पूछताछ शुरू कर दी और दोषी व्यक्तियों की खोजबीन की।

(ग) (i) इस मामले में फंसे और गिरफ्तार 10 अपराधियों पर मुकदमा चलाने की दृष्टि से जोर-शोर से जांच-पड़ताल की जा रही है ताकि यह ऐसे अपराधियों के लिए निवारक सिद्ध हो जो इस मामले से पूर्व इस क्षेत्र में सक्रिय नहीं थे।

(ii) अनुरक्षा प्रबन्ध की व्यवस्था पहले से है और उसे अत्यधिक प्रभावी बनाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

Railway Service Commission at Patna

7084. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether candidates from Bihar applying for jobs in the Railways have to go to Allahabad or Calcutta for interview before the Railway Service Commission ; and

(b) if so, whether Government propose to set up an independent Railway Service Commission in Patna for the people of Bihar ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) No. Patna and Danapur in Bihar State are normally centres for written test/interview conducted by the Railway Service Commissions Calcutta and Allahabad.

(b) No. A branch office of the Railway Service Commission, Allahabad and Calcutta is already functioning at Danapur in Bihar as an additional convenience for applicants in Bihar State.

वाणिज्यिक फसलों के लिए पृथक निगम

7085. **श्री सी० जनार्दनन् :** क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रबड़, चाय, काफी और इलायची जैसी वाणिज्यिक फसलों की खरीद और बिक्री के लिये पृथक निगम आरम्भ करने के किसी प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) और (ख) काफी, रबड़ तथा इलायची की बिक्री तथा खरीद के लिए पृथक निगमों की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है, यद्यपि राज्य व्यापार निगम का और भी बड़े स्तर पर इन वस्तुओं का व्यापार करने का विचार है। चाय के सम्बन्ध में 21 दिसम्बर, 1971 को कलकत्ता में 'भारतीय चाय व्यापार निगम सीमित' नाम से सरकारी क्षेत्र का एक निगम पंजीकृत किया गया था।

निगम भारत तथा विदेशों में मुख्यत: पैकों में चाय बेचने का प्रयत्न करेगा और यह चाय का व्यापार तथा विपणन करते हुए निर्यात उत्पाद में विविधता लाने और विदेशी मुद्रा की आय बढ़ाने में सहायता करेगा। यह विपणन सीधे ही या अन्य अभिकरणों के माध्यम से किया जायेगा। उत्पाद तथा बाजारों के विकास के लिए नियमित रूप से बाजार गवेषणा की जाएगी। यथासमय निगम भारत तथा विदेशों में मिश्रण तथा पैकेजिंग एकक स्थापित करेगा।

निगम शुरू में पश्चिम एशिया के कुछ चुने हुए देशों तथा कुछ अन्य देशों में उपभोक्ता पैकों में भारतीय चाय की बिक्री करेगा। यह निगम, सुरुचिपूर्ण बाजारों में कुछ चुने हुए ग्राहकों की आवश्यकता पूरी करने के लिए कुछ विशिष्ट ब्रान्डों की चाय जैसे, नीलगिरि, आसाम तथा दार्जिलिंग

चाय की बिक्री करेगा । निगम चाय के भारतीय निर्यातों की वृद्धि करने के लिए कार्य की अपनी अलग योजना निर्धारित करेगा ।

मैसर्स कुण्डू स्पेशल आफ कलकत्ता द्वारा पर्यटक ले जाने के लिए बेकार पर्यटक-वाहन का प्रयोग

7086. **श्री समर गुह** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे का एक पर्यटक वाहन संख्या सी० टी० टी० 1402 मैसर्ज कुण्डू स्पेशल आफ कलकत्ता को भाड़े पर देने की अनुमति दी गई जो उसे मुगलसराय पर 24 सितम्बर, 197i को सौंपा गया था ;

(ख) क्या वह वाहन बेकार घोषित कर दिया गया था और यात्री ले जाने के योग्य नहीं था ; और

(ग) यदि हां, तो पर्यटक ले जाने के लिये इसके प्रयोग की अनुमति देने के क्या कारण हैं जिससे उनका जीवन भी खतरे में पड़ सकता हो ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हाँ । परन्तु उक्त पार्टी को इस पर्यटन यान का आवंटन वाराणसी स्टेशन पर किया गया था, मुगलसराय स्टेशन पर नहीं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

बंगला देश के साथ गैर-सरकारी व्यापार के लिये लाइसेंस जारी किया जाना

7087. **श्री समर गुह** : क्या **विदेश व्यापार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश के साथ गैर-सरकारी तौर पर व्यापार करने के लिये लाइसेंस जारी कर दिये गये हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय और आसाम के लोगों को कितने-कितने लाइसेंस दिये गये हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) बंगला देश के साथ व्यापार करार के अनुसरण में दिनांक 20 अप्रैल, 1972 की सार्वजनिक सूचना सं० 57 जारी की गई है जिसमें विनिर्दिष्ट मूल्य सीमाओं तक विनिर्दिष्ट वस्तुओं के संबंध में सीमित भुगतान प्रबन्धों के आधार पर बंगला देश के साथ व्यापार के आवश्यक उपबन्ध हैं। इनमें से कुछ वस्तुओं के आयात/निर्यात करने के लिए गैर-सरकारी व्यापारियों को अनुमति दी जाएगी । 15 मई, 1972 तक आयात/निर्यात लाइसेंसों के लिए कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ था।

मछली पकड़ने के लिये रेलवे भूमि पर स्थित तालाब

7088. **श्री समर गुह** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे के पास पानी भरने के स्टेशनों के सामने अनेक तालाब हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो कितने ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इनमें मत्स्य पालन का विकास करने हेतु इन्हें पट्टे पर देने का है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हाँ।

(ख) 218

(ग) मत्स्यपालन के लिए उपयुक्त रेलवे तालाबों का लाइसेंस देने के लिए हिदायतें पहले से मौजूद हैं जिनके अनुसार रेल कर्मचारी सहकारी समितियों और मछुआ सहकारी समितियों को तरजीह दी जाती है।

भारत के निर्यात/आयात व्यापार को संरक्षण देने के लिये कानून

7089. **श्री एम० एम० जोजफ** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के निर्यात-आयात व्यापार को संरक्षण देने के उद्देश्य से विधेयक प्रस्तुत करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) देश के आयात तथा निर्यात व्यापार को विनियमित करने हेतु पहले से ही एक आयात तथा निर्यात नियंत्रण अधिनियम 1947 है। तथापि इसे और अधिक कठोर बनाने के लिए वर्तमान अधिनियम का संशोधन करने की एक प्रस्थापना विचाराधीन है।

(ख) प्रस्थापित संशोधन की मुख्य बात यह है कि आयात-निर्यात अधिनियम के अन्तर्गत किये गये अपराधों के लिये मुकदमा चलाने के वर्तमान उपबन्ध के अतिरिक्त, अपराधियों द्वारा अर्जित गैर-कानूनी लाभ वापिस लेने के उद्देश्य से जुर्माने करने के लिये विभागीय न्याय-निर्णयन होगा।

Introduction of an Additional Train from Delhi to Bombay via Gwalior

7090. **Shri Phool Chand Verma :**
Dr. Laxminarain Pandey :

Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether Government propose to introduce an additional passenger train from Delhi to Bombay via Gwalior ; and

(b) if so, the time by which a final decision is likely to be taken in this regard ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) No.

(b) Does not arise.

डीजल लोको शैड, गंटाकल के कर्मचारियों की सेवा में व्यवधान की माफी

7091. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डीजल लोको शैड गंटाकल के कर्मचारियों की 2 और 3 अप्रैल, 1971 को कार्य न करने के लिए सेवा में व्यवधान का दण्ड माफ करने के आदेश जारी कर दिये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन आदेशों का सारांश क्या है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Railway Accidents during April, 1972

7092. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the number of Railway accidents during April, 1972;

(b) whether enquiries have been held to find out the causes; and

(c) if so, the outcome thereof ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) During April, 1972 there were 80 train accidents in the categories of collisions, derailments, level crossing accidents and fires in trains on the Indian Government Railways.

(b) & (c) All these accidents were inquired into. Of the 76 cases, the causes of which have been ascertained, 32 were due to failure of railway staff, 18 due to acts of persons other than railway staff and 12 due to failure of railway equipment. Of the remaining cases one was due to sabotage, 8 were accidental in nature for which no one was held responsible and in 4, the causes could not be precisely determined.

Import of Zinc and its Distribution

7093. **Dr. Laxminarain Pandey** : Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) the value of zinc imported by M. M. T. C. during the year 1970-71;

(b) the percentage of increase or decrease in imports as compared to those in 1969-70;

(c) the names of factories or companies to whom the imported zinc was distributed;

(d) the price at which the zinc was supplied to companies during the aforesaid years as also its market rate during that period; and

(e) the mode of distribution of imported zinc ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George) : (a) Rs. 1490.85 lakhs.

(b) 730%

(c) The zinc was distributed to a large number of units in large scale and small scale sector and time and labour involved will not commensurate with the results achieved.

(d) Period	MMTC's Selling Price per M/T for High Grade Zinc	Open Market Price per M/T (quarterly average)
(1969-70)		
Apr-Jun. '69	Rs. 3154	Rs. 3928
Jul-Sep. '69	Rs. 3210	Rs. 4808
Oct-Dec. '69	Rs. 3340	Rs. 5379
Jan-Mar. '70	Rs. 3430	Rs. 5614
(1970-71)		
Apr-Jun. '70	Rs. 3220	Rs. 5194
Jul-Sep. '70	Rs. 3170	Rs. 5216
Oct-Dec. '70	Rs. 3240	Rs. 4998
Jan-Mar. '71	Rs. 3170	Rs. 4596

(e) The Corporation releases zinc against the Release Orders strictly on "first come first served" basis. The Sale notes are issued in favour of the actual users in a chronological order for full allocation or on pro-rata basis according to the availability of stocks. The actual supplies are made out of the Corporation's stocks at Bombay, Calcutta or Madras after receipt of payment and completion by the Actual Users of other formalities stipulated in the sale notes.

Memorandum by Ticket Checking Staff Association

7094. **Shri Shankar Dayal Singh** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the strength of Ticket Checking staff in the country, zone-wise;

(b) whether Government pay Running Allowance to this staff who are posted continuously in the running trains;

(c) if so, the quantum thereof; and

(d) whether the Ticket Checking staff Association has submitted any memorandum in this regard, if so, Government's reaction thereto ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : (a).

Railway	Number of Travelling Ticket Examiners sanctioned.
Central	1045
Eastern	1140
Northern	1382
North Eastern	858
Northeast Frontier	428
Southern	921
South Central	716
South Eastern	892
Western	1061

(b) No. They are paid Travelling Allowance/Daily Allowance as per rules.

(c) Does not arise.

(d) No such memorandum has been received in the recent past. This subject was, however, discussed in the Departmental Council of the Joint Consultative Machinery and disagreement having been recorded therein, the matter was referred to the Board of Arbitration whose Award is awaited.

Steps to Resolve Differences Reg : Use of Sone Water

7095. **Shri Shankar Dayal Singh** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether any talks regarding Bansagar Project have been held recently with the Chief Ministers of Bihar, Madhya Pradesh and Uttar Pradesh to solve the differences regarding the use of Sone waters; and

(b) if so, the outcome thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Baij Nath Kureel) : (a) Yes.

(b) Efforts continue to be made to veolve proposals which might be acceptable to all the three States of Bihar, Madhya Pradesh and Uttar Pradesh.

अभ्रक उद्योग में संकट के बारे में ज्ञापन

7096. **श्री शंकरदयाल सिंह** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें विभिन्न संस्थाओं से अभ्रक उद्योग के सम्मुख संकट के सम्बन्ध में ज्ञापन प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन संस्थाओं के नाम क्या हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) जिन संस्थाओं ने अभ्रक के निर्यात के बारे में ज्ञापन भेजे हैं उनके नाम इस प्रकार हैं :—

1. माइका इंडस्ट्री एसोसियेशन, गिरिडीह ।
2. बिहार माइका एक्सपोर्ट्स एसोसियेशन, गिरिडीह ।
3. बिहार एण्ड उड़ीसा माइका एसोसियेशन, गिरिडीह ।
4. बिहार माइका एसोसियेशन, गिरिडीह ।
5. कोदार्मा माइका माइनिंग एसोसियेशन, कोदार्मा ।
6. दि चैम्बर्स आफ कामर्स, गुदूर ।
7. मद्रास माइका एसोसियेशन, गुदूर ।

इन संस्थाओं ने खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से अभ्रक के मार्गीकृत किये जाने के कारण अभ्रक के निर्यात में पैदा हुई कठिनाइयों को सरकार के ध्यान में लाया था । खनिज

तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से अभ्रक के निर्यात की प्रक्रिया को इस बीच सरल कर दिया गया है और अब अभ्रक का निर्यात होना शुरू हो गया है।

मीरज से लोंढा तक बरास्ता गोकाक (दक्षिण मध्य रेलवे) बड़ी लाइन का विस्तार

7097. **श्री जगन्नाथ राव जोशी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मीरज से लोंढा तक (दक्षिण मध्य रेलवे) बड़ी लाइन का विस्तार करने के प्रस्ताव पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह लाइन गोकाक के रास्ते होकर जायेगी जो एक महत्वपूर्ण कस्बा है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : मिरज-लोंढा-होसपेट-मार्मुगाओ और अलनावर-डांडेली मीटर लाइन खण्डों को बड़ी लाइन में बदलने के लिए पहले किए गए सर्वेक्षणों को अद्यतन करने का क.म 1972-73 के बजट में शामिल कर लिया गया है और शीघ्र ही इसे प्रारम्भ किया आ रहा है।

(ख) पूर्ववर्ती सर्वेक्षण के अनुसार यह आमान परिवर्तन गोकाक रोड स्टेशन के रास्ते वर्तमान मार्ग के साथ-साथ होगा।

Decline in Export Trade of Bananas

7098. **Shri Jagannathrao Joshi** : Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether the export of bananas from India has declined according to the survey conducted by the Food and Agricultural Organisation of United Nations; and

(b) if so, the extent of decline ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George) : (a) & (b) There was a slight decline in export of bananas during 1970 as compared to 1969. However, our bananas exports picked up in 1971 as will be clear from the following statistics :—

Qty. in Tonnes.
Value in '000' Rs.

	Quantity	**Value**
1969	7817	4041
1970	7085	3533
1971 (Jan-November)	7649	3382

भारतीय कार्यक्रमों के बारे में श्री कारकोरान की सिफारिशें

7099. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रसायन तथा संबद्ध उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद् के लिए श्री कारकोरान की सेवाएं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम को सौंपी गई थीं ;

(ख) क्या उन्होंने भारतीय इत्रों का निर्यात बढ़ाने के लिए कुछ सिफारिशें की हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उनकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत श्री कारकोरान की सेवाएं समाक्षारीय रासायनिक पदार्थ, भेषज तथा साबुन निर्यात संवर्धन परिषद को प्रदान की गई थीं, न कि रासायनिक तथा संबद्ध उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद् को।

(ख) जी हां।

(ग) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

इत्रादि :

(क) यह बात समझ लेनी चाहिए कि भारत अपनी परम्पराओं और कौशल के आधार पर पुनः एक प्रमुख इत्र उत्पादक देश के रूप में उभर सकता है। परन्तु फिर भी इस उद्योग का नई वैज्ञानिक व प्रौद्योगिकीय क्रियाओं के आधार पर आधुनिकीकरण होना चाहिए।

(ख) उद्योग को यह धारणा बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि उसके प्रयास फलदायक हैं। इस उद्योग को एक असंगत विलास उद्योग नहीं मान लेना चाहिए जिस पर राष्ट्रीय साधनों के व्यय करने की बहुत कम अपेक्षा है। भारत के इत्र उद्योग का आधुनिक ढंग से पुनर्निर्माण करना विदेशों में भारत की प्रतिष्ठा के लिए अच्छा रहेगा। इसके अतिरिक्त, भांति-भांति संवेष्टित और दिखने में सुन्दर लगने वाले स्पिरिट आधारित इत्रादि के संबंध में केवल अच्छी निर्यात संभाव्यताएं ही नहीं हैं अपितु यह एक मूल्यवान पर्यटक पद भी है जिससे पर्याप्त विदेशी मुद्रा प्राप्त हो सकती है।

(ग) यह समझ लेना चाहिए कि इत्रादि विश्व व्यापार की उन मदों में से एक है जिनके व्यापार में बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है और इस स्थिति का लाभ उठाने के लिए बड़ी फर्मों को इस क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए सुविधा दी जानी चाहिए। इत्रादि को केवल लघु उद्योग तक ही सीमित नहीं रखा जाना चाहिए, जैसा कि अब है।

(घ) इत्र यौगिकों (जैसे कि साबुनों, प्रसाधन सामग्री आदि के अंतिम उत्पाद विनिर्माताओं हेतु मध्यवर्ती उत्पाद) के निर्यात बढ़ाने के बड़े अवसर विद्यमान हैं बशर्ते कि न्यायोचित निर्यात प्रोत्साहन दिए जाएं और सरकार कोई ऐसा तरीका निकाले कि ये प्रोत्साहन इत्र विनिर्माताओं को अपनी विधियां बताए बिना दिए जा सकें क्योंकि यह एक ऐसा विषय है कि विश्व भर में कोई भी इत्र-विनिर्माता अपने तीव्र भावात्मक कारणों से यह नहीं बताएगा। यदि इस कठिनाई से निकलने का कोई तरीका निकाल लिया जाए तो इत्र यौगिकों के निर्यातों में, मुख्यतः एशियाई तथा अफ्रीकी देशों को, तीव्र वृद्धि करके उन्हें एक करोड़ रुपये के स्तर पर लाया जा सकता है।

(ङ) स्पिरिट आधारित इत्रों, क्लोन और प्रसाधन सामग्री के निर्यात के भी बेहतर अवसर हैं बशर्ते कि औद्योगिक अलकोहल (और साथ ही बेहतर क्वालिटी का) प्राप्त करने में जो निराशा

विद्यमान है उसे दूर कर दिया जाए और औद्योगिक अलकोहल के प्रयोग के संबंध में विभेदपूर्ण कराधान में परिवर्तन कर दिया जाए ताकि भारतीय विनिर्माता स्पिरिट आधारित इत्रादि बनाने के कौशल का विकास कर सकें। इससे होने वाली आय में कोई कमी नहीं होगी क्योंकि वर्तमान प्रतिबंधों के कारण स्पिरिट आधारित इत्रादि का विनिर्माण लगभग होता ही नहीं है, और इस कारण न्यूनतम राजस्व ही प्राप्त होता है।

फार्मसिस्ट द्वारा क्लर्कों का काम

7100. **श्री राजदेव सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिन स्टेशनों पर केवल एक डाक्टर, एक फार्मसिस्ट, एक ड्रेसर तथा एक सफाई वाला नियुक्त है वहां पर वेतन बिल बनाने, छुट्टियों का हिसाब किताब रखने तथा अन्य पत्र व्यवहार करने आदि का क्लर्कों का काम फार्मसिस्ट को करना पड़ता है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उसके द्वारा किए गए अतिरिक्त कार्य के लिए उसे कोई अतिरिक्त पारिश्रमिक दिया जाता है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हां, कुछ क्षेत्रीय रेलों पर।

(ख) जी नहीं, क्योंकि काम नाममात्र रहता है।

राज्य व्यापार निगम के माध्यम से साइकिलों का निर्यात

7101. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साइकिलों के निर्यात की अच्छी संभावनाएं हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या साइकिलों का निर्यात राज्य व्यापार निगम के माध्यम से किया जाएगा अथवा साइकिल निर्माताओं के स्वतंत्र संगठन द्वारा किया जायेगा ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) साइकिलों और साइकिल के हिस्सों के निर्यातों का भविष्य अच्छा है जैसा कि नीचे दिए गए गत तीन वर्षों के दौरान निर्यातों की वर्धनशील प्रवृत्ति से प्रकट है :—

1969-70	4.67 करोड़ रुपये
1970-71	6.91 करोड़ रुपये
1971-72 (अनुमानित)	8.50 करोड़ रुपये

(ख) साइकिलों और साइकिल संघटकों के निर्यात किसी अभिकरण के माध्यम से मार्गीकृत नहीं हैं। प्रत्येक निर्यातक और साथ-साथ राज्य व्यापार निगम इन मदों के निर्यात करने के लिए स्वतंत्र हैं।

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के सेवा निवृत्त न्यायाधीशों को कार्य सौंपना

7102. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री 16 नवम्बर, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 395 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के 36 सेवा निवृत्त न्यायाधीशों की सेवाओं

का उपयोग किस प्रकार और कितनी अवधि के लिए किया गया था और उनमें कितने न्यायाधीश उच्च न्यायालयों के थे और कितने उच्चतम न्यायालय के थे ;

(ख) 1 अगस्त, 1971 से 31 मार्च, 1972 तक की अवधि में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के कितने सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को अलग-अलग नियुक्तियाँ दी गईं अथवा कार्य सौंपे गए ;

(ग) क्या सेवानिवृत्त जिन न्यायाधीशों की सेवाओं का विभिन्न कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है, उन्हें सेवानिवृत्त न्यायाधीश के रूप में मिलने वाली उपलब्धियों के अतिरिक्त भत्ते अथवा परिलब्धियां मिलती हैं, और यदि हां, तो उनकी दर क्या है ; और

(घ) उनकी नियुक्तियों की शर्तें क्या थीं ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) जानकारी देने वाला विवरण संलग्न है (विवरण-I)। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 3030/72] 36 सेवा निवृत्त न्यायाधीशों में से 29 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे और 7 उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश थे।

(ख) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) और (घ) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के सेवा निवृत्त न्यायाधीशों के पुनर्नियोजन की शर्तें तय करने में जो सिद्धांत अपनाए जाएंगे वे सरकार द्वारा निर्धारित किए गए हैं। जिनकी एक प्रति संलग्न है (विवरण II)। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०** 3030/72] 36 सेवा-निवृत्त न्यायाधीशों के पुनर्नियोजन की शर्तें साधारणतया उन्हीं सिद्धांतों के अनुसार तय की गई थीं जो निर्दिष्ट किए गए हैं।

दक्षिण पूर्व रेलवे के मुख्यालय और रेलवे सेवा आयोग के कार्यालय को उड़ीसा स्थानान्तरित करना

7103. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उड़ीसा के मुख्य मंत्री से दक्षिण पूर्व रेलवे के मुख्यालय और रेलवे सेवा आयोग के कार्यालय को उड़ीसा स्थानान्तरित करने के बारे में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है और क्या उड़ीसा के मुख्य मंत्री इस सम्बन्ध में उनसे मिले भी थे ;

(ख) क्या सरकार को दक्षिण पूर्व रेलवे के मुख्यालय के कलकत्ता से उड़ीसा स्थानान्तरित करने के बारे में उड़ीसा विधान सभा द्वारा सर्वसम्मत रूप से पारित संकल्प भी प्राप्त हुआ है ; और

(ग) यदि हाँ, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हाँ।

(ख) जी हां।

(ग) प्रस्ताव की पूरी जांच करने के पश्चात् यह विनिश्चय किया गया है कि दक्षिण पूर्व रेलवे के मुख्यालय को कलकत्ता से न हटाया जाय।

रेल सेवा आयोग के मुख्यालय को कलकत्ता से हटाने के सम्बन्ध में अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है ।

Detention of Frontier Mail and other Trains at Kota Station

7104. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether the Frontier Mail and other trains were detained at Kota Station (Rajasthan) for eleven hours during this month;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the reaction of Government thereto ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) Yes. On 14th of April, 1972, 3 Dn. Frontier Mail was detained at Kota for 9 hours 35 minutes and some other trains were also detained for a duration varying from 3 hours to 12 hours.

(b) Due to staff agitation on account of a labourer having been run over during the course of shunting.

(c) A Committee of three Officers is enquiring into the entire incident.

महेन्द्रघाट पूर्वोत्तर रेलवे के गोमती नामक स्टीमर का असंतोषजनक कार्य

7105. **श्री रामशेखर प्रसाद सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे पर महेन्द्रघाट के एक गोमती नामक स्टीमर की कुछ समय पूर्व मरम्मत की गई थी ;

(ख) क्या उक्त स्टीमर फिर खराब हो गया है और उसे मरम्मत के लिये भेज दिया गया है ; और

(ग) यदि हाँ, तो उसके फिर से खराब होने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हाँ ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

नागालैंड, मनीपुर और त्रिपुरा में चाय का उत्पादन

7106. **श्री निहार लास्कर** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नागालैंड, मनीपुर और त्रिपुरा के पूर्वोत्तर राज्यों में चाय के उत्पादन को तेजी से न बढ़ाने के क्या कारण हैं ; और

(ख) नागालैंड में चाय का उत्पादन करने के बारे में चाय बोर्ड ने राज्य सरकार से वर्ष 1963 में विचार-विमर्श किया था लेकिन इस सम्बन्ध में अब तक कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है ; यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) नागालैंड तथा मनीपुर में चाय के उत्पादन की सम्भाव्यताओं के बारे में 1963 से चाय बोर्ड द्वारा सम्बन्धित प्राधिकारियों के

साथ कार्यवाही की जा रही है । चूंकि त्रिपुरा पहले ही एक चाय उत्पादक क्षेत्र है अतः उसका मामला अलग से राज्य सरकार के साथ नहीं उठाया गया था ।

(ख) मामला नागालैंड सरकार के साथ उठाया गया था । हाल में चाय बोर्ड के अध्यक्ष के एक पत्र के उत्तर में नागालैंड सरकार कलकत्ता में विचार-विमर्श करने के लिए सहमत हो गई है ।

पूर्वी उत्तर प्रदश के जिलों में राप्ती, घाघरा, कुआनों नदियों में बाढ़ नियंत्रण के उपाय

7107. **श्री नरसिंह नारायण पांडेय** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में राप्ती, घाघरा और कुआनों नदियों में बाढ़ पर नियंत्रण करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख) 1964 में उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा तैयार किए गये बाढ़ नियंत्रण सम्बन्धी योजना प्रारूप में घाघरा बेसिन में 53.8 करोड़ रुपये की लागत के उपायों का प्रस्ताव किया गया था। जिसमें राप्ती, कुआनों और अन्य सहायक नदियां भी सम्मिलित थीं । इन प्रस्तावों में निम्नलिखित कार्य सम्मिलित थे :—

		(करोड़ रुपये में)
1.	उपान्तीय तटबन्ध	14.0
2.	उपान्तीय तटबन्धों का पुनर्रूपण और सुदृढ़ करना	5.0
3.	ग्रामों को ऊँचा उठाना	7.4
4.	नगर सुरक्षा, नदी सुधार तथा कटाव रोधी कार्य	2.5
5.	बाढ़ निरोध जलाशय	20.5
6.	जल-निकास सुधार और पुलों के जलमार्गों का बढ़ाना	4.4
		53.8 करोड़

केन्द्र में प्रस्तावों की जाँच के पश्चात् राज्य सरकार से अनुरोध किया गया था कि वे 1964 के बाद के वर्षों में बाढ़ों के अनुभव को ध्यान में रखते हुए इनका संशोधन कर दें। यह संशोधित स्कीम अभी तक राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुई है ।

जब तक संशोधित स्कीम तैयार नहीं हो जाती, असुरक्षित क्षेत्रों में तटबन्धों, तटबन्धों को ऊंचा और सुदृढ़ करने, ग्रामों के स्तरों को ऊँचा करने और नगर सुरक्षा सम्बन्धी कार्यों को किया जा चुका है अथवा किया जा रहा है ।

भटनी-मरुआडीह मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करना

7108. **श्री नरसिंह नारायण पांडेय :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भटनी मरुआडीह मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उक्त प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

राप्ती जलकुण्डी परियोजना के बारे में भारत-नेपाल वार्ता

7109. **श्री नरसिंह नारायण पांडेय :** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नेपाल के प्रधान मंत्री के साथ राप्ती, जलकुण्डी परियोजना के बारे में कोई बातचीत की थी ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी रूपरेखा क्या है और उसमें क्या है और उसमें क्या निर्णय किये गये थे ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख) नेपाल के प्रधान मंत्री की हाल ही की यात्रा के दौरान, उनके और केन्द्रीय सिंचाई और विद्युत् मंत्री के बीच दोनों देशों के पारस्परिक हितों की नदी विकास परियोजनाओं के सम्बन्ध में केवल अनौपचारिक बातचीत हुई थी, राप्ती जलकुण्डी परियोजना के सम्बन्ध में कोई विशेष विचार-विमर्श नहीं हुआ था ।

पटना, गया धनबाद टाटानगर रेलवे स्टेशनों पर सीटों के आरक्षण में कथित भ्रष्टाचार

7110. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पटना, गया, धनवाद और टाटानगर रेलवे स्टेशनों पर आरक्षण क्लाक मुख्य गाड़ियों में तीसरी श्रेणी के शयनयानों में सीटों के आरक्षण के लिए 10 रुपये अतिरिक्त लेते हैं ;

(ख) क्या पटना जंक्शन और पटना सिटी स्टेशनों पर कार्य कर रहे पार्सल क्लर्क भी भ्रष्टाचार में संलग्न रहते हैं और माल आदि को बुक करने के बारे में गलत सूचना देते हैं ; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार इस बारे में केन्द्रीय जाँच ब्यूरो द्वारा गोपनीय जाँच करवाने का है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) और (ख) इस प्रकार के किसी मामले की सूचना नहीं है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

अभ्रक व्यापारियों द्वारा कम और अधिक राशि के बीजक बनाना

7111. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या **विदेश व्यापार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह ज्ञात है कि झूमरितिलैया और गिरिडीह में अभ्रक के कुछ व्यापारी अनुचित रूप से कम और अधिक राशि के बीजक बना रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में केन्द्रीय जाँच ब्यूरो द्वारा कोई जांच की गई है ; और

(ग) इस अनाचार में संलग्न व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) विभिन्न श्रेणियों और क्वालिटियों के अभ्रक के निर्यात हेतु सरकार ने पहले ही निम्नतम कीमतें निर्धारित कर दी हैं और इन निर्धारित कीमतों से कम कीमतों पर अभ्रक का कोई निर्यात नहीं किया जा सकता। अनिवार्य लदानपूर्व निरीक्षण की भी व्यवस्था है जब कि निर्यात किये जाने वाले अभ्रक की क्वालिटी के संदर्भ में उसकी निर्यात कीमतों की जाँच की जाती है। इन उपायों के फलस्वरूप अभ्रक के कम और अधिक राशि के बीजक नहीं बनाये जा सकते।

कृष्णा जल विवाद

7112. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश, मैसूर और अन्य सम्बद्ध राज्यों को कृष्णा नदी जल विवाद को न्यायाधिकरण से बाहर हल करने का सुझाव दिया है; और

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई बैठक हुई है और यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख) जी, नहीं। न्यायाधिकरण से बाहर कृष्णा नदी जल विवादों पर फैसले के लिए पहल राज्यों को स्वयं करनी है। किसी भी मैत्रीपूर्ण फैसले पर पहुँचने के लिए उन्हें जैसी सहायता की आवश्यकता होगी, वह केन्द्रीय सरकार प्रसन्नतापूर्वक देगी।

नेपाल के साथ नया व्यापार और पारगमन करार

7113. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1972 के पश्चात् नेपाल के किसी व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने भारत का दौरा किया था ; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या भारत और नेपाल के बीच किसी नये व्यापार और पारगमन करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बिजली की खपत में असमानता

7114. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत की असमानता में वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) जी नहीं। विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति विद्युत् उपभोग 1960-61 के अखिल भारतीय औसत से 0. 1 से 2. 2 गुना थी। यह अब कम होकर 1970-71 की औसत का 0. 25 से 1. 8 गुना हो गई है।

(ख) और (ग) यद्यपि विभिन्न राज्यों के बीच असमानता में कोई वृद्धि नहीं हुई है, फिर भी उनकी विद्युत् उपलभ्यता में काफी अंतर है। पाँचवीं योजना में प्रत्येक राज्य में इसकी पर्याप्तता को सुनिश्चित करने के लिए प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

हीरे-जवाहारात का निर्यात

7115. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971-72 में कितनी मात्रा में हीरे-जवाहरात निर्यात किये गये ;

(ख) वर्ष 1969-70 और वर्ष 1970-71 के निर्यात के आँकड़े क्या हैं; और

(ग) इन के मुख्य क्रेता कौन हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) हीरे और जवाहरात की चीजों के निर्यात आंकड़े मूल्य के आधार पर खो जाते हैं और इन वस्तुओं के निर्यात इस प्रकार हैं :—

(मूल्य लाख रुपये में)

1969-70	3734.81
1970-71	3747.49
1971-72 (अप्रैल-फरवरी)	4117.64

(ग) भारतीय हीरे और जवाहरात के प्रमुख क्रेता हैं : बेल्जियम, हांगकांग, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमरीका, जापान, स्विटजरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड, सिंगापुर, लेबनान, कुवैत, आस्ट्रेलिया, और कनाडा।

हीरों का आयात

7116. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हीरों के आयात व्यापार को अपने हाथ में लेने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) प्रति वर्ष कितनी मात्रा में हीरों का आयात होता है ; और

(ग) ये हीरे किन देशों से आयात किये जाते हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) हीरों की आयात नीति का पुनरीक्षण समय-समय पर किया जाता है। 1971-72 की आयात नीति के अनुसार, तराशे हुए तथा पालिश किए हुए हीरों के निर्यात के बदले देय प्रतिपूर्ति का 10% अंश राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के नाम रिलीज आर्डर के रूप में दिया जाता था जबकि शेष के लिए सीधे आयात हेतु लाइसेंस दिये जाते थे। चालू वर्ष के दौरान इस रिलीज आर्डर की मात्रा को बढ़ाकर हकदारी का 20% कर दिया गया है।

(ख) हीरों के आयात आँकड़े मूल्य के आधार पर संकलित किए जाते हैं, मात्रा के आधार पर नहीं। गत चार वर्षों में किए गए आयात निम्नोक्त थे :—

	(लाख रुपये में)
1968-69	2318
1969-70	2205
1970-71	2009
1971-72 (अक्तूबर, 1971 तक)	1072

(ग) हीरों का आयात साधारणतः ब्रिटेन तथा बेल्जियम में स्थित अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों से किया जाता है।

बिजली का उत्पादन करने के लिये गैर सरकारी उपक्रमों को लाइसेंस देना

7117. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजली की कमी को देखते हुए सरकार का विचार बिजली उत्पादन करने के संयन्त्रों की स्थापना के लिए गैर-सरकारी उपक्रमों को 20 वर्षों के लिए स्पष्ट आधार पर लाइसेंस देने का है कि 20 वर्षों के पश्चात् वही मूल्य अदा करके इन संयंत्रों को सरकारी अधिकार में ले लिया जायेगा ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस प्रस्ताव की रूपरेखा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम में विशेषज्ञ

7118. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कपड़ा व्यापार में निपुण कितने गैर-सरकारी व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कपड़ा निगम के कार्यकरण के साथ सम्बद्ध किए गए हैं ; और

(ख) कपड़ा व्यापार में निपुण कितने अधिकारी निगम में कार्य कर रहे हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) शायद माननीय सदस्य वस्त्र उद्योग में नियुक्त व्यक्तियों से सम्बन्धित जानकारी चाहते हैं। राष्ट्रीय वस्त्र

निगम में ऐसे 18 व्यक्ति पदों पर हैं और 19 गैर-सरकारी व्यक्ति परामर्शी समिति के सदस्य हैं अथवा इन्टरव्यू बोर्डों से सम्बद्ध हैं।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा संकटग्रस्त मिलों के कार्यकरण में सुधार

7119. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कपड़ा निगम ने संकट-ग्रस्त मिलों के कार्यकरण में क्या सुधार किये हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज): 45 सूती वस्त्र मिलों में से, जिनका प्रबन्ध उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत सरकार द्वारा अपने हाथ में ले लिया गया है, 14 मिलें सीधे ही राष्ट्रीय वस्त्र निगम के प्रबन्ध में हैं जो उनका प्राधिकृत नियंत्रक है। शेष मिलों का प्रबन्ध राष्ट्रीय वस्त्र निगम की समग्र देख-रेख में राज्य वस्त्र निगमों और पृथक-पृथक प्राधिकृत नियन्त्रकों द्वारा किया जा रहा है। 26 मिलों में से, जो एक वर्ष से अधिक समय से सरकारी प्रबन्ध में हैं, नवीनतम समाचार के अनुसार 23 मिलों ने लाभ दिखाना प्रारम्भ कर दिया है। मिलों को न लाभ न हानि आधार पर रुई की सप्लाई करने के अलावा उन्हें कार्यकारी पूंजी, आधुनिकीकरण और श्रमिकों के सुव्यवस्थीकरण के लिए धन देकर, वित्तीय, तकनीकी और प्रबन्धकीय कर्मचारियों की संख्या बढ़ाकर और उनके कार्य करने के ढंग में सुधार करने के उपायों का सुझाव देकर उनके कार्यचालन में सुधार किया गया है।

संगमरमर और पत्थर की मूर्तियों का निर्यात

7120. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका और अन्य देशों को संगमरमर और पत्थर की मूर्तियों के निर्यात की अबाध अनुमति दी जाती है ; और

(ख) गत दो वित्तीय वर्षों में मूर्तियों के निर्यात द्वारा कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) संगमरमर और पत्थर की नई मूर्तियों, अश्लील किस्म की मूर्तियों को छोड़कर, के निर्यात अमरीका तथा अन्य विदेशों को मुक्त रूप से किये जाने की अनुमति है।

(ख) संगमरमर और पत्थर की मूर्तियों के निर्यात आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते। तथापि, ये मूर्तिकला और पत्थर के कलात्मक सामान के अंतर्गत आ जाते हैं जिनके निर्यात 1969-70 और 1970-71 में क्रमशः 9.86 लाख रुपये और 8.23 लाख रुपये के हुए।

रेलवे अधिकारियों को दी जाने वाली यात्रा सुविधाओं पर व्यय

7121. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे अधिकारियों को यात्रा सम्बन्धी क्या विशेष सुविधाएं दी गई हैं ;

(ख) इन सुविधाओं के परिणामस्वरूप गत वित्तीय वर्ष में कितनी धनराशि व्यय की गई ; और

(ग) गत वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न रेलों में रेलवे अधिकारियों की सुविधा के लिए प्रथम श्रेणी के कितने डब्बे जोड़े गए ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) रेलवे अधिकारियों को अपने लिए और अपने परिवार के लिए सुविधा-पास जारी किये जाते हैं ।

(ख) इन सुविधाओं का रुपये-पैसों में हिसाब लगाना सम्भव नहीं हो सका है ।

(ग) पहले दर्जे का कोई सवारी डिब्बा रेलवे अधिकारियों की सुविधा के लिए नहीं लगाया जाता ।

जूट एण्ड जूट गुड्स बफर स्टाक एसोसिएशन का परिसमापन

7122. **श्री एम० कतामुत्तु** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगाल चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्री इण्डियन स्टाफ एसोसिएशन और अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने सरकार को 'जूट एण्ड जूट गुड्स बफर स्टाक एसोसिएशन' के परिसमापन और कलकत्ता स्थित जूट निगम द्वारा इसके कर्मचारियों को नौकरी में खपा लेने के बारे में अभ्यावेदन दिए थे ; और

(ख) यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हाँ ।

(ख) अभ्यावेदन पटसन निगम को विचारार्थ भेज दिया गया है ।

जर्मन जनवादी गणतंत्र को रबड़ का निर्यात

7123. **श्री वेकारिया** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जर्मन जनवादी गणतंत्र को रबड़ के निर्यात के प्रश्न पर अंतिम निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सौदे की मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) जर्मन लोकतन्त्रीय गणराज्य को रबड़ का निर्यात करने की सम्भाव्यताओं का सक्रिय रूप से पता लगाया जा रहा है ।

Construction of a pedestrian overbridge at Khirkiya Railway Station (Central Railway)

7124. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government propose to construct a pedestrian over-bridge at Khirkiya Railway Station, Madhya Pradesh ; and

(b) if so, the time by which it will be constructed ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) No.

(b) Does not arise.

Development of Khandwa Railway Station (Central Railway)

7125. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government have formulated any scheme for the development of Khandwa Railway Station on the Central Railway ; and

(b) if so, the broad outlines thereof ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) No.

(b) Does not arise.

Sale of tickets at Burhanpur Station for Bombay

7126. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the daily average number of tickets sold at Burhanpur Railway Station for Bombay during the last three months ; and

(b) whether first class tickets are also sold every day ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) The daily average number of tickets sold at Burhanpur Station for Bombay-VT during the three months ending April, 1972 is 17.

(b) First Class tickets are also available but they are not sold every day due to fluctuations in demand.

Remodelling of Railway Stations in Madhya Pradesh

7127. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of Railway Stations in Madhya Pradesh remodelled during the last three years ; and

(b) the total expenditure incurred thereon ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthiya) : (a) 34.

(b) Rs. 24.88 lakhs.

राजधानी में खराब विद्युत् लाइनें

7128. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** :

श्री शिवकुमार शास्त्री :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राजधानी में खराब विद्युत् लाइनों के कारण हाल ही में अनेक व्यक्तियों की मृत्यु हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो दुर्घटनाओं में मरने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है और सरकार का इस दिशा में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) जी, हाँ ।

(ख) चालू वर्ष के आरम्भ से, खराब लाइनों के कारण एक प्राणघातक दुर्घटना हुई । एक और दूसरी प्राणघातक दुर्घटना तब हुई जब एक लाइनमैन उपभोक्ता का कनेक्शन विद्युन्मय तार के साथ लगाने की कोशिश कर रहा था । मामले की जाँच की गई और अधिकारी उपयुक्त शोधक कार्यवाही कर रहे हैं ।

रेलवे की कोयले की मांग

7129. **श्री नरसिंह नारायण पांडे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे की कोयले की वर्तमान मांग कितनी है ; और

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक रेलवे मार्गों के विद्युतीकरण के परिणामस्वरूप कोयले की मांग में कितनी कमी होगी ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) 1972-73 में रेलों में 145 लाख मीटरिक टन कोयले की खपत होने का अनुमान है ।

(ख) वर्तमान संकेतों के अनुसार रेलों के डीज़लीकरण और विद्युतीकरण के कारण भाप-चालित रेल इंजनों की संख्या में कमी होने के फलस्वरूप चौथी योजना के अन्तिम वर्ष, अर्थात् 1973-74 के दौरान कोयले की खपत में 2 लाख मीटरिक टन की कमी होने की संभावना है ।

लौह अयस्क का निर्यात बढ़ाने का प्रस्ताव

7130. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** :
श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चालू वर्ष के दौरान लौह अयस्क का निर्यात बढ़ाने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है, यदि हां, तो उसकी मुख्य रूप-रेखा क्या है ; और

(ख) वर्ष 1972-73 के दौरान कितने लौह-अयस्क का निर्यात किये जाने की संभावना है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी, हां । भारतीय लौह अयस्क का आयात बढ़ाने के लिए विदेशी खरीदारों को राज़ी करने के अतिरिक्त, खनन, परिवहन तथा पत्तन क्षेत्रों में कुछ आन्तरिक बाधाओं को दूर करने के उपाय किये जा रहे हैं ।

(ख) 1972-73 के दौरान लगभग 220 लाख मे० टन लौह अयस्क निर्यात किये जाने की आशा है ।

कच्चे पटसन का सांविधित समर्थन मूल्य

7131. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** :
श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने विभिन्न राज्यों के मुख्य मंत्रियों को आने वाले मौसम से कच्चे पटसन के न्यूनतम समर्थन मूल्य को सांविधिक रूप देने के केन्द्रीय सरकार के इरादे के बारे में एक पत्र लिखा है ; और

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकारों की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) 1972-73 के मौसम के लिए पटसन की कीमत नीति को प्रभावकारी रूप से कार्यान्वित करने के संबंध में मैंने पश्चिम बंगाल, आसाम, बिहार, उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा त्रिपुरा के मुख्य मंत्रियों को एक पत्र भेजा है ।

(ख) पश्चिम बंगाल तथा आसाम के मुख्य मंत्रियों ने इस विषय में पूरा-पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया है। अन्य राज्यों से अभी तक उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं।

सिंचाई परियोजनाओं की बढ़ती हुई लागत के कारणों की जांच के लिए विशेषज्ञ समिति

7132. **श्री सी० टी० दण्डपाणि :** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सिंचाई परियोजनाओं की बढ़ती हुई लागत के कारणों की जांच के लिए सरकार ने एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की है ; और

(ख) यदि हाँ, तो समिति द्वारा अपना प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत कर दिये जाने की सम्भावना है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) जी, हां।

(ख) समिति को कहा गया है कि वह अपनी रिपोर्ट 30 जून, 1972 तक प्रस्तुत कर दे। बहरहाल, इसके कार्य को पूर्ण होने में कुछ और समय लग सकता है।

Arrears of Rent and Licence Fee Outstanding against contractor of Restaurant at Barog Railway Station (Northern Railway)

7133. **Shri Swami Brahmanand :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether a sum of Rupees twenty-two thousand on account of arrears of rent and licence fee of the Restaurant at Barog Railway Station was outstanding against the contractor to whom the contract of 1 Up and 2 down Kalka Mail dining car has been given;

(b) whether the said amount of Rs. 22,000 has been written off; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) to (c) The Refreshment Room contract at Barog was held by M/s. Sant Singh and Company. A sum of Rs. 9,265.93 only towards arrears of rent and licence fee is outstanding against them and efforts are being made to recover the same.

The dining car contract on 1Up/2Dn Kalka Mails has been awarded to M/s. R. Dara and Company with effect from 1.5.1972 and not to M/s. Sant Singh and Co. who held the contract at Barog.

Subletting of contract of the restaurant being run at Kalka Station by the Contractor

7134. **Shri Swami Brahmanand :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether Northern Railway has conducted an inquiry in regard to the restaurant being run at Kalka Station and has found out that the contractor, who was allotted the contract therefor, has sublet it to another person; and

(b) if so, the action taken in the matter ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) and (b) A complaint about sub-letting of catering/vending contracts at Kalka made in the year 1965 was enquired into but could not be substantiated.

इंजीनियरिंग वस्तुओं का दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों को निर्यात

7135. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद् के अनुसार दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों को चीनी मिलों की मशीनें, बिजलीघरों के उपकरण जिनमें निर्मित ढांचे (स्ट्रक्चरल फेब्रिकेशन), पारेषण लाइनें, तथा तार सम्मिलित हैं, के निर्यात की बहुत गुंजायश है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों को चीनी मिलों की मशीनें, विद्युत् स्टेशनों के उपकरण जिनमें स्ट्रक्चरल फेब्रिकेशन इन्सट्रूमेंटेशन, पारेषण लाइन टावर तथा केबल शामिल हैं के निर्यात की गुजायश है ।

(ख) इस क्षेत्र से उद्भूत टेंडर संबंधी पूछताछों के संबंध में भारतीय निर्यातक नियमित रूप से कीमतें उद्धृत कर रहे हैं । पारेषण लाइन टावरों, विद्युत् केबलों, विद्युत् स्टेशन स्ट्रक्चरों, थर्मल वायलरों आदि के लिए कुछ क्रयादेश पहले ही प्राप्त हो चुके हैं। इन क्रयादेशों का निष्पादन किया जा रहा है ।

इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद् का सिंगापुर स्थित कार्यालय उस क्षेत्र में प्रस्तावित नयी परियोजनाओं के ब्यौरे एकत्र करता है और संभावी भारतीय निर्यातकों में उनका प्रचार करता है । इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद् द्वारा प्रायोजित एक प्रतिनिधिमंडल ने इस क्षेत्र में भारत की इंजीनियरी वस्तुओं के निर्यातों को बढ़ाने की संभाव्यताओं का पता लगाने के लिए हाल में मलयेशिया, थाइलैंड और इंडोनेशिया का दौरा किया है ।

निर्यात संबंधी आंकड़ों का संकलन

7136. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाणिज्यिक आसूचना और आंकड़ों के महानिदेशक के कार्यालय के कार्यकरण का पुनरावलोकन करने और निर्यात आंकड़ों के संकलन की नई पद्धति का मूल्यांकन करने के लिए योजना आयोग के सदस्य डा० बी० एस० मिन्हास की अध्यक्षता में गठित की गई उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने सरकार को अपना प्रतिवेदन दे दिया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके मुख्य निष्कर्ष एवं सिफारिशें क्या हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे के लिए रेलवे सेवा आयोग

7137. **श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के सम्मुख पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे के लिए रेलवे सेवा आयोग का गठन करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका गठन कब तक किया जायेगा ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Sub-Inspector and maintainer of Delhi area given additional duty, Signals and Telecommunications Department

7138. **Shri R. P. Yadav** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether the Railway Board has laid down any instructions regarding the nature and quantum of work to be assigned to the employees of each grade in the Signal and Telecommunication Department ; and

(b) if so, the broad outlines of their respective duties ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) & (b) The scales of pay of posts of Inspectors, Assistant Inspectors and Maintainers in the Signal and Telecommunication Department are on the pattern of the standard scales of pay allotted to similar staff in other Departments of the Railways. These staff have been allotted different grades on the basis of worth of charge and extent of responsibility, i.e., depending on the nature and place of work, sophistication and quantum of equipment, extent of jurisdiction in terms of route kilometres and density of traffic handled etc. Broad duty lists of these staff have been laid down in Chapters XII to XIV of the Indian Railways Signal Engineering Manual.

Better conditions of service for employees of Signal and Telecommunications Department

7139. **Shri Chandrika Prasad** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether the Railway Accidents Committee had made a recommendation for ameliorating the lot of the employees of the Signal and Telecommunication Department and improving their training arrangements and promotion prospects and raising their pay-scales and whether a Committee of Railway Officers had been constituted in this regard ;

(b) if so, the decisions taken by said Committee and the extent to which these recommendations have been implemented ; and

(c) whether the Pay Commission has been apprised of the recommendations made by the Committee in regard to pay scales ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya): (a) Yes.

(b) Committee's report is under consideration.

(c) Yes.

Result of Examination for Assistant Station Masters and Guards (Northern Railway)

7140. **Shri Panna Lal Barupal**: Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the reasons for not declaring the result of examination held by the Railway Service Commission (Northern Railway) for Assistant Station Masters and Guards on the 14th February, 1971 so far;

(b) the time by which these results would be declared; and

(c) the total number of persons who appeared in the examination and the number of candidates, belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya): (a) and (b) Candidates who qualified in the written test and interview were called for aptitude test. The panel has been finalised and sent to the Railways on 12.5.1972.

(c) The total number of candidates who appeared in the written test was 59401 including 11957 Scheduled Castes and 338 Scheduled Tribes.

निरीक्षण डिब्बों की सुविधा पाने के हकदार रेलवे अधिकारी

7141. **श्री के० सूर्यनारायण** : क्या रेल मंत्री पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य लेखापरीक्षक द्वारा निरीक्षण डिब्बों के प्रयोग के बारे में 2 मई, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4776 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली का अल्पकालिक दौरा करने वाले रेलवे अधिकारियों को रेलवे प्रशासन द्वारा रेलवे निरीक्षण डिब्बे दिये जाना अनिवार्य है अथवा प्रथागत ;

(ख) यदि हां, तो रेलवे के किस वर्ग के अधिकारी इस प्रकार की सुविधा पाने के हकदार हैं ;

(ग) क्या इन अधिकारियों को दिल्ली में ठहरने के लिए पूरे दिन का दैनिक भत्ता दिया जाता है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) और (ख) वरिष्ठ वेतनमान और उससे ऊपर के अधिकारियों के दिल्ली में अस्थायी रूप से रुकने के लिए निरीक्षण डिब्बों की व्यवस्था तब की जाती है जबकि सम्बन्धित अवधि में निरीक्षण के निमित्त ऐसे डिब्बों की जरूरत न हो ।

(ग) जी हां ।

(घ) रेल अधिकारियों का यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ता उनके यात्रा के समय दी गई सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया गया है ।

होतार और मगराहाट रेलवे स्टेशनों (पूर्वी रेलवे) के बीच दुर्घटना के बारे में प्रतिवेदन

7142. **श्री माधुर्य हालदार** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अतिरिक्त आयुक्त, रेलवे सुरक्षा, ने 6 जुलाई, 1971 को होतार और मगराहाट रेलवे स्टेशन (सियालदह डिवीजन) के बीच हुई दुर्घटना के बारे में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) मृत व्यक्तियों के परिवारों तथा घायलों को कितना मुआवजा दिया गया; और

(घ) उक्त दुर्घटना के कारण रेलवे को कितती हानि हुई; और दुर्घटना के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलमंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) और (ख) रेल संस्था के अपर आयुक्त की अन्तिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है । लेकिन अनन्तिम निष्कर्ष के अनुसार यह दुर्घटना रेल कर्मचारियों की गलती के कारण हुई ।

(ग) अभी तक प्राप्त 154 दावों में से तदर्थ दावा आयुक्त द्वारा 70 मामलों का अन्तिम रूप से निपटारा किया जा चुका है । इन मामलों में से 61 में 1,51,523 रुपये की रकम का भुगतान किया जा चुका है; 5 मामलों में 4,653 रुपये के भुगतान की व्यवस्था की जा रही है और 4 मामले खारिज कर दिये गये हैं । 84 मामलों का निपटारा करना अभी बाकी है ।

उपर्युक्त के अलावा दुर्घटना में अन्तर्ग्रस्त व्यक्तियों अथवा उनके सम्बन्धियों को अनुग्रह के रूप में 15,100 रुपये का भुगतान किया गया ।

इस दुर्घटना में जो 6 रेल कर्मचारी ड्यूटी पर रहते हुए मारे गये थे उनके आश्रितों को, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अधीन क्षतिपूर्ति के रूप में देय 57,000 रुपये की राशि कर्मकार प्रतिकर आयुक्त के पास जमा कर दी गयी है ।

(घ) रेल सम्पत्ति को लगभग 3,89,500 रुपये की क्षति पहुंचने का अनुमान है ।

दोषी कर्मचारी को निलम्बित कर दिया गया है और उसके विरुद्ध अनुशासन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी है ।

लल्लागुडा रेलवे ग्राउण्ड से भगवान बुद्ध की प्रतिमा का हटाया जाना

7144. **श्री के० कोडंडा रामी रेड्डी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिकन्दराबाद में लल्लागुडा रेलवे ग्राउंड से भगवान् बुद्ध की प्रतिमा हटायी गयी थी;

(ख) क्या रेलवे के अहातों में गिरजे, मस्जिदें और मन्दिर बने हुए हैं; और

(ग) दक्षिण-मध्य रेलवे को अनेक अभ्यावेदन देने के बावजूद वहां भगवान् बुद्ध की प्रतिमा पुन: स्थापित करने से इंकार करने के क्या कारण हैं ?

रेलमंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हां।

(ख) उत्तरी लल्लागुडा रेलवे बस्ती में एक मन्दिर, एक अनधिकृत मस्जिद और एक अनधिकृत बुद्ध मन्दिर है।

(ग) चूंकि बुद्ध की मूर्ति की स्थापना अनधिकृत और रेलवे नियमों के विरुद्ध थी इसलिए उसको पुन: स्थापना के लिए अनुमति नहीं दी गयी।

बहराइच (उत्तर रेलवे) के जिले में चारदा, धर्मपुर और भोंगा का ग्रामीण विद्युतीकरण

7145. **श्री बी० आर० शुक्ल** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत बहराइच (उत्तर प्रदेश) जिले में चारदा, धर्मपुर और भोंगा के परगनों में अब तक कितने गांवों में बिजली लगी है; और

(ख) चालू वर्ष में कितने गांवों में बिजली लगाये जाने का प्रस्ताव है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख) बहराइच जिले की बहराइच तहसील में भोंगा और नानपारा तहसील में चारदा और धर्मपुर परगना स्थित हैं। 31-3-72 तक नानपारा तहसील में 55 ग्रामों और बहराइच तहसील में 157 ग्रामों का विद्युतीकरण हो चुका है। 1972-73 में बहराइच जिले के 40 ग्रामों का विद्युतीकरण करना प्रस्तावित है।

ग्राम विद्युतीकरण निगम जो केन्द्रीय सेक्टर में जुलाई, 1969 से स्थापित किया गया है, राज्य बिजली बोर्डों को उनकी ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए योगात्मक धन देता है। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में 83 ग्रामों और 715 पम्पसेटों के विद्युतीकरण के लिए एक ग्राम विद्युतीकरण स्कीम निगम के विचाराधीन है जिसमें 49.01 लाख रुपये की ऋण सहायता शामिल है।

उड़ीसा में भीमकुण्ड तथा रेनगाली परियोजना के बारे में परियोजना प्रतिवेदन

7146. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने ब्राह्मणी तथा वैतरणी नदियों में बाढ़ नियंत्रण के लिए भीमकुण्ड तथा रेनगाली परियोजनाओं के परियोजना प्रतिवेदन भेज दिये हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने परियोजनाओं पर कार्य शुरू करने हेतु उड़ीसा सरकार को लगभग 10 करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी है; और

(ग) यदि हां, तो मंजूरी कब दी गई थी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उड़ीसा राज्य सरकार को अप्रैल, 1972 के आरम्भ में सूचित किया गया था कि प्रारम्भिक स्कीमों, नामश: रेंगाली और भीमकुण्ड, बांधों के कार्यान्वयन के लिए और ब्राह्मणी तथा वैतरणी के मौजूदा तटबंधों को सुदृढ़ बनाने के लिए भारत सरकार चौथी योजना के अन्तिम दो वर्षों में विशेष वित्तीय सहायता देने के लिए सहमत हो गई थी। राज्य सरकार से यह भी प्रार्थना की गई थी कि वे परियोजनाओं को अन्तिम रूप में सक्षम प्राधिकारी से उन्हें स्वीकृत करवा लें तथा निर्माण कार्यों के कार्यक्रम और 1972-73 तथा 1973-1974 के दौरान व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत करें। इस ब्यौरे के मिलने के पश्चात् ही केन्द्रीय सहायता दी जानी है।

धागे के मूल्य में वृद्धि

7147. **श्री ए० राजंगम** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धागे की विभिन्न किस्मों के मूल्यों में हुई असाधारण वृद्धि के फलस्वरूप हथकरघा उद्योग को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति को सुधारने के लिए सरकार का विचार क्या उपचारी कार्यवाही करने का है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) 1970 के मध्य से, सूत की कीमतों में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप हथकरघा बुनकरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। हथकरघा क्षेत्र की आवश्यकताओं को आंशिक रूप में पूरा करने के लिए फरवरी 1971 से, धागा पूल योजना के अन्तर्गत, निर्धारित कीमतों पर सूत की पूर्ति की व्यवस्था की गई थी। 1971-72 में विपुल मात्रा में कपास की फसल होने के कारण भी, 1971 में सूत की कीमतें गिरी हैं और अगले कुछ महीनों में उनके सामान्य स्तरों पर आ जाने की आशा है।

स्टेपिल फाइबर धागे की कीमतों में भी वृद्धि हुई थी। कत्तनों के साथ सरकार ने जो बातचीत की उसके परिणामस्वरूप, वे अपने सम्पूर्ण उत्पादन को विभिन्न राज्यों में खुले बाजार में सम्मत कीमतों पर बेचने के लिए सहमत हो गये हैं।

तमिलनाडु में खोले गये नये रेलवे स्टेशन

7148. **श्री एम० राजंगम** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि तमिलनाडु में गत दो वर्षों में कितने नए स्टेशन खोले गये हैं तथा उनके नाम क्या हैं और चालू वित्तीय वर्ष में कितने रेलवे स्टेशन खोलने का विचार है।

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : विगत दो वर्षों के दौरान अर्थात् 1970-71 और 1971-72 में तमिलनाडु में निम्नलिखित चार रेलवे स्टेशन/हाल्ट खोले गये हैं :—

1. आनन्दम्पल्लम् हाल्ट
2. मरुदलम् हाल्ट
3. तिरुमणि हाल्ट
4. पुदुपेट हाल्ट

चालू वर्ष के दौरान निम्नलिखित स्टेशन/हाल्ट खोलने का प्रस्ताव है :—

1. सैंट थामस माउन्ट और मीनम्बाक्कम् स्टेशनों के बीच एक स्टेशन।

2. कडम्बत्तूर और मानूर स्टेशनों के बीच एक हाल्ट।

दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय हथकरघा बुनकर सम्मेलन

7149. **श्री पी० वेंकटासुब्बया :**
श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय हथकरघा बुनकर सम्मेलन हाल ही में दिल्ली में आयोजित किया गया था;

(ख) क्या इस सम्मेलन में हथकरघा उद्योग द्वारा अनुभव की जाने वाली अनेक समस्याओं से सरकार को अवगत कराया गया है ; और

(ग) सम्मेलन में प्रस्तुत की गई मांगों का ब्यौरा क्या है और इस मामले में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है। [**मंत्रालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3031/72**]

पंजाब में उत्तर रेलवे द्वारा चलाए जा रहे प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों को स्थायी बनाना

7150. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तरी रेलवे द्वारा पंजाब क्षेत्र में कुल कितने प्राथमिक स्कूल चलाए जा रहे हैं और उनमें कितने अध्यापक हैं;

(ख) क्या कुछ अध्यापक और मुख्याध्यापक अभी भी अस्थायी हैं और यदि हां, तो नगर-वार उनकी संख्या कितनी है और वे कब से अस्थायी हैं ; और

(ग) क्या अस्थायी अध्यापकों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) :

(क) पंजाब क्षेत्र में उत्तर रेलवे द्वारा संचालित स्कूलों की संख्या	इन स्कूलों में अध्यापकों की संख्या
13	13

(ख) स्टेशन का नाम	अध्यापकों की संख्या	तिथि, जिससे अस्थायी हैं
जालन्धर	1	25-7-70
अमृतसर	1	9-3-72
भटिंडा	2	12-8-59
		13-12-59
धुरी	1	23-9-59
राजपुरा	1	9-2-66

(ग) राजपुरा में काम कर रहे अध्यापक से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था। पदों को स्थायी और उन पर अध्यापकों की संपुष्टि न करने का कारण यह है कि इन स्कूलों को पंजाब सरकार को सौंपने का प्रस्ताव है।

Railway Telegraph Offices Accepting Telegrams in Devnagari Script

7151. **Shri Shiv Kumar Shastri** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the total number of Railway Telegraph offices in India where the telegrams are accepted from the public, and

(b) the number of such telegraph offices where telegrams in Devnagari are sent and the arrangements being made for making similar provisions in the remaining telegraph offices ?

The Minister for Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) 4649 Railway Telegraph Offices.

(b) (i) 188 Railway Telegraph Offices.

(ii) Provision of similar arrangements of accepting telegrams in Devnagari is under consideration in a number of remaining Railway telegraph offices where there is demand from the public.

कर्मचारियों की कमी के कारण दावों की क्षतिपूर्ति देने सम्बन्धी एक सदस्यीय विशेषज्ञ समिति की टिप्पणी

7152. **श्री चन्द्रिका प्रसाद** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री आर० वी० लाल की अध्यक्षता में गठित दावों सम्बन्धी एक-सदस्यीय विशेषज्ञ समिति ने यह कहा है, देखिए अध्याय 54 का पैरा 5404, कि कर्मचारियों की कमी के कारण पार्सलों की प्राप्ति तथा भेजने सम्बन्धी ब्यौरा कई जंकशनों, पर नहीं रखा जाता है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या पश्चिम रेलवे के आगरा फोर्ट, अजमेर, अहमदाबाद, बड़ौदा, भावनगरपारा, सूरत, राजकोट, जयपुर, येहखाना, विरम गांव, पालनपुर, रतलाम, गोदरा, इन्दौर और कोटा स्टेशनों पर पार्सल क्लर्कों की संख्या बढ़ा दी गई है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) रिपोर्ट के पैरा 5404 में निम्नलिखित बात कही गई है :—

"समिति को बताया गया है कि 'मार्गस्थ पार्सलों' के रिकार्ड, जिनमें प्राप्ति और प्रेषण से सम्बन्धित ब्यौरे दिखाए जाते हैं, दिल्ली और मुगलसराय जैसे कई जंकशन स्टेशनों पर नहीं रखे जाते और इसके लिए आम स्पष्टीकरण यह दिया जाता है कि 'कर्मचारियों की कमी' है।"

(ख) क्षेत्रीय रेलों से कहा गया है कि वे सभी बड़े माल गोदामों, यानान्तरण शेडों, पार्सल-

घरों और निजी साइडिंगों में कर्मचारियों के उपयोग और उनकी पर्याप्तता का सर्वेक्षण करें और उनमें यथावश्यक समायोजन अथवा अतिरिक्त नियुक्तियों की व्यवस्था करें।

(ग) जी नहीं।

लन्दन में स्थित चाय केन्द्र का बन्द होना

7153. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय बोर्ड की निर्यात सम्बन्धी समिति ने दिसम्बर, 1969 में यह सिफारिश की थी कि लन्दन स्थित चाय केन्द्र को तुरन्त बन्द कर दिया जाये ;

(ख) यदि हां, तो समिति ने चाय केन्द्र को बन्द करने के क्या कारण दिये थे ; और

(ग) लन्दन स्थित चाय केन्द्र को बन्द करने सम्बन्धी निर्णय को क्रियान्वित करने तथा विदेशी मुद्रा बचाने के लिए क्या कार्यवाही की गई ?

विदेश व्यापार उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) चाय बोर्ड की निर्यात संवर्धन समिति ने महसूस किया कि लन्दन स्थित चाय केन्द्र पर होने वाले निवल व्यय में काफी कमी करने की दृष्टि से इसे बन्द कर देना चाहिए और इसे एक अन्य स्थान पर ले जाना चाहिए जहां वह अपेक्षाकृत कम किराये तथा दरों पर और अधिक किफायत से चलाया जा सके। चाय केन्द्र, लन्दन को वाणिज्यिक आधार पर चलाने का प्रश्न तभी से विचाराधीन रहा है। इस पर शीघ्र ही विनिश्चय किये जाने की आशा है।

रेलवे में खान-पान की सेवाओं में सुधार

7154. **श्री के० कोडंडा रामी रेड्डी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में खान-पान की सेवाओं में सुधार करने हेतु बना-बनाया तथा पैक किया गया भोजन देने के अतिरिक्त सरकार किसी अन्य उपायों पर भी विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) और (ख) यात्रियों को पहले से पकाया और पैक किया हुआ भोजन परोसने की योजना प्रारम्भ करने और नियमित रूप से निरीक्षण करने, विभागीय खान-पान स्थापनाओं के लिए अच्छी किस्म का कच्चा सामान खरीदने और सप्लाई करने, विभागीय खान पान कर्मचारियों को समुचित प्रशिक्षण देने और खाना गरम रखने के लिए गरम डिब्बों की व्यवस्था करने जैसे उपाय पहले से लगातार किये जा रहे हैं। इनके अलावा कोई अन्य उपाय अभी विचाराधीन नहीं है।

सुपारी का आयात बन्द करना

7155. **श्री के० कोडंडा रामी रेड्डी** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर के सुपारी उत्पादकों ने केन्द्र से अनुरोध किया है कि सुपारी के आयात को पूर्णतया बन्द कर दिया जाये और यदि हां, तो उन्होंने इसके क्या कारण दिये हैं ; और

(ख) सुपारी का वर्तमान गृह-उत्पादन कितना है और इसकी आन्तरिक खपत कितनी है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री ए०सी० जार्ज): (क) तथा (ख) जी हां। सुपारी के उत्पादकों ने अभ्यावेदन दिया है कि देश में सुपारी के उत्पादन में वृद्धि और परिणामतः कीमत में गिरावट को देखते हुए इसके आयात की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। देश में इसका लगभग 150,000 मे० टन (अनुमानित) उत्पादन होता है जिसका उपभोग लगभग पूरी तरह से देश में हो जाता है।

खाद्य तथा कृषि संगठन द्वारा भारत में चाय के निर्यात के लिये नियत किया गया कोटा

7156. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र के खाद्य तथा कृषि संगठन के तत्वावधान में चाय निर्यात की मात्रा के विनियमन के लिये 1970 से किये गये तदर्थ प्रबन्धों में समानता है ; और

(ख) यदि हां, तो 1970 तथा बाद की अवधि के लिये तदर्थ व्यवस्था के अधीन भारत को निर्यात का कितना कोटा अलाट किया गया और इस कोटे के अन्तर्गत भारत द्वारा वास्तव में कितना निर्यात किया गया ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) वर्ष 1970 में तदर्थ प्रबन्ध के अन्तर्गत काली चाय के निर्यातों के लिए भारत तथा श्रीलंका का संयुक्त निर्यात कोटा 421 हजार मे० टन और 1 जनवरी, 1971 से 31 मार्च, 1972 तक 15 महीने की अवधि के लिए 506 हजार मे० टन था। जबकि आशय यह है कि संयुक्त निर्यात कोटे में दोनों देशों का लगभग 50 : 50 का भाग होगा, एक देश के निर्यातों में कमी का लाभ दूसरे देश द्वारा उठाया जा सकता है ताकि दोनों देशों से कुल चाय के निर्यात संयुक्त निर्यात कोटे के भीतर बने रहें। भारत से काली चाय के हुए निर्यात निम्नोक्त प्रकार हैं :—

अवधि	भारत से वास्तविक निर्यात
1970	204,400 मे० टन
जनवरी, 1971 से मार्च, 1972 (15 महीने)	249,700 मे० टन

विदेशों में स्थित चाय केन्द्रों में कार्य कर रहे अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें

7157. **श्री एम० एस० शिवस्वामी** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में स्थित चाय केन्द्रों का, देश-वार, लाभ तथा हानि का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या इन चाय केन्द्रों में कार्य कर रहे अधिकारियों के विरुद्ध सरकार को शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(ग) यदि हां, तो किस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं और सरकार ने उन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) तथा (ग) चाय केन्द्र, लन्दन के स्थानिक रूप से भर्ती किये गये लेखापाल के विरुद्ध एक शिकायत प्राप्त हुई थी। लेखापाल 31-12-1971 को एक समयावधि के दौरान चाय केन्द्र की 1741 पौंड स्टर्लिंग की बिक्री से प्राप्त राशि का गबन करके फरार हो गया था। इस मामले की सूचना तत्काल लन्दन पुलिस प्राधिकारियों को तथा बाद में हैदराबाद (भारत), जहां का वह व्यक्ति था, के विशेष पुलिस स्थापना विभाग को दे दी गई थी।

विवरण

विभिन्न देशों में चाय बोर्ड द्वारा चलाये जा रहे चाय केन्द्रों का कार्यकारी लाभ/हानि निम्नोक्त प्रकार है :

	1969-70	1970-71	1971-72
	रु०	रु०	रु०
ब्रिटेन			
लन्दन चाय केन्द्र	(—) 393,130	(—) 706,592	(—) 364,623 (क)
एडिनबर्ग चाय केन्द्र	(—) 138,059	(—) 30,429 (ख)	
आस्ट्रेलिया			
सिडनी चाय केन्द्र	(—) 26,337	(—) 42,392	(—) 140,643
मेलबोर्न चाय केन्द्र	—	(—) 192,026 (ग)	(—) 326,593
मिश्र का अरब गणराज्य			
काहिरा चाय केन्द्र	(—) 11,552	(+) 64,797	(+) 34,105

व्याख्या :

+कार्यकारी लाभ
—कार्यकारी हानि

(क) जनवरी 1972 को समाप्त होने वाले 10 महीने

(ख) जुलाई 1970 को समाप्त होने वाले 4 महीने (एडिनबर्ग चाय केन्द्र 1970 में बन्द कर दिया गया था)।

(ग) मेलबोर्न चाय केन्द्र दिसम्बर 1970 में खोला गया था तथा दर्शायी गई कुल हानि मार्च, 1971 को समाप्त होने वाले चार महीने की है।

तिनसुखिया डिवीजन (पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे) के गार्डों तथा ब्रेकमैनों को रात की ड्यूटी के भत्ते की बकाया राशि का भुगतान

7158. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने 1 अप्रैल, 1972 से रात की ड्यूटी के भत्ते की दर बदल दी है;

(ख) क्या पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे में तिनसुखिया डिवीजन के गार्डों और ब्रेकमैनों को 1

अप्रैल, 1970 से 30 फरवरी, 1971 तक की रात की ड्यूटी के भत्ते की बकाया राशि का अभी तक भुगतान नहीं किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलमंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) संशोधित दरों पर रात की ड्यूटी भत्ते की बकाया राशि के बिल तैयार कर लिये गये हैं । इन बिलों में से दो पहले ही पास हो गये हैं और कर्मचारियों को भुगतान कर दिया गया है । शेष बिलों की छानबीन हो रही है और शीघ्र भुगतान की व्यवस्था की जा रही है ।

अलीपुरद्वार और सिलीगुड़ी स्टेशनों (पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे) में रेलगाड़ियों की जांच

7159. **मौलाना इसहाक सम्भली** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यू गोहाटी से कटिहार (पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे) जाने वाली रेलगाड़ियों की मध्यवर्ती स्टेशनों पर जांच करने की प्रणाली बन्द कर दी गई है;

(ख) क्या पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे के गार्डों ने गत अगस्त, 1971 में दिये अपने 10-सूत्री ज्ञापन में यह कहा है कि उस रेलवे पर होने वाली बड़ी दुर्घटनाएं मुख्यत: रेलवे इंजन आदि में दोष होने के कारण होती हैं; और

(ग) रेल गाड़ियों की सुरक्षा के हित में रेलवे अधिकारियों का विचार अलीपुरद्वार और सिलीगुड़ी जंक्शन के मार्ग में रेलगाड़ियों की परीक्षा करने की व्यवस्था पुन: चालू करने का है ?

रेलमंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) मध्यवर्ती जांच का काम न्यू बंगाई गांव में जारी है, लेकिन न्यू गोहाटी में गहन मरम्मत का काम प्रारम्भ हो जाने के कारण अलीपुरद्वार और सिलीगुड़ी में इसे बन्द कर दिया गया है ।

(ख) जी हां ।

(ग) न्यू बंगाई गांव में गाड़ी परीक्षा का काम जारी रखा जायेगा, परन्तु अलीपुरद्वार और सिलीगुड़ी में यह परीक्षा आवश्यक नहीं समझी जाती ।

Engines for Goods and Passenger Trains of Narrow Gauge Lines

7160. **Shrimati V. R. Scindia** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of engines of passenger and goods trains running on narrow gauge Railway Lines in the country separately ;

(b) the minimum and maximum number of years for which they have been in use and the life of such engines ; and

(c) the number of engines being manufactured in India every year as also the number of engines imported from foreign countries every year ?

The Minister for Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) 389 Steam and 43 Diesel locomotives. Locomotives of Narrow Gauge lines are not earmarked for passenger and goods services separately.

(b) The age of steam Locomotives on line varies from 11 to 69 years and those of Diesel locomotives from 1 to 17 years. Code life of steam locomotives is 40 years and of Diesel locomotives 30 years.

(c) 30 Diesel Locomotives have been planned for manufacture in Chittaranjan Locomotive Works against the 4th Plan provision. 10 have been manufactured and planning for the manufacture of the balance 20 is in hand.

No Narrow Gauge Locomotives are being imported at present.

Gwalior-Bhind Narrow Gauge Railway Line (C. Rly)

7161. **Shrimati V. R. Scindia** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the suggestions made by the Committee on Uneconomic Railway Lines regarding Gwalior-Bhind Railway Narrow Gauge Line on the Central Railway ; and

(b) the action taken thereon ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) In respect of Gwalior-Bhind railway line, the Uneconomic Branch Lines Committee—1969 recommended that the track should be improved and the rolling stock replaced urgently.

(b) The work of replacement of old points & crossings and rails is being taken up on a programmed basis with a view to improving the track.

Action is being taken to replace overaged and uneconomical Narrow Gauge Rolli Stock of this section on a phased manner.

Acreage of Land Irrigated by Matatila D. M. in M. P.

7162. **Shrimati V. R. Scindia** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the acreage of land in Madhya Pradesh scheduled to be irrigated by the Matatila Dam ; and

(b) the acreage of land being irrigated in Madhya Pradesh by this dam and the reasons for less supply of water for irrigation ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Baij Nath Kureel) : (a) & (b) The Matatila Dam has been planned to irrigate 1,10,000 acres in Madhya Pradesh. The Government of Madhya Pradesh have reported that irrigation is still developing in the command and that in 1971-72, 52,800 acres were irrigated. They have stated that this is not due to any short supply of water but that lag in development is due to lack of minors and water courses, inadequate capacity of some cross drainage works and silting of some of the canals.

Progress in Construction of Dam on Sindh River (M.P.)

7163. **Shrimati V. R. Scindia** : Will he Minister of Irrigation and Power be pleased to state the progress made so far in the construction of Dam on Sindh River near Magrauni in Gwalior Division (Madhya Pradesh).

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Baij Nath Kureel) : The technical examination of the project is nearly complete and it is expected to be accepted for inclusion in the developmental plans of Madhya Pradesh in the near future.

कोयले के मूल्य

7165. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिम बंगाल, बिहार और मध्य प्रदेश में कोयला क्षेत्रों द्वारा रेलवे को किस दर से कोयला सप्लाई किया जाता है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया): एक विवरण संलग्न है जिसमें अपेक्षित सूचना दी गयी है ।

विवरण

कोयला क्षेत्र	स्टीम कोयले की श्रेणी	(आंकड़े रुपये में) 1-1-1972 से संभरण के लिए कोयले का प्रति टन अनुमत मूल्य
पश्चिम बंगाल और बिहार	सेलेक्टेड 'ए'	41.10
	सेलेक्टेड 'बी'	39.54
	ग्रेड—1	35.99
	ग्रेड—2	31.01
मध्य प्रदेश	सेलेक्टेड	38.35
	ग्रेड—1	34.96
	ग्रेड—2	32.87

नोट:—यदि 1972 के दौरान लादे गये माल डिब्बों के औसत परेषण संतोषजनक नहीं समझे जाते तो बंगाल और बिहार के कोयले पर 25 पैसे प्रति मीटरिक टन का अतिरिक्त मूल्य देय है ।

Construction of New Railway Quarters in Delhi

7166. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the number of new Railway quarters constructed in Delhi area during 1971 and 1972; and

(b) the number of quarters allotted to the employees of Signal and Telecommunications Department and the employees of other Departments ?

The Minister for Railway (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) Quarters constructed during the year :

1970-71		1971-72	
Class III	**Class IV**	**Class III**	**Class IV**
Nil	Nil	49	72

(b) Quarters allotted to Signal and Telecommunications Department during 1970-71 and 1971-72

Class III	**Class IV**
4	Nil

Quarters allotted to staff of other departments

Class III	**Class IV**
45	Nil

Diesel Car running between Balia and Varanasi Stations (North Eastern Railway.)

7168. **Shri Chandrika Prasad** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the number of times the diesel car running between Balia and Varanasi Stations of North Eastern Railway has gone out of order due to excessive load; and

(b) the steps Government propose to take in the matter ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya.) : (a) Nil.

(b) Does not arise.

Supply of Electricity to Villages at Cheap Rates

7170. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state :

(a) Whether the Central Government have been making efforts to supply electricity in the villages at cheap rates;

(b) Whether the Central Government took the responsibility to subsidise 50 per cent of the increased rates for three years i. e. after 1966-67; and

(c) If so, whether Government have implemented the scheme ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Baij Nath Kureel): (a) to (b) In order to attain some measure of uniformity and in the interest of stepping up food production a scheme was the basis of the subsidy being shared equally between the centre and the State Government concerned. The scheme was in operation for three years from 1-4-66 to 31-3-69. At the time of introduction of the scheme the rates for agricultural purposes in the States of Assam, Bihar, Gujarat, Madhya Pradesh, Maharashtra, Orissa (diesel area) and Uttar Pradesh were higher than 12 paise per unit. Only

the States of Gujarat and Uttar Pradesh showed interest in the scheme. Gujarat availed the subsidy scheme for one year only in the beginning of the scheme. Uttar Pradesh availed the scheme in the last year of the scheme (1968-69.)

सिलचर होकर मनीपुर तक रेलवे लाइनों का विस्तार

7171. **श्रीमती ज्यं त्स्ना चन्दा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 10 मई, 1972 के "दि आसाम ट्रिब्यून" में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि मनीपुर के मुख्यमंत्री ने कहा है कि केन्द्रीय सरकार ने सिलचर होकर मनीपुर तक रेलवे लाइनों का विस्तार करने सम्बन्धी प्रस्ताव की मंजूरी दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण कार्य कब आरम्भ हो जायेगा और इस मामले को अन्तिम रूप देने में कितना समय लगेगा ?

रेलमंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) और (ख) सिलचर से जीरीघाट (मनीपुर में) तक एक नयी रेलवे लाइन के निर्माण के लिए सर्वेक्षण आरम्भ किया जा रहा है। 31-3-1973 तक यह काम पूरा हो जायेगा और रिपोर्टों को अन्तिम रूप दे दिया जायेगा।

केरल में बिजली का उत्पादन करने के लिए नदियों का जल उपयोग करने हेतु सर्वेक्षण

7172. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजली का उत्पादन करने के उद्देश्य से केरल की विभिन्न नदियों के जल का उपयोग करने हेतु सरकार ने कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो किन स्थानों पर वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए बिजली का उत्पादन किया जा सकता है और वहां कितनी बिजली उत्पादित हो सकती है; और

(ग) कितने स्थानों पर बिजली का उत्पादन पहले से ही आरम्भ हो चुका है और वहां कितनी बिजली उत्पादित की जा रही है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग ने 1952 से 1959 के बीच उपलब्ध स्थलाकृतिक आंकड़ों के आधार पर देश में नदी बेसिनों का, जिनमें केरल के नदी बेसिन भी सम्मिलित है, एक प्रारम्भिक देशव्यापी जल-विद्युत् सर्वेक्षण किया था। केरल राज्य के अधिकारी इस समय विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं।

(ख) केरल में जिन स्थलों पर विद्युत् जनन किया जा सकता है, उनकी वास्तविक विद्युत् शक्यता सहित उनका एक विवरण उपाबंध—1 में दिया जाता है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी 3032/72**]

(ग) जिन स्थानों पर विद्युत्-जनन प्रारम्भ किया जा चुका है उनका वहां जनित विद्युत् की मात्रा सहित एक विवरण उपाबंध—दो में दिया जाता है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3032/72**]

दक्षिण रेलवे में चोरी, हत्या, लूट-पाट और डकैतियों की घटनायें

7173. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्षों में दक्षिण रेलवे में चोरी, हत्या, लूट-पाट और डकैतियों की कितनी घटनाएं हुई हैं ; और

(ख) इन घटनाओं के परिणामस्वरूप यात्रियों को अनुमानत: कितनी सम्पत्ति की हानि हुई है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) :

(क)

वर्ष	चोरी	हत्या	लूट	डकैती
1969	861	1	7	2
1970	678	2	6	-
1971	1082	1	8	1

(ख)

1969	4,41,804/-	रुपये
1970	3,40,963/-	रुपये
1971	5,18,604/-	रुपये

क्विलोन (केरल) में रेलवे कार्यालय का विस्तार

7174. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इनके मंत्रालय ने केरल राज्य में क्विलोन के रेलवे कार्यालय का विस्तार करने की कोई योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) और (ख) एरपाकुलम से तिरुवनन्तपुरम् तक के मीटर लाइन खण्ड को बड़ी लाइन में बदलने से सम्बन्धित कार्य के लिए कोल्लम में एक कार्यकारी इंजीनियर का कार्यालय स्थापित किया गया है। उसे कोल्लम और चेंगपाच्चेरी के बीच आमान परिवर्तन का काम सौंपा गया है।

राज्य व्यापार निगम द्वारा केरल से रबड़ का निबटारा

7175. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1971-72 के दौरान केरल के राज्य व्यापार निगम द्वारा खरीदी गई रबड़ का किस प्रकार से निबटारा किया गया है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : राज्य व्यापार निगम ने रबड़

खरीदने का काम अक्तूबर, 1970 में आरम्भ किया। वर्ष 1971-72 में केरल में रबड़ की खरीद तथा बिक्री की स्थिति निम्नलिखित है :—

		(मे० टन)
वर्ष 1970-71 की समाप्ति पर रा० व्या० नि० के पास रबड़ के स्टाक		4,175
वर्ष 1971-72 के दौरान रबड़ की खरीद		12,648
	योग	16,823
वर्ष 1971 72 के दौरान टायर तथा गैर-टायर विनिर्माताओं को रबड़ की बिक्री द्वारा निपटान	(—)	14,569
1.4.1972 को रा. व्या. नि. के पास रबड़ का स्टाक		2,254

केरल के लिए मध्यम श्रेणी की सिंचाई योजनाएं

7176. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972-93 में क्रियान्वित करने हेतु केरल राज्य के लिए कितनी मध्यम श्रेणी की सिंचाई योजनाएं मंजूर की गई हैं ;

(ख) इसके लिए कितनी केन्द्रीय सहायता मांगी गई है ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (ग) इस समय केरल सरकार के पास सात बृहत् सिंचाई परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। इस समय राज्य में कोई मध्यम सिंचाई स्कीम कार्यान्वयनाधीन नहीं है।

राज्य सरकार सिंचाई सैक्टर के लिए 1972-73 के दौरान 520 लाख रुपये का परिव्यय करने पर विचार कर रही है। राज्य योजनाओं को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों और अनुदानों के रूप में होती है और यह किसी खास विकास शीर्ष या परियोजना से संबंधित नहीं होती। केरल के लिए 1972-73 के लिए योजना परिव्यय की राशि 64 करोड़ रुपये है जिसमें केन्द्रीय सहायता की राशि 33.95 करोड़ रुपये है।

चेयरमैन के परिवार द्वारा चाय बोर्ड की मोटर गाड़ियों का प्रयोग

7177. **श्री आर० पी० यादव** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में चाय बोर्ड के परिवार के सदस्यों द्वारा चाय बोर्ड की मोटरगाड़ियों का प्रयोग किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा बनाये गए नियमों के अनुसार वे उनका प्रयोग करने के अधिकारी हैं ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) चाय बोर्ड के अध्यक्ष, जब दिल्ली के दौरे पर हों, निजी प्रयोजन के लिए चाय बोर्ड की दिल्ली में मोटरगाड़ियों का प्रयोग करने के हकदार हैं। यदि अध्यक्ष स्वयं दिल्ली में हों और उनका परिवार भी दिल्ली में हो तो उनका परिवार भी इससे वंचित नहीं होगा।

निजी प्रयोजन के लिए कलकत्ता में तथा उपरोक्त अनुसार दिल्ली में बोर्ड की कारों के प्रयोग लिए के अध्यक्ष को सरकारी नियमों के अनुसार कुछ रकम अदा करनी पड़ती है। गैर-सरकारी यात्राओं के लिए यदि कार का 500 कि० मीटर प्रति मास से अधिक प्रयोग किया जाता है तो नियमों के अनुसार अतिरिक्त अदायगी करनी होती है।

Assault by Railway Employees on Station Master, Ghaziabad.

7178. **Shri Shiv Kumar Shastri :**
Shri Chandulal Chandrakar :

Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether some Railway employees recently made an assault on the Station Master Ghaziabad Railway Station; and

(b) if so, a brief account of the incident and the steps taken to prevent the recurrence of such incidents in future ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) Yes, the incident took place on 20-4-1972.

(b) A statement is attached.

Statement

The details in brief are that on 20-4-72 at about 9.00 hours some members of the Workers Union, Ghaziabad led by their Secretary Shri Rajinder Singh had posted some posters at the station building, Ghaziabad to which the Station Master Shri Chaman Lal Khanna objected and got them removed through his waterman and safaiwala. On this the Secretary of the Workers Union and one other person Shri Gupta got excited and had exchanged hot words with the Station Master. Shri Gupta also threatened the Station Master with dire consequences. The Station Master lodged a complaint with the Station House Officer, Government Railway Police, Ghaziabad who registered a case vide crime No. 79 under section 120/121 Railway Act on 20-4-72 at 11.35 hours.

2. In the evening at about 17.45 hours, while the Station Master was crossing the over-bridge along with the Yard Foreman, Ghaziabad on their way to the Goods Shed, he was datained by the members of the Workers Union and was assaulted by the Secretary of the Union and 6 others. The Station Master sustained minor injuries. The Station Master

lodged a complaint with the Government Railway Police, Ghaziabad who registered a case vide FIR No. 80A dated 20-4-72 under section 147/332/323/307 IPC and 120/121 Railway Act. 7 persons have been arrested. These are members of the Workers Union.

3. There is a counter allegation that the Union people wanted to present a memorandum to the Station Master but the Station Master got excited and assaulted Shri Rajinder Singh, Secretary of the Workers Union and one Shri Brijinder Singh with the help of five unknown persons. In this connection, a case vide crime No. 80 dated 20-4-72 under section 120 Railway Act and 323 IPC was registered by the Government Railway Police, Ghaziabad against the Station Master. Both the Station Master and Shri Rajinder Singh were sent to the Civil Hospital for medical examination and treatment.

4. All these cases are under investigation. Another railway employee named Shri Bhagwat Singh. Cleaner Loco Shed was arrested on 5-5-72. All the arrested persons have not yet been hailed out and the identification parade is fixed to be held on 18-5-72.

Promotion of Station Masters on Railways

7179. **Shri Shiv Kumar Shastri :**
Shri M. C. Daga :

Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether Government propose to create any avenues of promotion for Station Masters; and

(b) if so, the broad outlines thereof ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) & (b) Apart from promotion to higher grade posts in their own cadre, Station Masters and Assistant Station Masters are considered for promotion to posts of Section Controllers, Yard Masters, Traffic/Transportation Inspectors etc. The Railway Board have recently decided, in consultation with organised labour, that posts of Station Masters and Assistant Station Masters upto and inclusive of grade Rs. 250-380 (AS) should be exclusively preserved for promotion from lower grades of Station Masters/Assistant Station Masters, subject to direct recruitment of Traffic Apprentices in grade Rs. 250-380 in accordance with the prescribed percentage.

मजूरी बोर्ड के लिए यूनियनों द्वारा भेजी गई याचिकायें

7180. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न यूनियनों ने याचिकायें भेजी हैं जिनमें सरकार से रेलवे कर्मचारियों के लिए मजूरी निर्धारित करने के लिए मजूरी बोर्ड बनाने का अनुरोध किया गया है ;

(ख) क्या सरकार का विचार रेलवे मजूरी बोर्ड स्थापित करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो मजूरी बोर्ड कब बनाया जायेगा तथा यह अपना काम कब आरम्भ कर देगा ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) विभिन्न क्षेत्रों से इस प्रकार की मांग की गई है।

(ख) और (ग) रेल कर्मचारी केन्द्रीय सरकार के नौकर हैं ; इसलिए उनका वेतन उसी आधार पर निर्धारित होता है जो आधार केन्द्रीय सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए लागू होता है। अत: केवल रेल कर्मचारियों के लिए अलग से वेतन बोर्ड नियत करना उचित न होगा।

Monthly Expenditure on Railway Exployees

7181. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the total number of employees working in Indian Railways at present and the number of those working in 1951 and the percentage of increase in the strength of the employees; and

(b) the extent of increase in expenditure on employees during the said period ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) & (b) The latest information available is for the financial year 1970-71. The comparative data for 1950-51 and 1970-71 are as under:—

	1950-51	1970-71	Increase in 1970-71 over 1950-51
(i) Number of staff (as on 31st March).	913,553	1,373,320	50.3%
(ii) Total expenditure (In crores of rupees).	113.82	460.63	305%

सदस्य द्वारा वैयक्तिक स्पष्टीकरण
PERSONAL EXPLANATION BY MEMBER

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैंने नियम 357 के अन्तर्गत सूचना दी है। आप मुझे वैयक्तिक स्पष्टीकरण के लिए अनुमति दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उसे प्रधान मंत्री के पास भेज दिया है। ज्योंही वह आयेगा···

श्री ज्योतिर्मय बसु : वैयक्तिक स्पष्टीकरण से प्रधान मंत्री सचिवालय का कोई सम्बन्ध नहीं होना चाहिए था क्योंकि मैं वही बात कहने जा रहा हूं जिसकी समाचार-पत्रों में काफी चर्चा हो चुकी है। अब उचित समय है कि मैं वैयक्तिक स्पष्टीकरण दूं।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह वैयक्तिक स्पष्टीकरण है अथवा यह नियम 377 के अन्तर्गत है ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह नियम 357 के अन्तर्गत वैयक्तिक स्पष्टीकरण है।

अध्यक्ष महोदय : अन्त में आपने कहा है, "···मैं प्रधान मंत्री से अनुरोध करता हूं···" आदि। यदि यह नियम 377 के अन्तर्गत है तो उनके पास जायेगा और उसके बाद हम देखेंगे।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं उसका उल्लेख नहीं करूंगा। यह नियम 357 के अन्तर्गत है। मुझे स्थिति स्पष्ट करने का अवसर दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : यदि यह वैयक्तिक स्पष्टीकरण है तो मैं इसके लिए अनुमति देता हूं। परन्तु यदि मैं इसके अनुसार चलूं तो मुझे नहीं चाहिये कि अनुमति दूं।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : इसका सक्रिय भाग यह है कि माननीय सदस्य की प्रतिष्ठा दुविधा में है और वह इसे स्पष्ट करना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह काफी जटिल है। मैंने सोचा था कि यह साधारण बात है।

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न यह है कि नियम 357 के अन्तर्गत चर्चा योग्य कोई विषय उठाया अथवा लाया नहीं जा सकता। क्या यह चर्चा योग्य विषय है अथवा नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : इस विवरण पर कोई चर्चा नहीं हो सकती।

श्री ज्योतिर्मय बसु : 21-5-72 को प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने पश्चिम बंगाल में सूखा-ग्रस्त क्षेत्र में दौरे के दौरान जनसमुदाय के समक्ष भाषण किया। 22-5-72 के स्टेट्समैन तथा 'टाइम्स आफ इंडिया' में इस आशय के समाचार प्रकाशित हुए हैं कि प्रधान मंत्री ने अपने भाषण के दौरान कहा कि कुछ दलों ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस दल ने एकाधिकारियों से चुनाव जीतने के लिये पैसे लिये थे—ऐसे आरोप निराधार हैं। उन्होने यह भी कहा कि इस सम्बन्ध में जो दस्तावेज पेश किये गए थे वे झूठे हैं तथा 'फोटोस्टेट' में कोई वास्तविक साक्ष्य नहीं है। पूंजीवादियों ने सभी दलों को पैसे दिये हमें भी दिये, तथा मार्क्सवादी दल को भी दिये परन्तु हम ऐसी बात नहीं करेंगे जो सिद्धान्तहीन है।

बड़े अफसोस की बात है कि प्रधानमंत्री भी सार्वजनिक सभा में ऐसा कह कर सभा के विशेषाधिकार का उल्लंघन करने और अनौचित्य करने में नहीं हिचकिचाईं। जबकि मैंने लोक-सभा में अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए सत्तारूढ़ दल पर एकाधिकारियों से चन्दा लेने का आरोप लगाया था तथा उसके समर्थन में 'फोटोस्टेट' प्रस्तुत किया था तथा अध्यक्षपीठ के अनुदेशानुसार वह 'फोटोस्टेट' अध्यक्षपीठ को सौंपे गए थे। मैंने तथा विरोधी दल के अन्य नेताओं ने आपसे अनुरोध किया था कि आप सरकार से कहें कि मेरे आरोपों का खंडन दस्तावेज देकर करे परन्तु सरकार ने कुछ नहीं किया है।

****

अध्यक्ष महोदय : जो भाग वैयक्तिक स्पष्टीकरण से सम्बद्ध नहीं है, मुझे अफसोस है, मैं उसकी अनुमति नहीं देता।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : इश्तहार की बात बहुत दिनों से चल रही है।

****अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

****expunged as ordered by the chair.

अध्यक्ष महोदय : आप बिना मेरी अनुमति के बोल रहे हैं। कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जायेगा।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : **(व्यवधान)

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

रबड़ बोर्ड तथा नारियल जटा बोर्ड के वार्षिक प्रतिवेदन

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) रबड़ बोर्ड के वर्ष 1970-71 के क्रियाकलापों सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन के अंग्रेजी संस्करण के साथ-साथ हिन्दी संस्करण सभा-पटल पर न रखे जाने के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [**ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० टी०** 3023/72]

(2) नारियल जटा उद्योग अधिनियम, 1953 की धारा 19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति :—

(एक) नारियल जटा बोर्ड के क्रियाकलापों और नारियल जटा उद्योग अधिनियम, 1953 के कार्यकरण के सम्बन्ध में वर्ष 1969-70 का वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी संस्करण) [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 3024/72]

(दो) नारियल जटा बोर्ड के क्रियाकलापों और नारियल जटा उद्योग अधिनियम 1953 के कार्यकरण सम्बन्धी 1 अप्रैल, 1970 से 30 सितम्बर, 1970 तक की अवधि का अर्ध-वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी संस्करण) [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 3025/72]

(तीन) नारियल जटा बोर्ड के क्रियाकलापों और नारियल जटा उद्योग अधिनियम, 1953 के कार्यकरण के सम्बन्ध में वर्ष 1970-71 का वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 3026/72]

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

**Not recorded.

(चार) नारियल जटा बोर्ड के क्रियाकलाओं और नारियल जटा उद्योग अधिनियम, 1953 के कार्यकरण के सम्बन्ध में 1 अप्रैल, 1971 से 30 सितम्बर, 1971 तक की अवधि का अर्ध-वार्षिक प्रतिवेदन। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०** 3027/72]

राज्य सभा से संदेश
MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव :

मुझे राज्य सभा से प्राप्त एक सन्देश की सूचना देनी है कि राज्य सभा ने 15 मई, 1972 को अपनी बैठक में लोक सभा की इस सिफारिश से. कि लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति में डा० (श्रीमती मंगलादेवी तलवार और श्री एम० वी० भद्रम् के 2 अप्रैल, 1972 को राज्य सभा की सदस्यता से निवृत्त होने के कारण रिक्त हुए स्थानों के लिए दो सदस्यों का निर्वाचन करे, सहमत हुई और राज्य सभा ने उक्त संयुक्त समिति के लिए निर्वाचित राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्यों के नाम भी बताए :—

(1) श्री योगेन्द्र शर्मा।

(2) श्री विट्ठल गाडगिल।

याचिका समिति
COMMITTEE ON PETITION

चौथा प्रतिवेदन

श्री ए० पी० शर्मा (बक्सर) : मैं याचिका समिति का चौथा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS FROM THE SITTINGS OF THE HOUSE

छठा प्रतिवेदन

श्री एस० सी० सामन्त (तामलुक) : मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति का छठा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

अस्पृश्यता (अपराध) संशोधन और प्रकीर्ण उपबन्ध विधेयक

UNTOUCHABILITY (OFFENCES) AMENDMENT AND MISCELLANEOUS PROVISIONS BILL.

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 का संशोधन करने और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री आर० डी० भंडारे (बम्बई मध्य) : मैं जानना चाहता हूं कि वैयक्तिक स्पष्टीकरण के अन्त का भाग वैयक्तिक स्पष्टीकरण का अंग नहीं था तो क्या उसे कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : जो कोई बात वैयक्तिक स्पष्टीकरण का अंग नहीं होती है वह कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं की जाती। यह पहले ही स्पष्ट कर दिया गया था कि अन्तिम दो पैरा वैयक्तिक स्पष्टीकरण के अंग नहीं हैं। उन्हें वैयक्तिक स्पष्टीकरण नहीं माना जाएगा। (**व्यवधान**)

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : यदि सरकार का कोई सदस्य मेरे दल पर आरोप लगाता है तो क्या मुझे अपने दल का बचाव नहीं करना चाहिए ? प्रधान मंत्री ने स्पष्ट आरोप लगाया है कि मार्क्सवादियों ने भी धन लिया है। अतः उन्हें इसे स्पष्ट करना पड़ता है।

अध्यक्ष महोदय : आप इसे प्रस्ताव के द्वारा ला सकते हैं।

अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर) : उन्होंने इस सभा में दिये गए किसी प्रश्न के उत्तर का उल्लेख किया था। क्या सरकार द्वारा दिया गया उत्तर कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाला जा सकता है ?

अध्यक्ष महोदय : यदि वह यह चाहते हैं कि इसे नियम 377 के अन्तर्गत लिया जाये तो यह प्रधान मंत्री के पास जायेगा।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : श्री ज्योतिर्मय बसु को वैयक्तिक स्पष्टीकरण देने के लिए इसलिये कहा गया था कि प्रधान मंत्री ने कलकत्ता में श्री ज्योतिर्मय बसु तथा उनके दल पर ऐसे आरोप लगाये जिनसे उनका दल जनता की निगाह में हास्यास्पद बन जाता है। श्री ज्योतिर्मय बसु ने संसद में जो कुछ कहा उसका प्रधान मंत्री द्वारा ऐसे तरीके से खंडन करने के प्रयास के लिये जब प्रधान मंत्री को कुछ नहीं कहा गया है तो श्री ज्योतिर्मय बसु को इतनी कठिनाई में क्यों रखा जा रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है। मैं इसे पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं।

श्री राजबहादुर : मुझे आपके अनुदेशों का पालन करना है। मेरे विचार में इस स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री से कोई वक्तव्य देने का अनुरोध नहीं किया गया है।

(2) "प्रामाणिकता से इन्कार करना" के बाद का सारा भाग कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया जाना चाहिए।

Shri Atal Bihari Vajpayee : I have given notice of a motion under Rule 184 and we want to have a discussion. If all that, which has been said by the Prime Minister in Calcutta, is deleted, there will be nothing for personal explanation. The Prime Minister should be called upon to face the House. This matter will continue to come up in one way or the other unless discussion is allowed on this matter.

अध्यक्ष महोदय : इस मामले को प्रतिदिन किसी भी प्रकार उठाया जाता है। मैं इसे स्पष्ट कर चुका हूं। मैंने माननीय सदस्य से इसे प्रधानमंत्री के पास भेजने के लिए पूछा तब उन्होंने कहा 'नहीं'। आरोप हटा दिए गए हैं। छह दिन तक पुनरावृत्ति करते रहने के बाद माननीय सदस्यों को कोई प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहिये।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह प्रस्ताव है जिसे मैं पहले ही सभा-पटल पर रख चुका हूं।

अध्यक्ष महोदय : इसके लिये कार्य-मंत्रणा समिति को बैठ कर समय निकालना चाहिए।

श्री राजबहादुर : केरल के मामले के बारे में सरकार को संविधान के संशोधन के लिए विधेयक लाना होगा तथा और भी कई महत्वपूर्ण मामले उठेंगे अतः इसके लिए समय निकालना कठिन होगा···

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इसे कल रखा जाये।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य जैसा चाहें, इसे कल होने दिया जाये।

अस्पृश्यता (अपराध) संशोधन और प्रकीर्ण उपबन्ध विधेयक—जारी
Untouchability (Offence) Amendment and Miscellaneous Provision Bill—Contd.

प्रो० एस० नुरुल हसन : यह बहुत ही साधारण तथा महत्वपूर्ण विधेयक है। अस्पृश्यता अपराध विधेयक 1955 में कुछ कमियां रह गई थीं तथा संसद में माननीय सदस्यों एवं अन्य व्यक्तियों ने इन कमियों पर प्रकाश डाला। अतः सरकार ने इन मामलों को श्री एलयापेरुमल की अध्यक्षता वाली अनुसूचित जातियों के शैक्षणिक तथा आर्थिक विकास, अस्पृश्यता सम्बन्धी समिति को सौंपने का निर्णय किया। एलयापेरुमल समिति ने गहन अध्ययन के बाद कुछ सिफारिशें कीं जिनका उद्देश्य आपराधिक उपबन्धों को अधिक कठोर बनाना था। सरकार ने अधिकांश सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं। केवल एक ही रूपभेद किया गया है तथा मैं विधेयक के प्रमुख उपबन्धों को स्पष्ट करूंगा।

संशोधन से सम्बद्ध प्रथम प्रश्न अधिनियम के अन्तर्गत दंड को बढ़ाना है। दूसरा, अपराधों को समझौते लायक नहीं बनाना है। तीसरे, 'सार्वजनिक पूजा स्थल' की परिभाषा के अन्तर्गत सार्वजनिक पूजा स्थलों के रूप में प्रयोग किये जाने वाले निजी मन्दिरों को लाना है तथा केन्द्रीय तथा राज्य विधान मंडलों के लिये चुनाव लड़ने के लिये उन व्यक्तियों को अनर्ह बनाना है जो अधिनियम के अन्तर्गत दंड प्राप्त कर चुके हों।

एलयापेरुमल समिति की सिफारिशों से इस विधेयक में सरकार ने जो छोटा-सा परिवर्तन किया है उसे मैं सभा के विचार के लिए रख रहा हूं। समिति ने सिफारिश की है कि पहले अपराध के लिए कम से कम तीन महीने और छह महीने तक कारावास की सजा होनी चाहिए तथा कम से

कम 50 रुपये और 200 रुपये तक जुर्माना होना चाहिए। यदि दंड इतना निवारक होगा तो न्यायालयों की यह प्रवृत्ति हो सकती है कि किसी संदेह के आधार पर अभियुक्त को रिहा कर दे। अतः सरकार ने विचार किया है कि पहले अपराध में दंड एक महीने से कम न हो तथा छह महीने से अधिक न हो।

मैं सभा से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले पर शीघ्र विचार करे।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम 1955 का संशोधन करने और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

***श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** (औसग्राम) : हम प्रजातंत्र तथा समानता की बात करते हैं परन्तु आज भी हम पाते हैं कि लगभग 8 करोड़ पददलित लोग वास्तविक स्वतंत्रता तथा समानता से वंचित हैं। अनुसूचित जाति, आदिम जाति तथा आदिवासी लोगों को अछूत समझा जाता है तथा केरल जैसे कई स्थानों पर उन्हें सार्वजनिक पूजा स्थलों पर नहीं जाने दिया जाता। इनकी समस्याओं का समाधान केवल शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय पर ही नहीं छोड़ा जाना चाहिए अपितु योजना, वित्त आदि को भी इनकी समस्या के प्रति सजग रहना चाहिए। इन 8 करोड़ पददलित लोगों में अधिकांश लोग भूमिहीन श्रमिक, कटाईदार अथवा शहरों में रहने वाले औद्योगिक श्रमिक हैं। उड़ीसा में आदिवासी लड़कियों तथा महिलाओं की गाथा पर हम इस सभा में कई बार चर्चा कर चुके हैं। इस प्रयोजन के लिए केवल विधान ही काफी नहीं है।

नये मूल्यों की स्थापना करके जब तक सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन नहीं लाया जाता, तब तक देश में अस्पृश्यता को समाप्त नहीं किया जा सकता और इसके लिए हिन्दू धर्म पर आधारित मूल्यों में पहले परिवर्तन किया जाना चाहिए।

आज हमें इस समस्या के मूल कारणों को ढूंढ़कर उनका समाधान करना होगा। इस अस्पृश्यता की समस्या का समाधान न करने के कारण विश्व में हमारे देश की प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचा है। 11 सितम्बर, 1971 के 'पेट्रियट' में प्रकाशित समाचार के अनुसार गुड़गांव जिले के होडल कस्बे में सवर्ण हिन्दुओं ने हरिजनों की बस्ती की सभी सड़कों और गलियों को एक महीने तक बन्द रखा।

भारत के महापंजीकार ने कुछ सीमा तक सर्वेक्षण तो किया है, परन्तु समिति का विचार है कि उनके आंकड़े पूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं करते, इसी कारण समिति ने उत्तर प्रदेश के एक जिले का मानक सर्वेक्षण किया।

इसलिए इस अधिनियम का व्यापक प्रचार करना चाहिए और जनता को इस बात की जानकारी देनी चाहिए कि अस्पृश्यता का आचरण कानून के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। पुलिस

*बंगला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*Summarised translated version based on English translation of a speech delivered in Bengali.

विभाग के अनेक कर्मचारी भी पिछड़े वर्ग के प्रति सहानुभूति न रखने के कारण इस कानून की जानकारी ही नहीं रखते अथवा इसके प्रति उदासीन हैं। यह अत्यधिक खेद की बात है कि तीस में से केवल दो पुलिस अधिकारी ही अस्पृश्यता अपराध अधिनियम के उपबन्धों के बारे में कुछ बता सके। महात्मा गांधी के जन्मस्थान पोरबन्दर, गुजरात में ही नहीं, बल्कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और अन्य राज्यों में भी छुआछूत का आचरण किया जाता है। केवल कानून बनाने से ही समस्या हल नहीं होगी, समस्या के समाधान के लिए उच्च वर्ण के हिन्दुओं के दृष्टिकोण में परिवर्तन करना आवश्यक है।

अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के नेता एवं संविधान के प्रणेता डा० अम्बेदकर ने वर्ष 1936 में कहा था कि लोकतन्त्र सरकार की एक प्रणाली नहीं है, यह तो मूलत: सहयोगपूर्ण सह-अस्तित्व है। इसके अन्तर्गत एक दूसरे के प्रति सम्मान और आदर की भावना का होना आवश्यक है। लोकतन्त्र के अन्तर्गत व्यक्ति-स्वातन्त्र्य का होना आवश्यक है।

देश के अनेक भागों में हरिजन छात्रों को अब भी प्रवेश नहीं दिया जाता। जयपुर में अनुसूचित जाति के एक आई० ए० एस० अधिकारी को सवर्ण हिन्दुओं ने अपनी बस्ती में नहीं रहने दिया। 16 फरवरी, 72 के 'हिन्दू' समाचार पत्र में प्रकाशित एक समाचार के अनुसार कन्नानोर जिले के दस मन्दिरों में हरिजनों का प्रवेश अब भी निषिद्ध है। कुछ स्कूलों में हरिजनों की अध्यापकों के रूप में नियुक्ति अधिकारियों ने की, लेकिन उन्हें स्कूल में नहीं आने दिया जाता। इसलिए इस संशोधन विधेयक के खण्ड 7 में "भारतीय दण्ड संहिता" के बाद "अथवा अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, 1956" शब्द जोड़े जाएं।

मेरा यह सुझाव है कि जो भी व्यक्ति अस्पृश्यता अपराध अधिनियम के अन्तर्गत अपराधी पाया जाय, उसे 6 वर्ष के लिए मतदान के अधिकार से वंचित कर दिया जाय। मानव सर्वोपरि है। इस भावना के साथ समाज के सभी वर्गों से मैं अनुरोध करता हूं कि वे इन दलित वर्गों के लोगों के उत्थान के लिए आगे आएं। जिन मानवीय मूल अधिकारों से उन्हें वंचित किया जाता रहा है, वे उन्हें पुन: प्राप्त होने चाहिएं।

***श्री पी० वेंकटासुब्बया** (नन्दयाल) : अस्पृश्यता की समस्या के पीछे अपना इतिहास है। लाखों व्यक्तियों की युगों से समाज द्वारा उपेक्षा की जाती रही है। महात्मा गांधी और डा० अम्बेदकर ने इन लोगों के उत्थान के लिए ऐतिहासिक संघर्ष किया। लेकिन पच्चीस वर्ष की आजादी और इन महान नेताओं के कार्य के बावजूद आज भी सामाजिक असमानता और अन्याय विद्यमान है। आन्ध्र प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में अब भी हरिजनों पर अत्याचार किया जाता है। हमें अपने आप से यह प्रश्न पूछना है कि क्या कानून बनाने से इस समस्या का निदान किया जा सकता है? आवास स्थलों के आवंटन और पेय जल की व्यवस्था करने में अभी भी उनकी उपेक्षा की जाती है।

---

*तेलगू में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

पंचायतों और जिला परिषदों में पिछड़े वर्गों के लिए स्थान सुरक्षित हैं, परन्तु जमींदारों के एजेन्ट इन स्थानों पर चुन लिये जाते हैं। इन लोगों को गांव के बाहर आवास स्थल आवंटित किये जाते हैं, फिर सामाजिक एकीकरण कैसे हो सकता है ? अस्पृश्यता निवारण किये बिना योजनायें और कार्यक्रम सफल नहीं हो सकते।

शिक्षा और विवाह के मामले में सामाजिक जागरूकता उत्पन्न की जानी चाहिए। अन्तर्जातीय विवाह करने वाले व्यक्तियों और उनकी सन्तान को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। योग्य व्यक्तियों के अभाव का बहाना करके इन वर्गों के लिए सुरक्षित स्थानों को भी नहीं भरा जाता।

हरिजन सेवक संघ और अन्य समाज-सेवी संगठनों को सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

99% खेतिहर मजदूर अथवा भूमिहीन श्रमिक हरिजन हैं। भूमि सीमा लागू होने के बाद अतिरिक्त भूमि इन्हीं हरिजनों को दी जानी चाहिए ताकि इनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके।

छुआछूत बरतने के लिए दण्ड को कठोर बनाने से अथवा केवल कानून बनाने से यह समस्या हल नहीं हो सकती। नौकरियों के मामलों में, हरिजनों की जिलाधीश के रूप में नियुक्ति की जानी चाहिए। उनके लिए सुरक्षित स्थानों से अधिक स्थानों पर हरिजनों की नियुक्ति की जानी चाहिए।

पिछड़े वर्गों के लिए निर्धारित योजनाओं और कार्यक्रमों को आज्ञानुरूप क्रियान्वित नहीं किया गया है। इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की जांच करने और लक्ष्यों की पूर्ति में कमी की प्रत्येक राज्य में जांच करने के लिए एक विशेष समिति गठित की जानी चाहिए।

हरिजनों के साथ-साथ देश के विभिन्न भागों में आदिवासियों की भी उपेक्षा की जाती रही है। उपेक्षित वर्ग हिंसा का सहारा लेने लगता है। उन्हें हिंसा के मार्ग से हटाने के लिए उनके अधिकार उन्हें दिये जाने चाहिएं।

Shri B.S. Bhaura (Bhatinda) : The honourable Minister has stated that the recommendations of the committee have been amended. In my view they should not have been amended. Atrocities have been committed on Harijans almost in every state of the country. Economic condition of the Harijans has not improved. The Police officers do not take any action against the guilty persons. Moreover, they do not register cases reported by the Harijans. High Police officers harass and intimidate Harijan Police officials. If some of the cases are registered with the police, they are not pursued by them.

Basic thing is the improvement in the economic condition of Harijans. Landlords have created a lobby to harass the supporters of land reforms and Harijans. Reserved seats for Scheduled Castes and Scheduled Tribes are not filled according to the quota fixed for them.

I support this Bill. But Political Committees should be appointed to ensure implementation of the proposed legislation. The Police officer should be held responsible for any case in his area.

An all party committee at the central level should be set up to enquire into the complaints made by the Scheduled Castes. Measures should also be taken to check propaganda against Harijans. Though the proposed legislation is a good measure, yet committee should be set up to ensure its implementation.

Shri M. C. Daga (Pali) : The enhancement of the punishment in the proposed legislation would serve no useful purpose. The minimum punishment provided in the Bill is one month's imprisonment, even if a person pleads guilty and requests to be excused.

It has been provided in the Bill that the Judge should study the character and age of the offender, his early breeding, his education and environment, the circumstances under which he committed the offence, the object with which he committed it and other factors. There should not be any compulsory imprisonment.

The basic problem is the removal of poverty. It should be provided in the law that high officers and Ministers would have their domestic servants belonging only to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

There should not be mandatory provision of one month's imprisonment. An offender should first be given a chance to reform himself. Punishment should be given at the discretion of the judge.

श्री जे० एम० गौडर (नीलगिरि) : यह विधेयक इतने वर्षों के पश्चात् इस सदन के समक्ष लाया गया है फिर भी इस विधेयक में अनेकों कमियां रह गई हैं ।

इस विधेयक में धर्म-निरपेक्ष सरकार ने 'धर्म' शब्द का प्रयोग किया है । एक धर्म के व्यक्ति उसी धर्म के अन्य व्यक्ति को सार्वजनिक आराधना स्थल में प्रवेश करने से नहीं रोक सकेंगे । मेरे विचार में, धर्म-निरपेक्ष राज्य में विभिन्न धर्मों के अनुयायियों को किसी भी आराधना-स्थल में प्रवेश करने की स्वाधीनता होनी चाहिए । जब तक धर्म के प्रति कानूनी समर्थन समाप्त नहीं किया जाएगा, तब तक अस्पृश्यता-निवारण सम्बन्धी कोई भी कानून सफल नहीं हो सकता ।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

जहां तक अस्पृश्यता-निवारण का सम्बन्ध है, तमिलनाडु सरकार का देश में प्रमुख स्थान है । शताब्दियों से समाज के केवल एक वर्ग विशेष के व्यक्ति ही मन्दिर में अर्चक (पुजारी) बन सकते थे । अब द्रुमुक सरकार ने कानून द्वारा यह व्यवस्था कर दी है कि किसी भी जाति का व्यक्ति मन्दिर में अर्चक बन सकता है । अन्य राज्यों को भी इसका अनुसरण करना चाहिए । केन्द्रीय सरकार भी इसी प्रकार के प्रगतिशील कदम उठा सकती है । तमिलनाडु सरकार अन्तर्जातीय विवाह करने वाले व्यक्तियों को स्वर्ण पदक देती है । केन्द्रीय सरकार को भी हरिजनों के साथ अन्तर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन देना चाहिए ।

1968 के दौरान अस्पृश्यता अपराधों की संख्या 203 थी जबकि देश में अनुसूचित जातियों के लोगों की कुल संख्या 11 करोड़ थी । इन 203 अपराधों में से 35 मामलों में दोष सिद्ध हो पाया

और 52 मामलों में विमुक्ति प्रदान की गई । 39 मामले ऐसे थे जिनमें कि न्यायालय के बाहर ही समझौता कर लिया गया था और 77 मामले अभी भी न्यायालयों में अनिर्णीत पड़े हुए हैं । इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि बहुत कम आपराधिक मामले प्राधिकारियों की सूचना में लाए जाते हैं । इसका प्रमुख कारण यही है कि हरिजनों में न तो न्यायालय जाने का साहस होता है, न न्यायालय में जाकर खर्च करने के लिए धन ही उनके पास होता है । दूसरे वे लोग अपने उस हिन्दू समाज के विरुद्ध मुंह भी नहीं खोलना चाहते क्योंकि उन्हें फिर उसी समाज में ही रहना होता है । अतः इन परिस्थितियों में सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिये कि हरिजनों का उत्थान करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ? सरकार की जो शक्तियां अन्य दिशाओं में खर्च हो रही हैं, तो उनका प्रयोग अस्पृश्यता निवारण के लिए क्यों नहीं किया जा सकता ।

संशोधक विधेयक में सजा को बढ़ाने का प्रस्ताव सराहनीय है । परन्तु यदि सरकार इस अधिनियम को उत्साहपूर्ण ढंग से क्रियान्वित करना चाहती है तो इस अधिनियम में यह व्यवस्था की जानी चाहिये कि हरिजनों और अनुसूचित जातियों के लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता भी उपलब्ध करवाई जा सके। इलायापेरुमल समिति के सुझाव निश्चय ही बहुमूल्य हैं ।

यह खेद की बात है कि अभी तक यह अधिनियम प्रादेशिक भाषाओं में उपलब्ध नहीं हुआ है । इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि पुलिस, मजिस्ट्रेट और राजस्व अधिकारियों, जिन्होंने कि इसे लागू करना होता है, उन्हें इस प्रकार के अधिनियमों की पूर्ण जानकारी करवाई जानी चाहिये । स्कूलों के पाठ्यकम में भी अस्पृश्यता अपराध को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिये । हरिजन लोग जो अस्पृश्यता के शिकार होते हैं, उनके पास शहर के न्यायालय में जाकर अपनी बात कह सकने की क्षमता नहीं होती है क्योंकि उनके आर्थिक साधन बहुत सीमित होते हैं । अतः इस अधिनियम को उत्साहपूर्ण ढंग से क्रियान्वित करने के लिए देश में चलते-फिरते न्यायालय स्थापित किये जाने चाहिएं । हरिजन लोगों के रहन-सहन के ढंग में अपेक्षित सुधार किया जाना चाहिये । अपना वक्तव्य समाप्त करने से पूर्व मैं मंत्री महोदय से यही निवेदन करना चाहता हूं कि विधेयक की सभी कमियों को पूरा करने का भरसक प्रयत्न करना चाहिये ।

Shri Shivnath Singh (Thunjhunu) : I support the amending bill on untouchability. The untouchability is prevalent in our country for the last several centuries. The Caste System in our society is its main cause. So in first instance, it is essential that untouchability should be eradicated from our country. We will have to effect some drastic changes in our social structure if we are sincere to remove the malady of untouchability. For instance, like the reservation in services for scheduled castes, we can also make a provision that whosoever joins service, will have to marry an untouchable.

The economic condition of backward classes, Scheduled Castes and Scheduled Tribes is deplorable. Nothing concrete has been done to improve their lot. Simply by providing more stringent punishment for untouchability, we cannot solve this problem. The root cause of this evil should be studied and analysed. Now our Government is fully in a position to bring in the long awaited radical changes in our society by enacting laws. With these words, I fully support this Bill.

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior): I am sorry to point out that present Bill is a testimony of the fact that all our efforts to abolish untouchability during last 22 years have failed and now it has become more essential to make the relevant laws more stringent. Our Constitution makers had declared in 1950 in Article 17 of the Constitution that "Untouchability is abolished and its practice in any form is forbidden. The enforcement of any disabilities arising out of the Untouchability shall be an offence in accordance with law." But simply this declaration cannot abolish untouchability. The Laws which were enacted for its abolition have failed in their purpose and are inadequate. In this connection I would like to know from the hon. Minister the number of persons convicted for this offence in the country during the last 22 years ?

It is true that untouchability is a penal offence but the individuals sitting over the judgement for this offence are themselves not free from the prejudices and that is where our legislations have failed. I think there is no need to change the recommendations of Elayaperumal Committee.

The Indian philosophy does not permit any discrimination on the basis of birth. Even religion does not permit it and it is against humanity also. It is not correct to contend that untouchability has its roots in Caste System. For the removal of untouchability, alongwith legislation, a social revolution is olso called for. A nation-wide campaign should be initiated at social and non-political level. In this connection I further suggest that a special meeting of the Nation Integration Council should be convened to go into the problems of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. A campaign with co-operation of all parties should be started. A definite target should also be set up for the purpose.

Shri R. S. Pandey (Rajandgaon) : It is apparent from substantial speech of Shri Vajpyee that social revolution in our country is not far off. After completing 25 years of independence, we are going to celebrate its Silver Jubilee. But uptill now we have not succeeded in removing the blot of untouchability from our democracy. Simply by providing more and more deterrent punishment for the offenders of untouchability. We will not be able to solve this problem. I am of a view that for the establishment of a new society and new traditions, the social conscience and sense of humanity are much more important than legislations. We should abide by the preaching of Swami Dayanand, Mahatama Gandhi and Baba Ambedkar. We should realise that all men are alike and there should be no discrimination in any respect. In the first instance, the caste system should be abolished. A social consciousness should be aroused in the community which will have way to equality and abolish discrimination. It is something very essential.

श्री के० एस० चावड़ा (पाटन) : सदन जिस संशोधन विधेयक पर विचार कर रहा है मैं उसका समर्थन करता हूं। इलायापेरुमल समिति ने जनवरी, 1969 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया था। मंत्री महोदय यह संशोधन विधेयक सभा के समक्ष आज ला रहे हैं। इस बात से तो ऐसा लगता है कि सरकार अस्पृश्यता को दूर करने के बारे में अभी स्वयं ही गम्भीर नहीं है। अस्पृश्यता के निवारण के लिए हमारे संविधान में अनुच्छेद 17 की व्यवस्था की गई है और हमारी संसद द्वारा अस्पृश्यता अपराध अधिनियम भी 1955 में पास किया गया था। परन्तु यह खेद की बात है कि विधान बनाने और उसे लागू करने में काफी अन्तर रहा है।

आज भी गांवों में अनुसूचित जातियों के लोगों को एक ही संयुक्त कुएं से पानी भरने की अनुमति नहीं है। उन्हें गांव के सवर्ण हिन्दुओं के साथ पूजा करने की अनुमति नहीं है। इतना ही नहीं, गांव के नाई और धोबी भी उनके लिए कार्य नहीं करते। यह स्थिति स्वतन्त्रता प्राप्ति के 25 वर्ष बाद आज भी विद्यमान है।

यदि हमारी सरकार अस्पृश्यता निवारण के लिए आरम्भ से ही दृढ़ संकल्प होती, तो आज तक अस्पृश्यता समाप्त की जा सकती थी। वर्ष 1967 और 1968 के दौरान समूचे देश में अनुसूचित जातियों के 1112 व्यक्तियों की हत्यायें की गईं। इनमें से 556 हत्यायें केवल मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश में ही हुईं। 1970 में मध्यप्रदेश में एक हरिजन लड़की को जला दिया गया। जब मैंने राज्य-सभा में यह प्रश्न उठाया था तो प्रधानमन्त्री ने उस मामले के सम्बन्ध में वक्तव्य देने का वचन दिया था, परन्तु अभी तक इस सम्बन्ध में उन्होंने कोई वक्तव्य नहीं दिया है। प्रधानमन्त्री द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसका अन्य लोगों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। हाल ही में उन्होंगे अपने चुनाव क्षेत्र रायबरेली को देश का आदर्श नगर बनाने की घोषणा की है। इस दिशा में कार्य तीव्र गति से आरम्भ हो गया है। इसीलिए मेरा यह विचार है कि अनुसूचित जातियों के लोगों की स्थिति में सुधार करने और अस्पृश्यता निवारण का कार्य राज्यों में मुख्यमंत्रियों और केन्द्र में प्रधानमन्त्री के हाथ में होना चाहिये।

श्री बी० आर० शुक्ल (बहराइच) : चर्चा में भाग लेने वाले अधिकांश सदस्यों का ध्यान वास्तविक विवादास्पद प्रश्न की ओर नहीं गया है। विधेयक में उठाया गया मूल प्रश्न यह है कि क्या मूल अधिनियम के अन्तर्गत पहले से उपबंध किये गये दण्ड को बढ़ाया जाना चाहिये ताकि स्थिति का सामना किया जा सके। क्या अस्पृश्यता एक अभिशाप है अथवा नहीं और क्या इसका उन्मूलन किया जाना चाहिये या नहीं। हम सविधान में यह बात स्वीकार कर चुके हैं कि किसी भी प्रकार की अस्पृश्यता को सहन नहीं किया जायेगा। और इसी सन्दर्भ में संसद द्वारा 1955 में अस्पृश्यता निवारक अधिनियम भी बनाया गया था।

अब हमारे समक्ष वास्तविक विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या दण्ड अथवा जुर्माना अथवा 6 महीने की कैद की सजा अस्पृश्यता निवारण के लिए पर्याप्त है ? इस तथ्य का पता लगाने के लिए हमें न्यायालयों में भेजे गये या ले जाये गये मामलों की जांच करनी होगी। उसी से यह बात स्पष्ट होगी कि वर्तमान उपबन्धों में क्या-क्या संशोधन अथवा परिवर्तन अपेक्षित है ?

सरकार द्वारा वर्तमान विधेयक प्रस्तुत करने का कोई कारण नहीं बताया गया है। पहले अपराध के लिए कम से कम एक महीने की सज़ा होनी चाहिये और उसके पश्चात् दूसरे अपराध के लिए नई सज़ा होनी चाहिये तथा तीसरे अपराध के लिए अलग सज़ा होनी चाहिए। इसका अर्थ तो यह हुआ कि न्यायाधीशों के स्वविवेक पर हाथ डाला जा रहा है। एक बार यदि न्यायाधीश द्वारा यह निर्णय लिये जाने के बाद कि किसी व्यक्ति ने क्या अपराध किया है, किन परिस्थितियों में किया है, उसके दण्ड देने की मात्रा का अधिकार भी न्यायाधीश के स्वविवेक पर ही छोड़ा जाना चाहिये। अतः जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है वह आवश्यक नहीं है।

Shri Shiv Shankar Prasad Yadav (Khagaria) : In our ancient society, the caste system was not based on birth but on the deeds of individual. A man could attain higher caste if his deeds were of a high order. Later this system was degenerated into a rigid caste system and many evils has come to be associated with it.

Harijans are sufferers of the atrocities perpetuated by high caste Hindus. Although Untouchability Offence Bill was passed in 1955, but it did not improve their lot. Providing stringent penality, as has been done in the Bill, will not serve the purpose. I think an atmosphere should be created in the society, where the scheduled castes do not suffer from the feeling of inferiority complex.

श्री बी० एस० मूर्ति (अमालापुरम) : मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि यह विधेयक क्यों लाया गया है। क्या इसका आशय यह है कि देश में अस्पृश्यता समाप्त हो गई है ? यह सच नहीं है। हमें अपने को, देश की जनता को तथा विश्व को गुमराह नहीं करना चाहिए। अस्पृश्यता में वृद्धि हो रही है, यहां प्रत्येक सदस्य ने इस बात पर बल दिया है। अभी-अभी श्री वाजपेयी ने बताया है कि दिल्ली के एक केन्द्रीय कार्यालय में अनुसूचित जाति के लोगों को उसी बर्तन से जल नहीं लेने दिया जाता। दिल्ली आने वाले अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों को मकान नहीं दिये जाते। अनुसूचित जातियों के कितने लोगों की हत्या की गई है यह बताने की आवश्यकता नहीं। आन्ध्र में एक नवयुवक को जिन्दा जला दिया गया। यह एक गम्भीर मामला है। स्वतंत्रता प्राप्ति के 25 वर्ष पश्चात् भी ऐसी घटनायें हो रही हैं। ऐसी घटनायें किसी भी दल की सरकार के अन्तर्गत होनी बुरी हैं। उड़ीसा में अनुसूचित जातियों की लड़कियों के बेचे जाने को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

क्या यह जानने का भी कष्ट किया गया है कि अब तक जो कानून उपलब्ध हैं उनसे अनुसूचित जातियों को कितना लाभ हुआ है ? ऐसा प्रयास किसी ने भी नहीं किया है। हमने कई बार अनुरोध किया है कि इस समूचे मामले की जांच करने के लिए एक उच्चस्तरीय आयोग नियुक्त किया जाए कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की दशा में सुधार करने के लिए केन्द्र में कौन-सा विधान उपलब्ध है और राज्यों में कौन-सा विधान लागू है और वह आयोग यह पता लगा सके कि कौन से सुधार किये जाने की आवश्यकता है।

कहा गया है कि इलायापेरुमल समिति द्वारा की गई कुछ सिफारिशों के आधार पर यह विधेयक पेश किया गया है, परन्तु इलायापेरुमल समिति के बहुत से महत्त्वपूर्ण सुझावों को भुला दिया गया है। हमने 6 मास कारावास का दंड देने की सिफारिश की थी, किन्तु विधेयक में 1 मास कारावास के दंड की व्यवस्था की गई है। समिति ने 500 रुपये जुर्माने की सिफारिश की थी किन्तु विधेयक में केवल 50 रुपये जुर्माने की व्यवस्था की गई है। यह राशि बहुत कम है। नियम भंग करने वाले व्यक्ति प्रत्येक बार 50 रुपये सुगमतापूर्वक दे सकते हैं।

इस विधान से अस्पृश्यता का प्रश्न हल नहीं होगा। प्रधानमंत्री ने बहुत सी समस्याओं का समाधान किया है, उन्हें इस समस्या पर भी ध्यान देना चाहिये। अस्पृश्यता की समस्या निवारण होने से भारत का सदैव के लिये भला होगा। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे ऐसा विधेयक लायें जिससे दुखी तथा धर्मान्धता के शिकार लोगों का भला हो।

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : दुकानों तथा सार्वजनिक विश्राम-गृहों से अस्पृश्यता दूर करने के सम्बन्ध में यह अधिनियम कुछ सीमा तक सफल है तथा कुछ सीमा तक असफल। बर्तनों के प्रयोग के विषय में यह बिलकुल असफल है। व्यवसाय तथा व्यापार के विषय में भी यह असफल है। नदियों, नालों, कुओं, तालाबों आदि के प्रयोग के बारे में भी यह प्रमुख रूप से असफल रहा है। सार्वजनिक सवारियों के प्रयोग के विषय में यह असफल नहीं है। धार्मिक संस्थानों में इन जातियों के लोगों को जाने देने की दिशा में कुछ नहीं किया जा रहा है। जैसे कि यह कोई बहुत बड़ी बात है। मेरे विचार से किसी मन्दिर, मस्जिद अथवा गिरजाघर में जाना बहुत महत्त्वपूर्ण नहीं है। यदि समाज के दुर्बल वर्ग के अन्दर से धार्मिक अन्धविश्वास कम कर दिये जायें तो समाज के इस वर्ग का कल्याण हो सकेगा।

महात्मा गांधी के प्रयासों के फलस्वरूप भी हम पर्याप्त मात्रा में अस्पृश्यता का उन्मूलन नहीं कर सके तथा हरिजनों के साथ होने वाले दुर्व्यवहारों को नहीं रोक सके। यदि हम चाहते हैं कि माओ के विचार देश में न फैलें तो हमें समाज की वर्तमान प्रणाली को बदलने के लिए पर्याप्त कार्य-वाही करनी चाहिए। यदि हम समाज की चिन्ता नहीं करेंगे तो माओ की विचारधारा देश में फैलेगी। अभी हमारे पास इस विचारधारा को रोके रखने के लिए समय है। यदि हमें हरिजनों की समस्या का समाधान करना है तो उनका सामाजिक उत्थान करना होगा।

सामाजिक उत्थान आर्थिक उत्थान पर निर्भर है। आर्थिक उत्थान तभी संभव है जबकि समाज के सुसंगठित वर्ग की आय में आगामी 5 अथवा 10 वर्षों के लिए कमी की जाये। अतः हमें अपने समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए मूलभूत विचारधारा को एक सीमा तक लाना होगा और इसका अभिप्राय यह होगा कि यह कुछ न कुछ गहन होगी और इस विधेयक में दी गई विचारधारा से अधिक क्रान्तिकारी होगी।

Shri T. Sohanlal (Karol Bagh) : As regards appointments, the appointing authorities are not impartial with scheduled castes & tribes candidates. Such candidates are declared unsuitable due to discrimination of caste and creed. I can cite a number of instances where candidates could not get jobs because they belonged to scheduled castes. When these candidates do not mention their castes in their application forms, they are appointed. This shows how Government Officers deliberately discriminate against scheduled castes candidates. Inspite of the fact that there is reservation for them in services, they are not appointed. The Government should take strong action against officers who practise such discrimination against scheduled castes and scheduled tribes.

There was an incident in Rajasthan where a number of houses were burnt but the culprits have not been proved guilty. Similarly many a police station do not even register reports of offences falling under untouchability Act. In Government offices also, discrimination is being practised against the employees of scheduled castes and scheduled tribes. I would like to request that persons found to be indulging in such offences should be severely punished.

श्री आर० डी० भंडारे (बम्बई मध्य) : स्पष्टीकरण 2 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य ऐसे व्यक्ति की ओट लेता हो जो कि ऐतिहासिक अथवा धार्मिक आधार पर अस्पृश्यता आचरण

कर रहा हो तो वह भी अस्पृश्यता आचरण का अपराधी माना जायेगा। यह एक नया विचार है और मैं इसका स्वागत करता हूं। ऐसी बात भारत के किसी अधिनियम में पहली बार आई है। मुझे आशा है कि न्यायालय, राजनैतिक दल तथा नेता आदि प्रचार करने के लिए स्पष्टीकरण के अर्थ और महत्व को समझकर भारतीय जनता की भावनाओं और मस्तिष्क को परिवर्तित करने का प्रयास करेंगे। इस स्पष्टीकरण के आधार पर हम अपनी शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन ला सकते हैं जिससे भारतीय समाज का पुनर्निर्माण हो सके। मुझे आशा है कि सामाजिक परिवर्तन के इस पहलू पर बल दिया जायेगा तथा इसे प्रत्येक दल के कार्यक्रम में सम्मिलित किया जायेगा। हमें यह देखना है कि जिन जातियों के लाभार्थ यह स्पष्टीकरण दिया गया है उनको अपना हक मिलता है अथवा नहीं। पता नहीं इसकी व्याख्या किस प्रकार की जायेगी। व्याख्या के सम्बन्ध में यदि कोई संशय रहता है तो उसका समाधान होना चाहिये। शब्द चयन में शताब्दियों से आडम्बर किया जाता रहा है। इसीलिए दूसरी व्याख्या का प्रश्न उठता है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका समय पूरा हो चुका है। कृपया आप बैठ जाइये। श्री रामगोपाल रेड्डी।

Shri Ram Gopal Reddy (Nizamabad) : Poverty is the root cause of untouchability and miserable conditions of Harijans. Unless this evil is eradicated, legislation would prove useless in removing untouchability. Therefore, we should make efforts to improve the economic conditions of the people of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Besides this, certain political ideologies are encouraging untouchability. Brahmins are untouchables under D.M.K. Government in Tamil Nadu. They are not getting employment in Tamil Nadu. If the Government is sincere in implementing the programme of economic upliftment of backward classes and scheduled castes, there will be no untouchability.

The Bill provides for punishment to those who are found guilty for observing untouchability. The provision of punishment should be extended to the community as a whole which practices and encourages untouchability.

The police should be instructed to protect the interests of scheduled castes against unscrupulous elements. The Government should see that more concessions and facilities are givan to Harijans so that they may come up to the level of fortunate sections of society.

The Government machinery should be instructed to see that the laws are fully observed because much depends on the agency of implementation which should be watchful and efficient. The House should be given an opportunity to discuss the report of Scheduled Castes and Scheduled Tribes Commissioner every year so that the conditions of these people might be assessed.

Shri Sadhu Ram (Phillaur) : Untouchability cannot be eradicated unless the minds and the attitudes of the people are changed. Laws to eradicate this malady should be rigorous so as to deter people from practising untouchability. The All India Radio and other propaganda media should be utilized for the purpose.

This is a man-made evil; God has nothing to do with it. There are certain religious books which inculcate the feeling of separatism and discrimination against certain sections of our people. Such books should be banned.

The Government officials practising such discrimination should be dismissed from service.

Shri Shashi Bhushan (Delhi-South) : The evil of untouchability can be removed by establishing socialism in the country. The caste system was built up in the feudal times and it can be removed only by a revolution in the society. Mao is an enemy of revolution. We should give due place to great men like Valmiki, Vyas and Kabir in our cultural heritage. They were not **Savarnas**, yet their works and the characters created by them are worshipped.

We should try to bring revolutionary changes in our educational system so that it proves helpful in eradicating the evil of untouchability. We will have to take radical measures to get rid of this malady. People belonging to progressive institutions should face the evil boldly. We should take early steps to implement this law so that the fear of atrocities on downtrodden people at the time of urban and rural property ceiling may be removed.

श्री सी० एम० स्टीफन (मुवतुपुजा): इस विधेयक का समर्थन करते हुए भी मेरे मस्तिष्क में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं जिन्हें मैं सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। इस विधेयक में दो नई बातें हैं। पहली नई बात है कारावास का दंड अनिवार्य किया जाना और दूसरी खंड 7 के उपखंड 2 का स्पष्टीकरण। इस विधेयक में एक और खंड जोड़ा जाना चाहिए था क्योंकि उच्च व्यक्तियों द्वारा स्पष्टीकरण 2 में उल्लिखित आधारों पर अस्पृश्यता का औचित्य सिद्ध करने का प्रचार किया जा रहा है जो किसी अपराध विशेष के अन्तर्गत नहीं आता। कोई अपराध तो किया नहीं जाता है परन्तु ऐतिहासिक, धार्मिक तथा अन्य आधारों पर अस्पृश्यता का औचित्य सिद्ध करने का प्रचार चल रहा है। ऐसे प्रचार को भी अपराध में सम्मिलित करने पर विचार करना चाहिये।

श्री शंकराचार्य अथवा कुछ अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों के नाम से चलाये जाने वाले अभियानों को दृष्टिगत रखने से ऐसा लगता है कि वर्तमान कानून में कुछ संशोधन करना अपेक्षित है। वर्तमान विधेयक की इस कमी को दूर किया जाना चाहिए।

दण्ड को बढ़ाने के संदर्भ में भी एक दो प्रश्न हमारे मस्तिष्क में उठते हैं। इस सम्बन्ध में प्रथम प्रश्न तो यह है कि यह दण्ड बढ़ाने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी ? वर्ष 1968 के दौरान अस्पृश्यता सम्बन्धी अपराधों के जो 203 मामले दर्ज किये गए उनसे सम्बद्ध प्रतिवेदन को देखने से यह पता चलता है कि ऐसे आरोपों सम्बन्धी सभी मामलों को गंभीरता से नहीं लिया गया, उनके बारे में कठोर दण्ड नहीं दिये गये हैं। अतः इस सामाजिक बुराई की चुनौती का सामना करने के लिए समाज अथवा प्रशासनिक तंत्र में सुधार नहीं किया गया है। यह शर्म की बात है कि हमारे स्वतन्त्रता प्राप्ति के 25 वर्ष बाद भी समाज अथवा प्रशासनिक तन्त्र में कोई सुधार नहीं हुआ है। इसका अभिप्राय तो यह है कि इतने महत्त्वपूर्ण विषय के बारे में भी हमने कोई विशेष प्रगति नहीं की है। प्रतिवेदन के आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि अपराधों के सिद्ध हो जाने के बाद भी न्यायालय दंड नहीं देते

रहे हैं। इस बुराई को दूर करने के लिए समाज के आंतरिक आधारभूत ढांचे पर किसी प्रकार से पुनर्विचार नहीं किया गया है। इसके लिए आधारभूत ढांचे में वास्तविक परिवर्तन लाना आवश्यक है।

महात्मा गांधी के जीवन काल में हरिजन कल्याण के लिए जितना कार्य किया गया था, उतना कार्य स्वतंत्रता प्राप्ति के इन 25 वर्षों में भी नहीं किया गया है। उस समय तो उन्हें इस कार्य के लिए न तो धर्म का समर्थन प्राप्त था और न ही समाज का और न ही सरकार का और न कानून का। परन्तु आज के इस विधान से तो ऐसा लगता है कि समाज में अस्पृश्यता निवारण की वह क्रांतिकारी भावना ही समाप्त हो गई है। इस समस्या का वास्तविक अन्त तभी संभव है जब अनुसूचित जातियां स्वयं इसके विरुद्ध आवाज उठाएं, जब तक वह स्वयं ऐसा नहीं करतीं तब तक कोई भी विधान पूर्णतया सार्थक और कारगर नहीं हो सकता।

मेरे विचार से वर्तमान विधेयक का स्वागत किया जाना चाहिए क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर अस्पृश्यता जैसी बुराई से लड़ने के लिए यह राष्ट्र की पुनर्स्वीकारोक्ति है। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्रीमती टी० लक्ष्मीकान्तम्मा (खम्मम) : हमारे देश में प्राचीन काल से ही समाज में हरिजन और नारी को घृणा की दृष्टि से देखा जाता रहा है। हमारा इतिहास इस प्रकार की अनेक घटनाओं से भरा हुआ है जहां कि हरिजनों तथा अनुसूचित जातियों के लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार होता रहा है। हरिजनों को ब्राह्मणों के गलीकूचों में चप्पलें पहनकर या छाता ओढ़कर जाने की अनुमति नहीं होती थी। पति की मृत्यु के बाद पत्नी को अपना सिर मुंडवाना पड़ता था। अभी हाल ही में एक हरिजन लड़के को जला दिया गया था। अतः इस प्रकार की अनेक घटनाएं पहले भी होती रही हैं और अब भी हो रही हैं। यह अच्छी बात है कि हमारी सरकार वर्तमान विधेयक द्वारा इस सम्बन्ध में कुछ कठोर कदम उठाना चाहती है।

इसी सम्बन्ध में मेरा यह सुझाव है कि अनुसूचित जाति के लोगों और अन्य जातियों के लोगों में वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित करने के कार्य को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। सरकारी सेवा के मामले में, सरकार को उन लोगों को प्राथमिकता देनी चाहिए जो किसी हरिजन लड़के या लड़की से विवाह करें।

हमारे देश में एक शांतिपूर्ण परिवर्तन आ रहा है। आज पहले की अपेक्षा स्थिति में काफी सुधार आ गया है। अब हमारे देश के अधिकांश लोग जातिवाद का विरोध कर रहे हैं।

Shri Ambesh (Firozabad) : It is very unfortunate that even after 25 years of independence, there is need for this amending Bill. As a matter of fact, the punishment for the offence of untouchability has not been condign. I strongly feel that deterrent punishment should have been inflicted to eradicate this evil. There are certain religious books which support the caste system. A provision should be made in this Bill with regard to such books. Besides, the Government should give help for the publication of these books which encourage social reforms.

Had the Government enlisted more people belonging to scheduled castes and scheduled tribes in defence and police services, the situation would have been different today. Or else had these people been recruited to high offices, the administration, that too would have helped a lot in the eradication of untouchability. The only thing which has been done during last 25 years is that the name of this untouchable class has been changed several times. I strongly feel that if we fail to eradicate untouchability, this Bill lead to an explosive situation in the country.

Shri Vasantrao Purshotam Sathe (Akola) : I welcome this amending Bill because it is another step for the eradication of untouchability. I think, caste system is the root cause of this evil. Unless we get rid of this system, we will not be able to tackle this problem.

[श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए
Shri K. N. Tiwary in the chair.]

All discrimination on the basis of caste is an offence against humanity. All of us are human beings and humanity is our only caste. Anybody whosoever mentions his caste in any walk of life should be brought to book. With these words I welcome the Bill.

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : मैं माननीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने विधेयक का समर्थन किया ।

Shri Shambhu Nath (Saidpur) : I have got a point of order. It is an important legislation which is likely to directly effect 20 per cent of our population. I suggest that Bill be referred to Joint Select Committee for consideration and report.

Mr. Chairman : There is no point of order in it.

प्रो० एस० नुरुल हसन : इस विधेयक विशेष का क्षेत्राधिकार सीमित है और यह एक ऐसा विधान भी नहीं है जिससे स्वयं ही अस्पृश्यता का उन्मूलन हो सके । इस बुराई के उन्मूलन के लिए हमें अपने सामाजिक ढांचे में आमूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है । इसके साथ-साथ यह भी अनिवार्य है कि अस्पृश्यता की इस बुराई के विरुद्ध लोगों में जागृति पैदा करने के लिए सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता डटकर कार्य करें ।

आज तक अस्पृश्यता का निवारण करने के लिए कई कदम उठाये जा चुके हैं और कई अन्य अभी उठाये जा रहे हैं । उन सब के ब्यौरे के बारे में कुछ न कहते हुए मैं शिक्षा के बारे में एक-आध बात कहना चाहता हूं । मैं समझता हूं कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि हमारी शिक्षा प्रणाली किसी भी प्रकार अस्पृश्यता के सिद्धांत को योगदान न दे । उसमें अस्पृश्यता के निवारण के लिए शिक्षा के माध्यम से प्रभावी कदम उठाये जाने चाहिएं ।

Shrimati Sahodrabai Rai (Sagar) : I have not been given an opportunity to participate in the debate. Therefore I am walking out.

श्रीमती सहोदराबाई राय उठकर सदन से बाहर चली गईं ।
(Shrimati Sahodra Bai Rai then left the House)

प्रो० एस० नुरुल हसन : हरिजनों के विरुद्ध जो भी घटनाएं घटती रहती हैं उन सब की मुझे पूर्ण जानकारी है । मुझे इस तथ्य की जानकारी है कि विभिन्न राज्यों में भूमि सम्बन्धी विधान अधिनियमित किये जा रहे हैं जिनके फलस्वरूप हरिजनों के विरुद्ध विभिन्न स्थानों पर हिंसात्मक घटनायें घटी हैं । मेरे विचार से यह सुनिश्चित करना कि हरिजनों की हर प्रकार से सुरक्षा हो, सभी राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों का सांझा कर्त्तव्य है यद्यपि इसके बारे में सरकार का दायित्व कुछ अधिक है । इसी तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए, सरकार ने अब इस विधेयक को बिना किसी अन्य विलम्ब के प्रस्तुत करना अनिवार्य समझा है । यदि इस विधेयक को प्रस्तुत करने में कुछ और विलम्ब हो जाता तो स्थिति और भी जटिल हो जाती ।

लगभग सभी सदस्यों ने कार्यान्वयन व्यवस्था को सुचारु ढंग से लागू करने का उल्लेख किया है । यह ठीक है कि कार्यान्वयन की हमारी वर्तमान व्यवस्था पूर्णतया संतोषजनक नहीं है । मैंने फरवरी में राज्यों की सरकारों को एक पत्र लिखकर इस बात पर विशेष बल दिया था कि यदि छूआ-छूत के आधार पर हरिजनों या आदिवासियों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव किया जाता है तो जिलाधीशों और पुलिस अधीक्षकों को व्यक्तिगत रूप से इसके लिए उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिये । अस्पृश्यता के मामलों में तुरन्त कार्यवाही की जानी चाहिये । इसके साथ ही उस पत्र में यह सुझाव भी दिया गया था कि जिला पंचायतों के अध्यक्षों से भी हरिजनों के विरुद्ध किये जाने वाले भेदभाव के विरुद्ध कड़े कदम उठाने का अनुरोध किया जाना चाहिये ।

हमने राज्य के मुख्य सचिवों से अनुरोध किया है कि उनका ध्यान इस विशेष विधेयक की ओर दिलाया जाना चाहिये । राज्य सरकारों को इस सन्दर्भ में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की व्यवस्था करने का अनुरोध भी किया गया है ।

माननीय सदस्यों ने स्पष्टीकरण संख्या 2 का उल्लेख काफी संतोषजनक ढंग से किया है । यह ठीक है जो भी व्यक्ति किसी ऐतिहासिक, धार्मिक या दार्शनिक आधार पर अस्पृश्यता को उचित मानने का प्रचार करता है, तो समझना चाहिये कि वह अस्पृश्यता का प्रचार कर रहा है । एक अध्यापक होने के नाते मेरा यह विचार है कि पुस्तकों पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाना चाहिये । कुछ विशेष ऐतिहासिक परिस्थितियों में लिखी गई पुस्तकों की अपनी महत्ता होती है । अत: यदि ऐतिहासिक आधार पर लिखी गई पुस्तकों की यदि हर आने वाली पीढ़ी द्वारा समालोचना की जाने लगे, तो किसी भी युग के विकास को सही ढंग से समझना संगत नहीं होगा । परन्तु इसके साथ-साथ हम सदन में व्यक्त की गई भावनाओं की अवहेलना भी नहीं कर सकते । स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली पाठ्यपुस्तकों के बारे में हमें विशेष रूप से सतर्क रहना होगा । शिक्षा प्रणाली में हमें यह सुनिश्चित करना होगा, जिन मान्यताओं का हम नई पीढ़ी में प्रसार करना चाहते हैं वह ऐसी हों जिनमें कि छूआछूत का नाम तक न हो ।

चर्चा में पुलिस के पास पंजीकृत किए गए अस्पृश्यता अपराध सम्बन्धी मामलों का उल्लेख भी किया गया है । यद्यपि इस प्रकार के मामलों के पूर्ण आंकड़े मेरे पास उपलब्ध नहीं परन्तु जो

आंकड़े मेरे पास उपलब्ध हैं उनके आधार पर इस प्रकार के मामलों में पहले से कमी हो गई है, यह निश्चय ही प्रसन्नता की बात है। वर्ष 1969 में पुलिस में 251 मामले दर्ज हुए, इनमें से 207 के चालान हुए; 28 मामलों में दोषसिद्धि की गई; 13 को रिहा किया गया; 46 मामलों में राजीनामा हुआ और 120 मामले विचाराधीन पड़े हैं। 1970 में इन मामलों की संख्या क्रमशः 203, 168, 15, 14, 83, 56 थी।

इलायापेरुमल समिति ने 70 मामलों का अध्ययन किया जिनमें से 23 मामलों में दोषसिद्धि की गई। इन 23 मामलों में 17 पर केवल जुर्माना किया गया, जिनमें से 12 मामलों में जुर्माना 25 रुपये तक था और 5 मामलों में जुर्माना 25 रुपये और 100 रुपये के बीच में था, और दो मामलों में सजा दी गई जिनमें से एक केवल 1 सप्ताह के लिए थी जबकि दूसरे मामले में अदालत के उठने तक सजा दी गई। अतएव इलायापेरुमल की सिफारिशों को देखते हुए इस विधेयक को लाना आवश्यक हो गया। सरकार का विचार न्यूनतम दण्ड को कम करने का नहीं है, अतएव इलायापेरुमल समिति द्वारा तीन महीने की सजा और 50 रुपया जुर्माना की सिफारिश इस विधेयक में शामिल किया जाना चाहिए। इस संबंध में संशोधन प्रस्तुत किया जायेगा, ऐसे कई अन्य सुझाव भी दिये गये हैं जिन्हें स्वीकार करने से सरकार को लाभ होगा।

हरिजनों को निःशुल्क कानूनी सहायता देने का प्रश्न भी उठाया गया है। यह एक प्रज्ञेय अपराध है और पुलिस को ही यह मामला उठाना पड़ता है। श्री वाजपेयी ने केन्द्रीय सचिवालय में एक अलग सुराही रखने के बारे में प्रश्न उठाया है। यह एक गंभीर मामला है। शिक्षा संस्थाओं द्वारा अस्पृश्यता के विरुद्ध लड़ाई की जानी चाहिये। मैं सभा में विधेयक को प्रस्तुत करता हूं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 का संशोधन करने और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : मेरा एक निवेदन है। इस सभा में यह तीव्र भावना है कि विधेयक पर अग्रेतर विचार किया जाये। इसको प्रवर समिति को भेजे जाने का भी सुझाव दिया गया है। मेरा यह कहना है कि विधेयक को कल तक के लिए स्थगित किया जाये।

सभापति महोदय : विधेयक 13 अप्रैल, 1972 को परिचालित किया गया था अतएव सदस्यों के पास संशोधन भेजने के लिए पर्याप्त समय था। यदि संसदीय कार्य मंत्री चाहते हैं तो वे प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं।

श्री राजबहादुर : "विधेयक पर चर्चा स्थगित की जाये।"

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : If the Hon. Minister concedes that the Bill should be referred to Joint Committee that can of course be agreed to. Otherwise there is no point in postponing the debate on this Bill.

सभापति महोदय : नियम 109 के अनुसार अध्यक्ष की सहमति से विधेयक को चर्चा के दौरान स्थगित करने के लिए प्रस्ताव लाया जा सकता है ।

Shri Atal Bihari Vajpayee: What is the motive behind bringing this motion here ?

श्री राजबहादुर : यह विधेयक वस्तुतः यहां उपस्थित अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिमजाति सदस्यों की मानसिक सन्तुष्टता से सम्बन्धित है । हम यह नहीं चाहते हैं कि उनमें यह भावना आये कि इस विधेयक पर चर्चा करने का अवसर दिए बिना इसको प्रस्तुत करने में जल्दबाजी की जा रही है, यह सही है कि यह विधेयक 13 अप्रैल, 1972 को प्रस्तुत किया गया था ।

सभापति महोदय : "विधेयक पर चर्चा स्थगित की जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted.

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मुझे प्रसन्नता है कि इस पर चर्चा स्थगित हो गई है । मैंने प्रस्ताव भेजा था कि इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपा जाए । मेरा अनुरोध है कि संशोधन प्रस्तुत करने के लिए साढ़े पांच अथवा छह बजे तक का समय दिया जाए ।

सभापति महोदय : आप पांच बजे तक संशोधन दे सकते हैं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । नियम 74 में साफ लिखा है कि विधेयक के पुरःस्थापित करने के समय यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है कि इसे संयुक्त समिति को सौंपा जाए, क्या किसी ने नियम 74 के अन्तर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत किया है ।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैंने प्रस्तुत किया है ।

श्री राजबहादुर : ऐसी व्यवस्था है कि प्रभारी सदस्य विधेयक पुरःस्थापित करते समय यह प्रस्ताव भी प्रस्तुत कर सकता है कि इसे प्रवर समिति को सौंपा जाए । मैं इसे अभी प्रस्तुत कर सकता हूं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इस सम्बन्ध में अधिकार सुस्पष्ट है । नियम 89 के अनुसार अध्यक्ष महोदय खंड पर चर्चा स्थगित कर सकते हैं, विधेयक पर नहीं । जहां तक नियम 74 का सम्बन्ध है···

Shri Ramavatar Shastri (Patna): I want to know when this Bill will be sent to the Select Committee in this session or the next session.

Mr. Chairman : It will be sent tomorrow.

पश्चिम बंगाल में सूखे की स्थिति के बारे में चर्चा
DISCUSSION RE. DROUGHT CONDITIONS IN WEST BENGAL

सभापति महोदय : अब हम पश्चिम बंगाल में सूखे की स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे ।

श्री समर गुह (कन्टाई) : आज जब हम पश्चिम बंगाल में सूखे की स्थिति के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो मेरी आंखों के सामने वहां का चित्र खिंच आता है, ऐसा चित्र जिसमें लाखों लोग पानी के लिए तरस रहे हैं । पश्चिम बंगाल के अधिकांश जिलों में स्थिति गंभीरतम बनती जा रही है । प्रधानमंत्री ने अपने वहां के दौरे में इस बात को स्वीकार भी किया है ।

पश्चिम बंगाल में इस प्रकार की सूखे की स्थिति पहले कभी नहीं देखी गई थी । मुझे आश्चर्य है कि दिल्ली के समाचार पत्रों ने इस ओर आंखें क्यों मूंद ली हैं । श्री पी० सी० सेन और कांग्रेस के कुछ नेताओं ने सूखाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करते समय सरकार से इस दिशा में तत्काल कार्यवाही करने की मांग की थी तो भी पश्चिम बंगाल की सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया ।

हमने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को कई पत्र लिखे तथा वक्तव्य जारी किए परन्तु फिर भी उनसे कोई उत्तर नहीं प्राप्त हुआ । जब प्रधानमंत्री ने सूखाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया तो पश्चिम बंगाल की सरकार ने यकायक ही इस ओर ध्यान देना आरम्भ किया । राइटर बिल्डिंग में खलबली मची और मंत्रियों ने विभिन्न जिलों का दौरा किया । वहां के मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाने के उपरांत प्रेस को यह घोषणा की थी कि पश्चिम बगाल में सूखा की स्थिति समाप्त करने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किए जाएगे ।

जैसा कि मैंने कहा वहां स्थिति इतनी खराब हो गई है कि न केवल पानी ही उपलब्ध नहीं हो रहा है, अपितु लगभग सभी जलाशय, नलकूप आदि सूख गए हैं । सरकार ने इसके परिणामस्वरूप हुई हानि का अनुमान लगभग 36 करोड़ रुपये लगाया है । ऐसा सरकारी अनुमान लगाया गया है कि 44 करोड़ रुपये की जूट नष्ट हुई है ।

आज जब हम भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के बारे में कह रहे हैं, वहां विभिन्न जिलों में किसानों द्वारा जल्दबाजी में भूमि बेचे जाने के समाचार आ रहे हैं । ऐसे भी समाचार हैं कि कई आदिमजाति क्षेत्रों में वहां के लोग धान की फसल तथा अन्य फसलों पर कब्जा जमाने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

[**श्री आर० डी० भंडारे पीठासीन हुए**
Shri R. D. Bhandare in the Chair]

ऐसा भुखमरी बढ़ने के कारण हो रहा है जिसके परिणामस्वरूप पश्चिम बंगाल में अकाल की स्थिति आ रही है ।

इसके अतिरिक्त पेय जल की कमी की समस्या सामने है । यदि इसको हल नहीं किया गया तो जठर आंत्र शोध रोग के फैलने का भय है । माल्दा, दिनाजपुर और मुर्शिदाबाद में आम की फसल नष्ट होने से वहां की अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ा है । माल्दा और मुर्शिदाबाद में रेशम के

कीड़े पालना, शहतूत के बागान लगाने का कार्य इस बार बहुत प्रभावित हुआ है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् से पश्चिम बंगाल में संकट आते रहे हैं।

मैं केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार, दोनों से ही यह पूछना चाहता हूं कि क्या वे इस समस्या को सुलझाने में वस्तुतः गम्भीर हैं; यदि हां, तो पश्चिम बंगाल को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए। इस क्षेत्र को सूखाग्रस्त घोषित करने से केन्द्र और राज्य पर यह दायित्व आ जाता है कि वे इसके लिए धन की व्यवस्था करें। दूसरा, इसे सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने से यहां की गम्भीरतम स्थिति की ओर राष्ट्रीय तथा कुछ सीमा तक अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यवाही की जाएगी। तीसरा, न केवल केन्द्रीय अपितु राज्यीय स्तर पर समूची समस्या को हल करने की आवश्यकता अनुभव की जाएगी। यदि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री वस्तुतः इसे गम्भीरता से लेना चाहते हैं तो इसे सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए।

पश्चिम बंगाल में प्राकृतिक विपत्ति के कारण सत्तारूढ़ दल को दलीय हितों से ऊपर उठकर कार्य करना चाहिए। उसे सभी राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों, तथा अन्य संगठनों के सहयोग की अपेक्षा करनी चाहिए। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि पश्चिम बंगाल की सरकार पहल करने में रुचि नहीं दिखा रही है।

मंत्रियों और विधायकों का इन दिनों महत्व बढ़ाया जा रहा है। ऐसा अनुदेश जारी किया गया है कि स्थानीय विधायक के अनुमोदन के बिना किसी भी स्तर पर कोई कार्य नहीं किया जायेगा। इस संकट और आपदा की स्थिति में वे कांग्रेस की भव्य तस्वीर बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। मंत्रियों ने अपने निर्वाचन क्षेत्रों का दौरा करके यह निर्णय किया है कि वे 335 खंडों में 35 नलकूप लगायेंगे। इसका अर्थ यह है कि उन्होंने ये आंकड़े स्वयं हिसाब लगाकर लगाये हैं और प्रभावित क्षेत्रों को प्राथमिकता देने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। प्रत्येक मंत्री और विधायक लाभ प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्द्धा कर रहे हैं।

यदि सरकार इस समस्या के प्रति गम्भीर है तो प्रत्येक खंड के लिए 35 नलकूप लगाने के औसत को महत्व नहीं दिया जाना चाहिए; अधिक प्रभावित क्षेत्रों को अधिक नलकूप और कम प्रभावित क्षेत्रों को कम नलकूप दिए जाने चाहिएं, परन्तु ऐसा नहीं किया गया है। बिना कुछ ठोस कार्य किए अधिक प्रचार नहीं किया जाना चाहिए।

नादिया जिले का दौरा करके आने वाले मंत्री महोदय का कहना है कि नादिया जिले में 2,000 नलकूप लगाये जाएंगे। इसका तात्पर्य यह है कि 15 जिलों में औसतन 30,000 नलकूप लगाये जाएंगे। यहां खाद्य मंत्री ने राज्य सभा में यह घोषणा की थी कि पश्चिम बंगाल में 4,000 नलकूप लगाए जाएंगे, श्री सिद्धार्थ शंकर ने अपने वक्तव्य में कहा कि उन्होंने तुरन्त 12,000 नलकूप लगाने के अनुदेश दिये हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि इस प्रकार के परस्पर विरोधी वक्तव्य क्यों दिए जा रहे हैं। हमें दलीय हितों से ऊपर उठकर स्थिति का सामना करना चाहिए।

पेय जल की समस्या का निराकरण अविलम्ब किया जाना चाहिए। नलकूलों की चोर-बाजारी रोकने के लिए सरकार को कार्यवाही करनी चाहिए। परीक्षण राहत कार्य समन्वित रूप से किया जाना चाहिए।

यदि अमन फसल को बचाने के लिए पहले से ही कार्यवाही नहीं की गई तो आगामी मौसम में पश्चिम बंगाल की ग्राम्य अर्थव्यवस्था छिन्न-भिन्न हो जायेगी, भू-राजस्व में छूट दी जानी चाहिए, बीज, उर्वरक तथा ऋण देने में पहले से ही कार्यवाही की जानी चाहिए। पटसन उत्पादकों को उचित मूल्य दिये जाने चाहिएं।

सूखाग्रस्त क्षेत्रों में बड़ी संख्या में रसोइयाँ खोली जानी चाहिये और उनका प्रबंध गैर-सरकारी संस्थाओं को सौंप दिया जाना चाहिए। इसी प्रकार उचित मूल्य की दुकानें खोली जानी चाहिएं। अंत में मेरा निवेदन है कि पश्चिम बंगाल को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए और समस्या को सगठित होकर हल करना चाहिए।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी (कलकत्ता-दक्षिण) : वस्तुतः हाल के सूखे से पश्चिम बंगाल की स्थिति दुखदायी बन गई है। वहाँ कांग्रेस के नेतृत्व में नई सरकार बनने से बिगड़ती हुई स्थिति को सुधारा गया है परन्तु आज हम सूखे का सामना कर रहे हैं।

पश्चिम बंगाल में सूखे की स्थिति किसी राजनीतिक दल की देन नहीं है। प्रधानमंत्री ने अपने कलकत्ता के दौरे के समय सूखे का सामना करने में लिए अपेक्षित सहायता देने का आश्वासन दिया था। वहां ऐसे संकट के समय दलीय राजनीति का प्रश्न नहीं उठता है। सरकार की सहायता के लिए कालेजों अथवा विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी भी आगे आ रहे हैं। हम आश्वस्त हैं कि इस संकट पर काबू पाने में सफलता प्राप्त होगी। हमें विश्वास है कि केन्द्रीय सरकार ऐसे समय सभी अपेक्षित-सहायता प्रदान करेगी।

यह कहना सही नहीं है कि इस संकट की घड़ी में राजनीतिक दलों से सलाह-मशविरा नहीं किया गया है। मुख्य मंत्री महोदय ने सभी दलों को आमंत्रित किया था। मैंने बांकुरा, पुरनिया और वीरभूम जिलों में किसानों की दयनीय स्थिति देखी है। वे शहरों से पानी ला रहे हैं। शहरी बच्चों ने भी पीड़ित क्षेत्रों में जल पहुंचाने का कार्य किया है।

राहत कार्य के समाप्त हो जाने के पश्चात् निर्धन किसानों को निःशुल्क उर्वरक तथा बीज सप्लाई किये जाने की आवश्यकता है। इसके लिए केन्द्रीय सहायता अपेक्षित है। सूखाग्रस्त क्षेत्रों में चिकित्सा संबंधी सहायता दिये जाने की आवश्यकता है। बंगला देश से आए शरणार्थियों को दिए गये तम्बू नलकूप आदि जैसे सामानों को सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लोगों को दे दिये जाने चाहिएं क्योंकि उन्हें अब इसकी आवश्यकता नहीं रही है।

दुर्भाग्यवश सूखे ने पश्चिम बंगाल की प्रगति की ओर बढ़ते कदमों को रोक दिया है। गांवों में पेय जल की योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है परन्तु लाल फीताशाही से इस कार्य में विलंब हो रहा है। हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि गत चार वर्षों में कतिपय अधिकारी एक विशेष प्रशासन के दबाव में थे।

मुझे आशा है कि जो सहायता उपाय किये गये हैं उनसे कठिनाइयां दूर होंगी। केन्द्रीय सरकार ने हमें सहायता का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री ने भी इस बारे में आश्वासन दिया गया है कि राज्य सरकार को जितनी सहायता की आवश्यकता होगी वह दी जायेगी। प्रधानमंत्री ने राज्य के

मुख्य मंत्री से भी इस बारे में बातचीत की है। आशा है कि सूखे की स्थिति का मुकाबला करने के लिए तुरन्त कार्यवाही की जायेगी।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : कलकत्ता के पत्रों में ऐसे समाचार प्रकाशित हुए हैं कि पश्चिम बंगाल में 36 करोड़ रुपये की 'आस' की फसल नष्ट हो गई है और 30 करोड़ पटसन की गांठें भी नष्ट हो गई हैं। इसके अतिरिक्त 15 करोड़ रुपये की 'बारो' की फसल भी नष्ट हुई है।

सूखे की स्थिति का लगभग डेढ़ करोड़ लोगों पर प्रभाव पड़ा है। सबसे अधिक प्रभाव बांकुरा, पुरुलिया, मिदनापुर तथा माल्दा के क्षेत्रों पर पड़ा है। गत वर्ष इन क्षेत्रों में भीषण बाढ़ आई थी।

केवल मिदनापुर में भूख से छः व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। एक पूरा मुस्लिम परिवार ही भूख से मर गया है। यह सच है कि यह सब वर्षा न होने के कारण हुआ है। गत 25 वर्षों से कांग्रेस दल सत्ता में है परन्तु उसने बहुत कम कार्य किया है। पश्चिम बंगाल में ग्रामीण निर्माण कार्य बहुत ही कम हुआ है। 1970-71 और 1971-72 में पश्चिम बंगाल को केवल 0.34 करोड़ रुपये सहायता दी गई है। परन्तु वास्तव में वहां पर केवल 0. 10 करोड़ रुपये ही व्यय किये गये हैं जबकि अन्य राज्यों में बहुत अधिक राशि व्यय की गई है। कृषि पुनर्वित निगम द्वारा पश्चिम बंगाल में केवल 6 योजनाएं ही बनाई गई हैं जबकि इस निगम ने आंध्र प्रदेश में 74 तथा मैसूर में 85 योजनाएं बनाई हैं।

इसी प्रकार लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत भी अन्य राज्यों की तुलना में पश्चिम बंगाल में बहुत कम अतिरिक्त भूमि में सिचाई की गई है। पश्चिम बंगाल में लघु सिंचाई से केवल 1053 हैक्टर अतिरिक्त भूमि को ही लाभ पहुंचा है।

राष्ट्रीय जल पूर्ति तथा सफाई योजनाओं सम्बन्धी प्रतिवेदन में बताया गया है कि भारत में मोटे तौर पर 60 प्रतिशत कस्बों में पीने के पानी की व्यवस्था है अर्थात् कुल जनसंख्या के 6.15 प्रतिशत लोगों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि एक दशाब्दी के बाद भी इस स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। एक अनुमान लगाया गया है कि 5-6 लाख गांवों में से लगभग 90656 गांवों में पीने के पानी की कमी है। 43,867 गांव हैजे के क्षेत्र में हैं तथा अन्य 24778 गांवों में स्वास्थ्य को अन्य अनेक समस्याएं हैं। अतः सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में और अधिक क्षेत्रीय असंतुलन उत्पन्न किया है।

यदि गत 25 वर्षों में गम्भीरता से कार्य किया जाता तो पश्चिम बंगाल में आज जो स्थिति है उसको रोका जा सकता था। सरकार को अब भू-राजस्व नहीं लेना चाहिए और सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लोगों को निःशुल्क राशन सप्लाई किया जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल को पिछड़ा राज्य घोषित कर उसे वे सभी लाभ दिये जाने चाहिएं जो एक पिछड़े राज्य को दिये जाते हैं।

श्री सुबोध हंसदा (मिदनापुर) : पश्चिम बंगाल सरकार ने सूखे की स्थिति पर ध्यान दिया है और उसने न केवल अपना सारा बजट ही खर्च कर दिया है बल्कि सूखे की स्थिति का मुकाबला करने के लिए उसने केन्द्रीय सरकार से भी 4 करोड़ रुपयों की सहायता मांगी है। यह सच है कि इस बार अभूतपूर्व सूखा पड़ा है और इसका प्रभाव बहुत अधिक क्षेत्र पर पड़ा है। सभी तालाब तथा कुएं सूख गये हैं। लोगों को पानी लेने के लिए दो अथवा तीन मील तक जाना पड़ता

है। सरकार ने इस स्थिति पर ध्यान दिया है और मेरा विचार है कि सरकार ने इन सभी क्षेत्रों में नलकूप लगाने का आदेश दिया है।

जनजाति क्षेत्रों में यह स्थिति और भी गम्भीर है क्योंकि 30 से 40 प्रतिशत गांवों में नलकूप आदि नहीं है। मैं आशा करता हूं कि सरकार इन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देगी और नलकूप लगाने के लिए कोई विशेष व्यवस्था करेगी।

सरकार ने पीने के पानी की सुविधा देने का भरसक प्रयत्न किया है परन्तु सीमित साधनों के कारण यह योजना पूरी नहीं हो सकी। अतः मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह राज्य सरकार को अपेक्षित सहायता दे ताकि राज्य सरकार अधिक कुएं तथा नलकूप खुदवा सके। पशुओं के लिए पीने का पानी उपलब्ध नहीं है क्योंकि सभी तालाब आदि सूख गये हैं। ऐसे समाचार हैं कि यदि वर्षा नहीं हुई तो स्थिति बहुत गम्भीर हो जाएगी।

इस वर्ष पहले से दुगुने क्षेत्र में धान की फसल की बुवाई की गई थी परन्तु वर्षा न होने के कारण समूची फसल सूख गई है। पटसन की फसल भी नष्ट हो गई है। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल को लगभग 80 करोड़ की हानि हुई है। गत वर्ष पश्चिम बंगाल में भीषण बाढ़ आई थी। इन दोनों कारणों से स्थिति बहुत गम्भीर हो गई है। सरकार को चाहिए कि वह राशन की और अधिक दुकानें खोले जिनसे लोगों को सस्ता अनाज मिल सके।

लोगों के पास रोजगार भी नहीं है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह लोगों के लिए रोजगार की भी व्यवस्था करे।

[**श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए**
Mr. K. N. Tiwary in the Chair]

यह अनुमान लगाया गया है कि पश्चिम बंगाल को इस स्थिति से बचाने के लिए वहां की सरकार को 40 करोड़ रुपये से अधिक की आवश्यकता होगी। मुझे आशा है कि सरकार पश्चिम बंगाल की सरकार के अनुरोध को स्वीकार करेगी और विकास कार्य के लिए उनको और अधिक धन देगी।

सभापति महोदय : माननीय मंत्री को उत्तर देने के लिए कितने समय की आवश्यकता होगी।

कृषि मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री अण्णा साहिब शिन्दे) : मुझे 70 मिनट की आवश्यकता है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : पश्चिम बंगाल के जिन क्षेत्रों में हरित क्रान्ति आई थी वे सभी क्षेत्र सूखे के कारण बंजर हो गये हैं। इससे सिद्ध होता है कि हम अभी वर्षा पर किस हद तक निर्भर करते हैं।

कलकत्ता से आठ और दस मील की दूरी पर भी जो गांव हैं वहां की महिलाओं को भी पीने का पानी लेने के लिए छः छः मील तक जाना पड़ता है। इससे ही पता लगता है कि इस क्षेत्र की इस मामले में कितनी उपेक्षा की गई है। कोई भी सरकार इस समस्या को हल नहीं कर सकी है।

छः जिलों में स्थिति बहुत ही खराब है। रेलवे इंजनों में भरने के लिए जमा किये गये पानी को भी लोग अपने घरों में इस्तेमाल के लिए ले जा रहे हैं। ऐसे समाचार अनेक पत्रों में प्रकाशित हो चुके हैं। अब यह कहा जा रहा है कि 17,000 नलकूप बन्द हो गये हैं। यह सभी नलकूप एक रात में तो खराब नहीं हो सकते। वास्तव में किसी ने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया है। ठेकेदारों ने इन नलकूपों के लगाये जाने में घटिया सामान प्रयोग किया है। यही कारण है कि अधिकांश नलकूप बन्द हो गये हैं। इनको अपेक्षित गहराई तक खोदा भी नहीं गया है। अतः वे पानी की सतह तक नहीं पहुंच सके।

मुझे पता चला है कि मिदनापुर तथा बांकुरा के कुछ स्थानों में छिद्रण के लिए सामान पड़ा है। परन्तु वह बेकार पड़ा है क्योंकि कुएं खोदने के लिए सब-अस्सिटैन्ट इन्जीनियर की मंजूरी प्राप्त नहीं हुई है। यह बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। इससे नए नलकूपों के लगाये जाने में बाधा पड़ रही है। अभी हाल में एक समाचारपत्र में छपा है कि सीमेन्ट नहीं मिल रहा है। यह भी कहा गया है कि ग्रामीण जल सम्भरण विभाग की उपेक्षा के कारण लोगों की कठिनाइयों में और श्रीवृद्धि हुई है, यह भी कहा गया है कि ट्रक भी उपलब्ध नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि वह सारा सामान अर्थात् सीमेन्ट और ट्रक आदि कहाँ गये हैं।

सरकार ने अब तक जो सहायता दी है वह अपर्याप्त है। वह लगभग 2 5 प्रतिशत है। मेरा सुझाव है कि इसको बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दिया जाये। मुझे आशा है कि केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को सहायता देने में नहीं हिचकिचायेगी। पश्चिम बंगाल के साधन बहुत सीमित हैं। गत वर्ष भर राज्य में बाढ़ से बहुत हानि हुई थी। मुझे आशा है कि केन्द्रीय सरकार पर्याप्त सहायता देगी जिससे इस संकट पर काबू पाया जा सके। इस राज्य को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए। कुछ क्षेत्रों में सामान ढोने के लिए सेना का पहले ही सीमित प्रयोग किया जा रहा है। यदि आवश्यक हो, तो इसका प्रयोग बड़े पैमाने पर किया जाना चाहिए।

भू-राजस्व माफ किया जाना चाहिए और समूचे कार्य का समन्वय इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे लोगों को दीर्घावधि के लिए राहत मिल सके। केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार के प्रतिनिधियों का एक संयुक्त दल बनाया जाना चाहिए जोकि समूचे कार्य को आपात तथा युद्ध स्तर पर करे।

यदि आवश्यक हो तो पश्चिम बंगाल में स्थित गृह-मंत्रालय के विभाग को भी इस कार्य में लगाया जाना चाहिए जिससे केन्द्रीय सरकार को स्थिति के बारे में न्यूनतम जानकारी प्राप्त होती रहे और वह स्थिति का मुकाबला करने के लिए तुरन्त कार्यवाही कर सके।

रेलवे अधिकारियों तथा ग्रामीण जल सप्लाई विभाग तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य इन्जीनियरिंग विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध समाचार पत्रों में गम्भीर आरोप लगाये गये हैं। इनकी जांच की जानी चाहिए। पश्चिम बंगाल के पीड़ित लोगों को राहत पहुंचाने में नौकरशाही की लालफीताशाही को बाधा नहीं बनने दिया जाना चाहिए।

*श्री एस० एन० सिंह देव (बांकुरा) : पश्चिम बंगाल को बहुत गम्भीर स्थिति का सामना करना पड़ रहा है और वहां के लोगों को अनेक कठिनाइयों से गुजरना पड़ रहा है। राज्य सरकार के लिए इस भीषण स्थिति का मुकाबला करना सम्भव नहीं है। केन्द्रीय सरकार की पर्याप्त सहायता से ही राज्य सरकार इस संकट का सामना कर सकेगी। सरकार को विशेषज्ञों का एक दल तुरन्त वहां पर भेजना चाहिए। सरकार को इस बात को भी सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी सहायता सामग्री समय पर राज्य में पहुंचे।

समूचे क्षेत्र में पीने के पानी की कमी है। कुएं और तालाब सूख गये हैं। लोगों को पानी लाने के लिए कई मील तक जाना पड़ता है। 'बारो' फसल नष्ट हो गई है। पटसन की फसल भी नष्ट हो गई है। सरकार ने स्थिति का मुकाबला करने के लिए कुछ उपाय किये हैं परन्तु वह पर्याप्त नहीं हैं। प्रधानमन्त्री ने स्वयं मिदनापुर, पुरुलिया, बांकुरा का दौरा किया है और लोगों की दयनीय स्थिति को देखा है। इन जिलों में छोटी-छोटी अनेक नदियां हैं। इन पर बांध बनाये जाने चाहिए जिससे पानी को जमा किया जा सके। बिजली की सप्लाई भी बढ़ाई जानी चाहिए। इन जिलों में लघु तथा मध्यम श्रेणी के उद्योग भी स्थापित किये जाने चाहिए जिससे लोगों को स्थायी रोजगार मिल सके।

श्री बी० के० दासचौधरी (कूच बिहार) : मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले की पूरी तरह जांच करे क्योंकि समय-समय पर हमें सूखे की स्थिति का सामना करना पड़ता है। कभी-कभी तो सूखा और बाढ़ बारी-बारी से आते हैं जिससे स्थिति और भी गम्भीर हो जाती है। इस स्थिति से बचने के लिए पहले से कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को अधिक क्षेत्र में धान की संकर किस्म बोने का अनुदेश दिया है और मंत्री महोदय ने आशा व्यक्त की है कि पश्चिम बंगाल चावल और धान के मामले में फालतू अनाज वाला राज्य बन जायेगा। वैज्ञानिकों के अनुसार संकर किस्म की धान की बुवाई के लिए पर्याप्त पानी की आवश्यकता है। परन्तु स्टैन्डर्ड गहराई के नलकूपों में भी पानी नहीं है। अतः मैं चाहता हूँ कि सरकार समस्या के इस पहलू पर भी विचार करे।

सूखे का उपाय राज्य के लगभग सभी जिलों पर पड़ा है। परन्तु कुछ अन्य जिलों में बाढ़ की स्थिति है।

केन्द्रीय सरकार को इस मामले पर विचार करना चाहिए कि सूखा पड़ने के वास्तविक कारण क्या हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्रगति होने के साथ-साथ आज हम अपनी सुविधाओं के लिए ऐसी प्राकृतिक विपत्तियों पर यथासम्भव नियन्त्रण कर सकते हैं।

राहत देने के मामले में सरकार को यह देखना चाहिए कि राज्य सरकार को कितनी सहायता दी जानी चाहिए और हर प्रकार की राहत-सहायता युद्ध-स्तर पर दी जानी चाहिए। यदि

---

*बंगाली में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Bengali.

आवश्यकता पड़े तो राज्य स कार की सहायता करने हेतु यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या सब प्रकार के राहत कार्यों को समुचित रूप से क्रियान्वित किया जा रहा है, केन्द्र को अपने कुछ अधिकारियों और इंजीनियरों को भी राज्यों में भेजना चाहिए ।

राज्य में सूखा पड़ने के फलस्वरूप अत्यन्त हानि हुई है और केवल कृषि पर निर्भर करने वाले ग्रामनिवासियों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। उनके पास कुछ भी नहीं रहा है । मेरा अनुरोध है कि इन ग्रामीणों को उर्वरक, बढ़िया किस्म के बीज नि:शुल्क दिए जाने चाहिएं जिससे वे आगामी फसल के लिए कुछ खेती कर सकें ।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : पश्चिम बंगाल में वर्तमान सूखे की स्थिति और इसके परिणामस्वरूप वहां के लोगों को होने वाली कठिनाई के बारे में इस राज्य से आए अपने मित्रों द्वारा व्यक्त किए गये विचारों का मैं समर्थन करता हूं और वर्तमान कठिन स्थिति का सामना करने की माँग का भी समर्थन करता हूं । मिदनापुर हमारे राज्य का सीमावर्ती नगर है । वहां के लोगों की कठिनाइयां सबको अच्छी तरह मालूम हैं । इस बारे में अनेक सुझाव दिए गये हैं कि सरकार को वहां के गांवों में लोगों को मुफ्त राहत देनी चाहिए; वहां नलकूप लगवाने चाहिएं तथा पीने के पानी की व्यवस्था की जानी चाहिए । इन सुविधाओं का शीघ्र प्रबन्ध किया जाना चाहिए । यह हर्ष का विषय है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने इस समस्या को बड़ी गम्भीरता से लिया है और भारत सरकार से अनुरोध किया है कि इस अभूतपूर्व संकट का सामना करने के लिए यथासम्भव शीघ्र सहायता दी जाए ।

मंत्री महोदय ने तीन-चार दिन पहले वक्तव्य दिया था कि पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, राजस्थान और बिहार के कुछ भागों में सूखे की स्थिति है । पिछले 8 महीनों से उड़ीसा में बिल्कुल वर्षा नहीं हुई है । खुर्दा नोटीफाइड क्षेत्र परिषद में 10,000 की आबादी है और पिछले 15 दिनों से वहाँ पीने का पानी बिल्कुल नहीं है । उड़ीसा के गांवों में पानी के सारे स्रोत सूख गये हैं, यहां तक कि नदियां और तालाब भी सूख गये हैं । इस क्षेत्र में कम से कम चार-पांच पानी की टंकियों की व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे कि लोगों को वहां पानी तो मिल सके ।

पानी के अकाल के कारण वहां अनेक प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं और अनेक व्यक्ति मर गये हैं । अत: इन सूखाग्रस्त क्षेत्रों में जनता के लिए कम से कम पीने के पानी की व्यवस्था तो शीघ्र की जानी चाहिए ।

भारत सरकार पश्चिम बंगाल में एक दल भेज रही है । जहां तक उड़ीसा में एक ऐसा अन्य दल भेजने का सम्बन्ध है, राज्य सरकार ने पहले ही इस सम्बन्ध में भारत सरकार को लिख दिया है । ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल जाने वाला दल ही उड़ीसा के सूखाग्रस्त क्षेत्रों का भी सर्वेक्षण करेगा ।

इस समस्या को योजना आयोग, कृषि मंत्रालय तथा अन्य सम्बन्धित मंत्रालयों को मिलकर सुलझाना चाहिए । पिछले 25 वर्षों में इतना कार्य करने के पश्चात् भी केवल 15 या 20 प्रतिशत जनसंख्या के लिए पीने के पानी की व्यवस्था हो पाई है । 5 लाख गांवों में से 96000 गांवों में पीने

के पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई है। अतः गाँवों में पीने के पानी की तत्काल व्यवस्था करने के लिए 20 से 30 करोड़ रुपये का निवेश किया जाना चाहिए। इस समस्या को चुनौती के रूप में मानना चाहिए और आगामी दो या तीन वर्षों में इस मुख्य समस्या को सुलझाना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि योजना मंत्री, खाद्य और कृषि मंत्री देश की इस गम्भीर समस्या को सुलझाने के लिए कोई समाधान ढूंढने का प्रयास करेंगे।

श्री श्यामसुन्दर महापात्र (बालासोर) : मैं पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के सीमावर्ती क्षेत्र से आया हूं और मुझे मिदनापुर जिले के लोगों की कठिनाई का पता है। यह बड़े दुःख की बात है कि इतने वर्षों तक दामोदर घाटी निगम के होते हुए भी बर्दवान जिले के लोगों को अभी तक कठिनाइयां उठानी पड़ रही हैं जबकि ऐसा अनुमान था कि दामोदर घाटी निगम से कम से कम दस लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होगी और बर्दवान के लोगों को बाढ़ और सूखे की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। परन्तु खेद है कि बर्दवान के लोग आज तक कठिनाई उठा रहे हैं।

स्वर्णरेखा नदी पर एक बहुप्रयोजनीय परियोजना बनाने की योजना थी। परन्तु यदि भारत सरकार इस योजना के बारे में सक्रिय नहीं होगी तो इस कार्यक्रम को पांचवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित नहीं किया जा सकेगा।

कल ही मंत्री महोदय ने बातचीत के दौरान बताया है कि जहां तक बिहार सरकार और उड़ीसा सरकार का सम्बन्ध है, जाँच कार्य चल रहा है। यदि परियोजना कार्यान्वित हुई तो मिदनापुर जिले के निकट एक बहुत बड़ा जलाशय बनाया जायेगा और मिदनापुर में ही नहीं अपितु उत्तरी बालासौर में भी खेतों की सिंचाई के लिए नहरें निकाली जायेंगी और मिदनापुर जिले के लोगों को सूखे की समस्या से मुक्ति मिल जायेगी।

हमारा अनुमान था कि गांधी जयन्ती शताब्दी वर्ष में भारत के प्रत्येक गांव में पीने के पानी की व्यवस्था हो जायेगी, परन्तु खेद है कि हमारा यह स्वप्न पूरा नहीं हो सका।

सूखे तथा बाढ़ की स्थिति का सामना करने के लिए अनेक आयोग नियुक्त किये गये, जिन्होंने अपनी-अपनी योजनाओं के सुझाव दिए। सरकार को इन योजनाओं पर युद्ध स्तर पर विचार करना चाहिए और उचित मात्रा में धन लगाना चाहिए जिससे देश में प्रत्येक गांव को पीने का पानी मिल सके।

मेरा अनुरोध है कि कृषि मंत्री और योजना मंत्री राज्य सरकारों को इस बात की चेतावनी दें कि नलकूप लगाने का कार्य या तो विभागों द्वारा किया जाए और यदि इस काम को ठेकेदारों से करवाना पड़े तो उन पर कड़ी नजर रखी जाए क्योंकि ठेकेदारों द्वारा लगाये गये नलकूप कुछ ही समय बाद खराब हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में उनके बिलों का भुगतान तब तक न किया जाए जब तक इंजीनियरों द्वारा कुओं की भली प्रकार जाँच न की जाए और इस आशय का प्रमाण-पत्र न दे दिया जाय कि बनाया गया अमुक कुआं ठीक है।

आज केवल पश्चिम बंगाल ही संकटग्रस्त नहीं है। अकाल की स्थिति से पूना में 2029 गांव प्रभावित हैं। उड़ीसा में एक करोड़ से अधिक व्यक्ति सूखे से पीड़ित हैं। बिहार में बहुत बड़ा भू-भाग

सूखाग्रस्त पड़ा है । अत. सम्बन्धित मंत्री महोदय का यह कर्त्तव्य है कि इस समस्या को राष्ट्रीय स्तर पर लेकर इस पर कार्यवाही करें और इस संकट का सामना युद्ध स्तर पर किया जाए । ऐसी योजना बनाई जाए कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में बाढ़, तूफान और सूखे की स्थिति न रहने पाए ।

Shri R. R. Sharma (Banda) : The efforts of West Bengal State Government in tackling the menace of drought conditions in the State are no doubt appreciable, but this is not the first time when the country has to face this drought situation. What the Central Government or the State Governments have done so far to tackle this crisis ? Central Government should formulate an effective, inter-state scheme to tackle the menace of drought, famine and starvation. It is regrettable that people are dying of hunger while there are buffer stocks of foodgrains in the country.

Apart from West Bengal, where drought conditions are prevalent, Orissa and large tracts of Bihar are drought-stricken and this problem has become very serious there. Central Government has not given adequate assistance to the State Governments to face this problem. Moreover, the Central Government should ensure that the relief funds given by the Centre to fight the menace of droughts or floods are not misused for political purposes.

There is acute drinking water famine particularly, in about 50 villages in the District of Banda in Bundelkhand of Uttar Pradesh for a very long long. Central Government had formulated a scheme in this regard but without any tangible success. Even now people have to go far away for bringing drinking water.

I urge upon the Government and the hon. Minister to make efforts to tackle the problem of drought, famine and starvation in the country.

Shri Naval Kishore Sharma (Dausa) : I fully share the views expressed by my friends about the serious drought situation in west Bengal. But my own State Rajasthan has always been suffering from this situation. Famine and draught conditions are prevalent in the State of Rajasthan for the last seven years and even this year also 10 out of 26 Districts are drought-stricken. This crisis has added to the burden of this State. Rajasthan is under debt of Rs. 6.50 crores and has to pay Rs. 14 crores by way of interest on that debt.

Our country is always either in the grip of drought or flood or cyclones which add to the burden of State Governments; because these problems are beyond the resources of State Governments. This is a permanent problem for the country and a permanent solution shall have to be found out to solve this problem. Central Government should create a special fund on national basis to meet such emergency expenditure for drought, famine and floods, because it is very difficult for the State Governments to bear this expenditure to fight natural calamities out of their limited resources. As a result of continuous drought conditions in Rajasthan, its financial position is very critical and people of the State demand division of Rajasthan, which is very unfortunate. I oppose this demand.

I, therefore, urge upon the Government to tackle this problem on national level.

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : It is well known to all that there have been news items in various newspapers of Bihar and other states that about more than one lakh tribals of Santhal District have been severely affected by draughts and famine conditions for months together. The Deputy Commissioner of the area has also admitted this fact. News of some starvation deaths have also appeared in the newspaper, although Government has denied this fact.

Many districts of north and south Bihar are also reported to have been affected by famine conditions. Standing paddy crops have dried up and there is no water for irrigation there.

243 people have been reported to have died of sun stroke in Bihar. Water scarcity in both the urban and rural areas of the State seem to be the cause of such a heavy toll of life there. There is no adequate provision of drinking water facilities in the cities and rural areas of the State and people are crying for water. Government should make adequate arrangements for supplying drinking water in the urban and rural areas of the State so that lives of the people may be saved from heat wave. Moreover, Centre should give all the necessary assistance to the State Government to tackle this problem.

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : हमारा देश अत्यन्त विशाल और उष्णकटिबन्धीय है। देश के किसी न किसी भाग में प्रतिवर्ष ऐसी स्थिति उत्पन्न हो ही जाती है और हमें इन कठिनाइयों का सामना करने का अनुभव हो गया है। अनेक कठिनाइयों के होते हुए भी राज्य सरकारों के सहयोग से केन्द्र प्रभावित क्षेत्रों को राहत देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गत एक वर्ष में केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न राज्य सरकारों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सूखा-राहत और ऋण के रूप में 150 करोड़ रुपये की सहायता दी थी।

पश्चिम बंगाल की स्थिति चाहे कितनी ही गम्भीर क्यों न हो, किन्तु राज्य सरकार के सहयोग से हम वहां के लोगों के कष्टों का निवारण करने में अवश्य सफल रहेंगे।

माननीय सदस्यों को पता है कि भारत सरकार इन समस्याओं की ओर कितनी गम्भीरता से ध्यान दे रही है। बहुत व्यस्त होने पर भी प्रधान मंत्री ने कुछ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। पश्चिम बंगाल में आए संकट का सामना करने के लिए राज्य के नेताओं ने "युद्ध स्तर" पर उपाय किए जिसके लिए वे प्रशंसा के पात्र हैं।

गत वर्ष पश्चिम बंगाल में बाढ़ आई थी। वहां के संकट को कम करने के लिए कृषि मंत्रालय ने बहुत बड़े पैमाने पर ग्रीष्म-धान का कार्यक्रम आरम्भ किया। इस कार्यक्रम से पिछले वर्ष की तुलना में दुगुना लाभ हुआ। राज्य सरकार ने सूचना दी है कि इस सूखे से लगभग 1.45 लाख एकड़ धान की हानि हुई है अर्थात् 5-6 लाख एकड़ ग्रीष्म-धान अब भी मौजूद है।

यह शंका व्यक्त की गई है कि अधिक उपज वाले कार्यक्रम से भूमिगत जल-स्रोतों का अधिक उपयोग होता है जिससे कृषि सम्बन्धी अर्थव्यवस्था की समग्र रूप से हानि हो सकती है। परन्तु इस

सम्बन्ध में चिन्ता करने की कोई बात नहीं है। सामान्यतया पश्चिम बंगाल में अप्रैल और मई में मानसून आरम्भ हो जाती है किन्तु इस वर्ष यह मानसून बिलकुल नहीं आई। अतः इस सूखे से केवल पीने के पानी की समस्या ही उत्पन्न नहीं हुई अपितु पटसन और धान की फसल पर भी बहुत विपरीत प्रभाव पड़ा है। इसके परिणामस्वरूप पटसन के उत्पादन पर बहुत गम्भीर प्रभाव पड़ने की सम्भावना है। किन्तु इससे यह निष्कर्ष निकालना कि अधिक उपज की किस्मों की फसल के लिए भूमिगत जल के स्रोतों का उपयोग करने से कुछ कठिनाइयां उत्पन्न होने की सम्भावना है, उचित नहीं होगा। वस्तुतः पश्चिम बंगाल में पानी बहुत है जो भूमिगत सोने की खान के समान है। वस्तुस्थिति यह है कि पश्चिम बंगाल में भूमिगत जल स्रोतों का उपयोग अपर्याप्त रूप में हुआ है। पश्चिम बंगाल सरकार ने कृषि विकास के लिए सूखा-सहायता कार्यक्रम के रूप में 12000 और अधिक नलकूप लगवाने की जो घोषणा की है उसके लिए वह बधाई की पात्र है। इससे पश्चिम बंगाल की ग्राम्य अर्थव्यवस्था को बहुत सहायता मिलेगी।

कहा गया है कि राज्य में भुखमरी से मृत्यु हुई हैं। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से सूचना प्राप्त करने का प्रयत्न किया गया, परन्तु राज्य सरकार ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि भुखमरी से कोई मृत्यु नहीं हुई है। वस्तुतः आज देश की ऐसी स्थिति है कि खाद्यान्नों के उपलब्ध ना होने के कारण देश के किसी भाग में भुखमरी से मृत्यु होने की गुंजाइश ही नहीं है। आज खाद्यान्न की स्थिति पहले से कहीं अधिक अच्छी है।

माननीय सदस्यों को यह जानकर हर्ष होगा कि हमने खाद्यान्नों का 90 लाख टन रिकार्ड भंडार कर लिया है। अब समस्या यह उत्पन्न हो गई है कि इन खाद्यान्नों को भंडारों से कैसे निकाला जाए। पश्चिम बंगाल में गोदामों में चावल और गेहूँ का लगभग साढ़े पाँच लाख टन से 6 लाख टन भंडार जमा हो गया है। अतः खाद्यान्नों की सप्लाई के अस्तव्यस्त होने की बिलकुल सम्भावना नहीं है।

पश्चिम बंगाल उन राज्यों में से एक है जहां उचित मूल्य की दुकानों का जाल बिछा हुआ है और राज्य सरकार समय-समय पर उनकी स्थिति का निरीक्षण करती रहती है। इस समय ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 15,000 उचित मूल्यों की दुकानें हैं और यदि ऐसी और दुकानें खोलने की आवश्यकता पड़ी तो राज्य सरकार अवश्य ही इस सम्बन्ध में आवश्यक कदम उठाएगी। मैं पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री को यह आश्वासन देना चाहूंगा कि राज्य की खाद्यान्नों की आवश्यकता को पर्याप्त रूप में पूरा किया जाएगा और इस बारे में उन्हें कोई कठिनाई नहीं होगी।

इस बात पर जोर दिया गया है कि सूखे की स्थिति के कारण कृषि अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। जैसा कि मैंने पहले कहा है, जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में बुवाई का कार्यक्रम चल रहा है, इससे पटसन के उत्पादन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ने की आशंका है। इस समय राज्य में 92,000 नलकूप हैं जिनमें अधिकांश हाल ही में लगाए गए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार 12000 और नलकूप लगाने का प्रयास कर रही है। जैसा कि राज्य सरकार चाहती है, ग्रामीण विद्युतीकरण के साथ-साथ इस कार्यक्रम से आगामी वर्षों में ग्रीष्म ऋतु में होने वाली धान की फसल और पटसन की फसल बहुत अधिक भू-क्षेत्र में होने लगेगी।

पश्चिम बंगाल के माननीय सदस्यों को यह तो पता ही होगा कि अप्रैल-मई में कभी-कभी वर्षा न होने से पटसन की बुवाई के कार्य पर बहुत विपरीत प्रभाव पड़ता है और इसके परिणाम-स्वरूप पटसन का मूल्य भी बहुत बढ़ जाता है। यदि इतने अधिक नलकूप लगा दिए जाएं और एक या दो सिंचाई परियोजनाएं बनाई जाएं तो पटसन के मूल्यों में वृद्धि नहीं होने पाएगी और पटसन उत्पादन में स्थिरता आ जाएगी। इस सम्बन्ध में हर सम्भव उपाय किए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में कृषि अर्थव्यवस्था का आधार बहुत ढुलमुल था। परन्तु अब सूखे की इस स्थिति को देखते हुए, पश्चिम बंगाल की कृषि अर्थव्यवस्था के विकास के लिए बहुत दृढ़ आधार बनाया जाएगा।

कुछ माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया है कि सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत सहायता देने की व्यवस्था के लिए क्यों न किसी प्रकार का स्थायी कार्यक्रम आरम्भ किया जाए। माननीय सदस्यों को पता होगा कि समस्त देश के लिए पहली बार ऐसा कार्यक्रम आरम्भ किया गया है और चौथी योजना में, विशेषकर सूखाग्रस्त क्षेत्रों में रोजगार की व्यवस्था करने और उत्पादक-परिसम्पत्तियां बनाने के लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है जिससे वर्षा न होने से सूखे की स्थिति से आवश्यक संरक्षण दिया जा सके। इसके लिए 54 जिले चुने गये हैं और इस कार्यक्रम के लिए लगभग 3 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। यह राष्ट्रव्यापी योजना का एक भाग है और पश्चिम बंगाल भी इस कार्यक्रम की सूची में सम्मिलित है। इस कार्यक्रम से देश के सूखाग्रस्त क्षेत्रों को राहत और संरक्षण मिलेगा।

पश्चिम बंगाल सरकार ने बहुत शीघ्र कदम उठाए हैं। राज्य सरकार ने राहत कार्यों के लिए 1.95 करोड़ रुपये और खाद्यान्नों की व्यवस्था की है। "केयर" (सी० ए० आर० ई०) निर्माण कार्यक्रम के लिए लगभग 1 करोड़ रुपये की लागत की एक योजना तैयार कर रही है। राज्य सरकार ने वृद्धता के कारण विकलांग हुए व्यक्तियों में राशि वितरत करने के लिए 93.45 लाख रुपये की मंजूरी दी है। प्रत्येक अंचल में एक राहत योजना लागू करने के लिए आदेश जारी कर दिये गये हैं।

पीने के पानी के अकाल का भी उल्लेख किया गया है। सूखे की स्थिति के दौरान पीने के पानी की भी कमी हो जाती है। बहुत अधिक गांवों को पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के लिए 1.95 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। इसके अतिरिक्त पानी ले जाने के लिए पानी की 200 बड़ी टंकियां सप्लाई की गई हैं।

केन्द्रीय सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने दो अधिकारी नियुक्त किए हैं जो पीने के पानी की समस्या पर तुरन्त ध्यान देंगे।

जहां तक केन्द्रीय सहायता का सम्बन्ध है, पश्चिम बंगाल के राहत कार्यों को धनाभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। लोगों की कठिनाई की ओर सरकार का पूरा ध्यान है और राहत कार्यों के रास्तों में किसी प्रकार की प्रशासनिक बाधा नहीं आने दी जायेगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने पहले ही केन्द्र से वित्तीय सहायता का अनुरोध किया है। सूखाग्रस्त क्षेत्रों को राहत देने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार के बजट में 2.61 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

सामान्यत: ज्यों ही सूखा की स्थिति पैदा होती है, राज्य सरकार हमें सूचना देती है और हम एक केन्द्रीय दल नियुक्त करते हैं। यह दल सूखे की स्थिति का अध्ययन करता है और अपनी सिफारिश देता है जिसके अनुसार केन्द्र अपना कार्य करता है। सूखाग्रस्त स्थिति का अध्ययन करने के लिए योजना आयोग का एक अधिकारी आज प्रात: पश्चिम बंगाल के लिए रवाना हो गया है। एक केन्द्रीय दल का गठन किया जा रहा है और अन्य सदस्य भी इस दल में शीघ्र ही सम्मिलित हो जायेंगे। ज्यों ही केन्द्रीय दल वहां जायेगा और हमें अपना प्रतिवेदन देगा, त्यों ही हम आवश्यक केन्द्रीय सहायता देने के लिए कार्यवाही करेंगे। हम यह सुनिश्चित करने के लिए भी तैयार हैं कि यदि केन्द्रीय दल द्वारा अपने प्रतिवेदन को अन्तिम रूप देने में कुछ विलम्ब हुआ, तो भी पश्चिम बंगाल सरकार को आवश्यक धन देने की व्यवस्था की जा सके। दी जाना वाली सहायता—जैसे पीने के पानी की व्यवस्था करना, रोजगार देना आदि की सहायता बिल्कुल मुफ्त दी जायेगी।

हर्ष की बात है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने नलकूप लगाने का कार्यक्रम आरम्भ कर दिया है। इससे केवल रोजगार ही नहीं मिलेगा अपितु स्थायी उत्पादक परिसम्पत्तियों का सृजन भी होगा।

इन सभी कठिनाइयों के होते हुए भी जिस ढंग से पश्चिम बंगाल सरकार राहत देने का प्रयास कर रही है, उससे हमारे मन में कोई सन्देह नहीं रहता कि यह विपत्ति बाद में विकास कार्य के लिए एक सुअवसर समझा जाएगा, जैसा कि बिहार में हुआ था।

मुझे आशा है कि पश्चिम बंगाल सरकार इन विकास कार्यक्रमों को बड़े पैमाने पर क्रियान्वित करेगी और इसके लिए केन्द्र की ओर से वित्तीय सहायता और पूरा समर्थन मिलेगा।

**इसके पश्चात् लोक सभा बुधवार, 24 मई 1972/3 ज्येष्ठ, 1894 (शक)
के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।**

**The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Wednesday,
May 24, 1972/Jyaistha 3, 1894 (Saka)**

Printed at : Shahdara Printing Press, K-18, Navin Shahdara, Delhi-32, 23-5-72/490

P.L.S. 48. XV. 50.72 (N)
490

© 1972 प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त ।

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन संबंधी नियमों (पाँचवां संस्करण)
के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और
शाहदरा प्रिंटिंग प्रेस, नवीन शाहदरा,
दिल्ली-32 द्वारा मुद्रित ।

© 1972 By the Lok Sabha Secretariat

Published under Rules 379 and 382 of the Rules of Procedure and
Conduct of Business in Lok Sabha (Fifth Edition) and
Printed at Shahdara Printing Press,
Navin Shahdara, Delhi-32